वार्षिक प्रतिवेदन

2010-2011

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम, रक्षा मंत्रालय)

पंजीकृत कार्यालय एवं कर्मशाला:
डाकघर: कंचनबाग, हैदराबाद - 500058, भारत

दूरभाष: +91-40-24340001 (10 लाइनें),
24340201, 24340280, 24340044, 24340853 (अन्य लाइनें)
फैक्स: + 91-40-24340214/24340764,
ई-मेल: spralloy.midhani@nic.in
वेबसाइट: www.midhani.com

माननीय श्री एम.एम.पल्लम राजू, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं और विशेष इस्पातों से बने उच्च गुणतायुक्त फास्नर्स के उत्पादन के लिए समर्पित संयंत्र की स्थापना के लिए 25-06-2011 को मिधानि में शिलान्यास करते हुए व साथ में श्री एम. नारायण राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानि, भी देखे जा सकते हैं।

अध्यक्ष का संदेश

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी के वित्तीय निष्पादन और भावी वर्षों के दौरान अपेक्षित दृष्टि-विधान को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना मेरा सुखद सौभाग्य है ।

2 विगत वर्षों का निष्पादन काफी प्रोत्साहनवर्धक रहा है और वर्धन के उच्चतर सोपानकों को हासिल करने हर प्रकार का समर्थन और अपने देश के सामरिक क्षेत्रों के सामरिक संकटकालीन सामग्रियों की आपूर्ति करने में स्वयं-संपूर्ण बनाता है ।

3 हाल ही के समयों में कंपनी द्वारा अपने आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यक्रम शुरु किये गये तथा उन्हें शीघ्र ही पूरा करने की अवस्था में ही कदम रखने वाले हैं। कंपनी अपने परिचालनों को प्रोत्साहन देते हुए चालू वर्ष के दौरान व्यापार रु.600/- करोड़ के टर्नोवर को वर्ष 2015 तक रु. 1000/- करोड़ तक पहुँचाने के प्रयास में लगी हैं । वर्ष 2010-11 प्रभावशाली विक्रय टर्नोवर रु. 418.00 करोड़ (लगभग) रहा जिसका उत्पादन मूल्य रु. 485 करोड़ था जिसमें रु. 75.18 करोड़ की पीबीटी

आगे एकीकरण की दिशा में अपनी सक्षमताओं के सिनर्जाइजिंग और उपयोगिता के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ 16-06-2011 को समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती हुई मिधानि । श्री सी.एस.वर्मा, अध्यक्ष सेल और श्री एम.नारायण राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानि इस अवसर पर उपस्थित थे ।

और रु. 50.42 करोड़ की पीएटी के साथ वर्ष 2010-11 का समापन हुआ । वर्धन के प्रति मिधानि की वचनबद्धता ने इसे स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया (एसएआईएल) और गोआ शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) जैसे इन संगठनों की क्षमताओं को सहक्रियाशीलता और उपयोगिता के एकीकरण के लिए समझौतों के ज्ञापनों के समापन के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं ।

4 नये उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, अनुप्रयोगों और मार्केटो के लिए मिधानि की सतत तलाश ने इसे वर्धन के पथ पर आगे बढ़ाया है और इस तरह उसने ग्राहक की प्रसन्नता सुनिश्चित की है । मिधानि के अपने आंतरिक अनुसंधान और विकास स्थापना स्टेट ऑफ आर्ट में विशेषता वाली कुशल मानवशक्ति को और आगे शक्ति प्रदान करने की योजना बनायी है, जो आनेवाले वर्षों में मजबूत उपलब्धि हासिल करने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर सकती है ।

5 अपनी समस्त गतिविधियों के क्षेत्रों में **"नैगम शासन"** की उत्तम प्रविधियों और व्यवहारों को उपयोग में लाने के लिए कंपनी निरंतर रूप से उच्चतम महत्व दे रही है । सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नैगम शासन पर जारी लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन पर एक विस्तृत रिपोर्ट, निदेशकगणों के प्रतिवेदन के अंग रूप में प्रस्तुत की गयी है । एक अच्छे "नैगम नागरिक" के रूप में मिधानि सतत रूप से समाज, पर्यावरण और जिस अर्थ व्यवस्था में यह कार्य करती है उसके हित को ही सर्वोच्च महत्व प्रदान कर रही है ।

6 मैं, अपनी और मिधानि के निदेशक मंडल की ओर से उन सभी लोगों का जो मिधानि के सहयोगी होने के नाते वर्षों से कंपनी को स्थिर विकास प्रदान करने में योगदान देते रहे हैं, जिनमें विशेषकर रक्षा मंत्रालय, अन्य सरकारी विभाग, संस्थाओं, एजेंसियों, ग्राहकों आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के सभी वर्गों और उनके यूनियन को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

(एम.नारायण राव)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बोर्ड के निदेशकगण

श्री ज्ञानेश कुमार
संयुक्त सचिव
(नौसेना प्रणालियाँ)

श्री पी.के.कटारिया
अपर वित्त सलाहकार (के) और संयुक्त सचिव
(स्थाई विशेष आमंत्रित)
(28-04-2011 से प्रभावी)

श्री जी.मालकोंडय्या
निदेशक
(डीएमआरएल)

श्री पी.के.मिश्रा
अपर वित्त सलाहकार (एम) और
संयुक्त सचिव
(स्थाई विशेष आमंत्रित)
(28-04-2011 तक)

श्री वी.एस.कृष्णमूर्ति
निदेशक (वित्त)

श्री एम.नारायण राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री वी.एस.वर्मा
निदेशक (उत्पादन और विपणन)
(31-08-2011 तक)

श्रीमती इंदु लिबरहान
निदेशक
(09-12-2010 से प्रभावी)

डॉ. दीपंकर बनर्जी
निदेशक
(09-12-2010 से प्रभावी)

श्री कोटा भानुशंकर राव
निदेशक
(27-04-2011 से)

श्री आर.के.मिश्रा
निदेशक
(31-10-2010 तक)

डॉ.श्रीमती बी.किन्नेरा मूर्ति
निदेशक
(31-10-2010 तक)

श्री पी.रवि
आई.पी.एस.
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री पी.वी.सुब्बा राव
कंपनी सचिव

महाप्रबंधकगण

श्री डी.एन. भाटिया
महाप्रबंधक (उत्पा.)

श्री बी.जी. राज
महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

श्री ए. के. भाटिया
महाप्रबंधक (उत्पा. - II)
(31-03-2011 तक)

श्री टी.के. चन्द्रशेखर
महाप्रबंधक (सेवाएँ)
(31-03-2011 तक)

नैगम प्रबंधन समिति के सदस्यगण

(31-08-2011 की स्थिति)

श्री एम.नारायण राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री वी.एस.कृष्णमूर्ति	निदेशक (वित्त)
श्री वी.एस.वर्मा	निदेशक (उत्पा. व विपणन)
श्री पी.रवि	मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री डी.एन.भाटिया	महा प्रबंधक (उत्पादन)
श्री बी.जी.राज	महा प्रबंधक (वाणिज्यिक)
श्री पी.सरकार	अपर महा प्रबंधक (प्रबंधन सेवाएँ)
डॉ. एच.वी.किरण	अपर महा प्रबंधक (विपणन)
श्री के.शंकर राव	अपर महा प्रबंधक (अभियांत्रिकी सेवाएँ)
श्री के.रामबाबू	अपर महा प्रबंधक (उत्पा.-I)
श्री एम.एस.चलपति	अपर महा प्रबंधक (उत्पा. -II)
श्री के.शिव सुब्रमणियन	अपर महा प्रबंधक (उत्पा. -III)
श्री पी.मुखोपाध्याय	अपर महा प्रबंधक (गुणता नियंत्रण)
श्री के.आर.आचार्य	अपर महा प्रबंधक (गु.नि.प्र.शा)
श्री ए.आर.घटक	अपर महा प्रबंधक (पीपीसी)
श्री वी.वी.आर.एस.शर्मा	अपर महा प्रबंधक (एएमडी)
श्री आर.एन.राय	अपर महा प्रबंधक (प्रशि. व विकास)
श्री एम.चटर्जी	अपर महा प्रबंधक (अनु. व विकास)
श्री ए.बी.नायुडू	अपर महा प्रबंधक (मानव संसाधन)
श्री एम.एस.राय	अपर महा प्रबंधक (वित्त व लेखा)
श्री ए.के.घोष	उप महा प्रबंधक (यू और एसएस)
श्री टी.बी.राव	उप महा प्रबंधक (ई आर)
श्री जी.वी.आर.मूर्ति	उप महा प्रबंधक (गु.नियं.)
श्री डी.गिरि	उप महा प्रबंधक (तकनीकी समन्वयन)
श्री पी.वी.सुब्बा राव	कंपनी सचिव

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ सं.
10 वर्ष के निष्पादन पर एक दृष्टि	1
वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	3
निदेशक मंडल का प्रतिवेदन	6
i)नैगम शासन पर प्रतिवेदन	42
ii) प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	54
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	77
भारत के नियंत्रक व महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ	84
महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियाँ	86
तुलन - पत्र	95
लाभ तथा हानि लेखा	97
अनुसूचियाँ	99
नकदी स्राव का विवरणी	125
तुलन पत्र का सार तथा कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा	129
मिधानि - सामान्य	133

10 वर्षों के निष्पादन पर एक दृष्टि

(लाख रुपय में)

क्रम सं.	मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	विक्रय (टनेज)	1489	1975	1088	1337	1215
	विक्रय (मूल्य)					
	- ग्राहकों को	8,710.35	7,486.41	9,562.63	11,190.78	13,926.20
	- उप ठेकेदारों को	1,713.30	1,648.76	2,949.96	1,936.23	1,362.92
	कुल	10,423.65	9,135.17	12,512.59	13,127.01	15,289.12
2	उत्पादन का मूल्य (ई.डी.सहित)	10,717.41	9,350.23	11,641.88	14,166.73	17,759.69
3	नकद लाभ / हानि (-)*	396.82	-32.85	908.62	1,385.47	2,036.80
4	कर से पूर्व लाभ	38.67	(226.42)	756.97	1,152.97	1,841.82
5	निवल लाभ / हानि (-)**	8.95	-236.07	690.15	687.08	1,180.78
6	जोडा गया मूल्य	7,160.95	6,768.64	9,082.89	9,697.49	10,112.80
7	प्रति कर्मचारी पर गया मूल्य	5.54	5.26	7.06	7.34	7.67
8	प्रदत्त पूँजी	13,734.00	13,734.00	13,734.00	13,734.00	13,734.00
9	सकल अवरुद्ध राशि	12,900.45	13,054.68	13,138.93	13,115.61	13,270.84
10	निवल नियत पूँजी	2869.35	2831.35	2789.45	2583.94	2555.10
11	निवल चालू आस्ति	11224.44	10880.68	11036.09	11777.69	12826.29
12	नियोजित पूँजी (10+11)	14,093.79	13,712.03	13,825.54	14,361.63	15,381.39
13	ईक्विटी	13734.00	13734.00	13734.00	13734.00	13734.00
14	आरक्षित निधियाँ	-385.77	-507.90	236.59	766.79	1695.16
15	निवल मालियत (13+14)	13,348.23	13,226.10	13,970.59	14,500.79	15,429.16
16	अर्थ विभाग को कंपनी का योगदान	2,029.00	1,863.00	2,031.00	2,418.00	2,671.00
17	कर्मचारियों की सं.(आंकडे अंक में)					
	- कार्यपालक	256	256	256	265	270
	- अकार्यपालक	1,037	1,031	1,030	993	985
	- गैर यूनियनीकृत पर्यवेक्षक				63	64
18	प्रति कर्मचारी द्वारा उत्पादकता	8.29	7.27	9.05	10.72	13.46

टिप्पणी:- वर्ष 2010-11 के लिए निवल मालियत और नियोजित पूँजी का हिसाब लगाते समय ईक्विटी के रूप में मंत्रालय से प्राप्त रु.39.08 करोड और ऋण के रूप में प्राप्त रु.39.08 करोड जिनका कुल रु.78.16 करोड है। 31 मार्च, 2011 को प्राप्त राशि नहीं मानी गयी है ।

10 वर्षों के निष्पादन पर एक दृष्टि

(लाख रुपय में)

क्रम सं.	मद	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	विक्रय (टनेज)	1262	1919	1908	2429	3014
	विक्रय (मूल्य)					
	- ग्राहकों को	17,256.58	23,111.71	27,142.74	31,482.89	33,062.14
	- उप ठेकेदारों को	1,993.18	2,389.30	3,768.49	5,638.10	8,724.63
	कुल	19,249.76	25,501.01	30,911.23	37,120.99	41,786.77
2	उत्पादन का मूल्य (ई.डी.सहित)	22,388.49	29,640.17	36,402.83	37,323.63	48,545.58
3	नकद लाभ / हानि (-)*	3,768.16	5,737.67	6,605.56	7,085.33	7,955.19
4	कर से पूर्व लाभ	3,559.04	5,494.68	6,289.65	6,766.78	7,518.14
5	निवल लाभ / हानि (-)**	2,318.01	3,548.93	4,114.63	4,455.52	5,090.02
6	जोडा गया मूल्य	13,016.50	17,652.62	21,486.34	23,757.48	28,877.73
7	प्रति कर्मचारी पर गया मूल्य	10.16	13.97	17.48	19.95	25.76
8	प्रदत्त पूँजी	13,734.00	13,734.00	14,634.00	14,634.00	18,334.00
9	सकल अवरुद्ध राशि	13,340.11	13,810.98	14,228.28	15,454.37	17,693.55
10	निवल नियत पूँजी	2438.47	2667.90	2779.32	3676.82	5,526.39
11	निवल चालू आस्ति	14602.87	16767.00	18485.64	22757.42	22,494.42
12	नियोजित पूँजी (10+11)	17,041.34	19,434.90	21,264.96	26,434.24	28,020.81
13	ईक्विटी	13734.00	13734.00	14634.00	14634.00	18,334.00
14	आरक्षित निधियाँ	3474.21	6196.54	9341.50	12759.18	15,461.46
15	निवल मालियत (13+14)	17,208.21	19,930.54	23,975.50	27,393.18	29,887.46
16	अर्थ विभाग को कंपनी का योगदान	4,405.00	5,483.00	6,651.00	6,295.00	7,956.10
17	कर्मचारियों की सं.(आंकडे अंक में)					
	- कार्यपालक	250	249	249	255	258
	- अकार्यपालक	905	862	837	775	685
	- गैर यूनियनीकृत पर्यवेक्षक	126	153	143	161	178
18	प्रति कर्मचारी द्वारा उत्पादकता	17.48	23.45	29.62	31.34	43.31

टिप्पणी:- वर्ष 2010-11 के लिए निवल मालियत और नियोजित पूँजी का हिसाब लगाते समय ईक्विटी के रूप में मंत्रालय से प्राप्त रु.39.08 करोड और ऋण के रूप में प्राप्त रु.39.08 करोड जिनका कुल रु.78.16 करोड है। 31 मार्च, 2011 को प्राप्त राशि नहीं मानी गयी है ।

37वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, **मिश्र धातु निगम लिमिटेड** की 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बुधवार, 20 सितंबर, 2011 को, 11 बजे पूर्वाह्न, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, डाकघर: कंचनबाग, हैदराबाद-500058 में निम्न विषयों को संपादित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2011 को स्थित तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ तथा हानि लेखा और उसके साथ संलग्न निदेशकगणों और लेखा परीक्षकगणों के प्रतिवेदनों को प्राप्त कर, उसपर विचार करके उसे अपनाना ।
2. 31 मार्च,2011 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

विशेष कार्य

3. निम्नांकित संकल्प को उचित समझे जाने पर, आशोधन करके अथवा बिना आशोधनों के **सामान्य संकल्प** की तरह विचार करना ।

   संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी की सामान्य आरक्षित निधि को रु. 27.02 करोड की राशि अंतरित करने के लिए, कंपनी के सदस्यों की यही सहमति है एतद्द्वारा इसे प्रमान किया जाता है ।

बोर्ड के आदेश से

कृते मिश्र धातु निगम लिमिटेड

(पी.वी.सुब्बा राव)

कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद

दिनांक: 22-08-2011

टिप्पणियाँ:

i) जिस सदस्य को उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार हो, वह अपने बदले में किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है तथा वह प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित होकर वोट दे सकता है । बैठक शुरू होने के कम से कम 48 घंटों से पहले प्रतिनिधि फार्म भरकर पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत कर दें ।

ii) सूचना के साथ लगे विशेष व्यापार के संबंध में, स्पष्टीकरण विवरणी मद सं 3 के अंतर्गत अनुबंधित है ।

iii) सूचना में संदर्भित दस्तावेज और संलग्न स्पष्टीकरण विवरणी निरीक्षण / जॉंच के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों के दौरान 1100 बजे पूर्वाह्न से 1700 बजे अपराह्न के बीच वार्षिक सामान्य बैठक होने की तिथि तक उपलब्ध रहेंगे ।

iv) 31 मार्च, 2011 तक का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ तथा हानि लेखों और आवश्यक अन्य सभी दस्तावेजों सहित तथा कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत शून्य अभ्युक्तियों सहित तथा निदेशकगणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को संलग्न किया गया है ।

v) जब भी वर्ष 2010-11 का लाभांश घोषित किया जाएगा, तब उन सभी शेयरधरियों कों देय सीमा तक लाभांश दिया जाएगा, जिनके नाम बैठक की तिथि पर सदस्यों के रजिस्टरों में उपलब्ध रहेंगे ।

कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 173 (2) के अंतर्गत आवश्यक स्पष्टीकरण विवरणी

मद सं.3 के लिए

चूँकि वर्ष 2010-11 रु.50.42 करोड के वितरणीय लाभ के वर्ष के रूप में परिलक्षित हुआ है, अत: निदेशक मंडल ने रु. 27.02 करोड की राशि को कंपनी की सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की संस्तुति की है । तथा इससे पूर्व रु.20 करोड की राशि लाभांश (रु. 2 करोड की राशि के अंतरिम लाभांश सहित) की राशि को लाभांश के लिए तथा रु.3.40 करोड लाभांश पर कर के रूप में 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए सूचना में दी गयी सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात् अंतरित करने को कहा गया है। मिधानि-संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 97 के अनुसार, आरक्षित निधि के सृजन और विशेष निधियों के लिए भारत के राष्ट्रपति महोदय के निर्णय को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरक्षित रखें । चूँकि राष्ट्रपति कंपनी की समस्त प्रदत्त शेयर पूँजी को वास्तव में धारित करते हैं और साथ ही वे कंपनी में प्रमुख शेयरधारक हैं, इसलिए रु.27.02 करोड की अधिशेष राशि को, सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित करने हेतु संकल्प सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया है ।

2. आपके निदेशकगण, सदस्यों द्वारा संकल्प का अनुमोदन किये जाने की प्रशंसा करते हैं । संकल्प में, कंपनी के किसी भी निदेशक का किसी भी रूप में न तो कोई संबंध है और न ही कोई दिलचस्पी ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते मिश्र धातु निगम लिमिटेड

पी वी सुब्बाराव

(पी.वी.सुब्बा राव)
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद
दिनांक: 22-08-2011

निदेशकगणों का प्रतिवेदन

सदस्यगण

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से दिनांक: 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के, कंपनी के 37वें वार्षिक प्रतिवेदन सहित लेखा परीक्षित लेखों के विवरण, लेखापरीक्षकगणों का प्रतिवेदन और वित्तीय विशिष्टताओं को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ ।

1.0 प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ ये थीं:

- विक्रय में अब तक की सबसे उच्चतम उपलब्धि रु. 418 करोड़ (5 वर्षों की अवधि में दुगुने से अधिक) वृद्धि और गत वर्ष की अपेक्षा 13% अधिक थी ।
- अब तक का उत्पादन मूल्य रु. 485 करोड़ था जिसने 29% की वृद्धि दर्ज की।
- माननीय रक्षा मंत्री महोदय श्री ए.के.अंटोनी द्वारा शिलान्यास किया गया जो मिश्रधातु निगम के विस्तार और आधुनिकीकरण और साथ ही साथ देशज निर्मित

ईएसआर भट्टी के उद्घाटन के साथ स्वर्णिम युग की शुरुआत रही ।

- माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री एम.एम.पल्लम राजु द्वारा टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्रधातुओं और विशेष स्टीलों से बने उच्च गुणतावाले फासनर्स के उत्पादन के लिए समर्पित संयंत्र की स्थापना के लिए शिलान्यास किया गया ।
- 10 मेट्रिक टन भार वाले वैक्यूम आर्क री-मेल्टिंग भट्टी जैसे मुख्य उपस्करों की सफलतापूर्वक शुरुआत ।
  - ए -10 टी इलेक्ट्रो स्लॉग रीफाइनिंग भट्टी तथा
  - दो विद्युत डिस्चार्ज-कटिंग मशीनों के निर्माण तथा परिचालन कंपनी की अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव और अधिकतम संभाव्य किफाइती लागत से सफलतापूर्वक नवोन्मेषण ।
  - 6000 मेट्रिक टन फोर्ज प्रेस,
  - 20 मेट्रिक टन इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी (वीडी/वीओडी)
  - रेडियल एक्जियल रिंग रोलिंग मिल जैसे महत्वपूर्ण उपस्करों के प्रापण क्रियाकलाप की पूर्ति, जो मिश्रधातु निगम के परिचालनों में एक नये युग के प्रारंभ को सूचित करता है ।
- स्टेट ऑफ आर्ट के प्रापण के प्रस्ताव को महत्व देना अर्थात् चार हाई-वाइड प्लेट रोलिंग मिल तथा 20टी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस / वीडी/वीओडी मेल्टिंग भट्टियों की खरीदी । तथा मैसर्स एएसएल (डीआरडीओ) एवं ओएफबी द्वारा रु.507 करोड़ की आर्थिक सहायता के साथ बंधन ।
- कंपनी में सारे कार्यों के परिचालनात्मक क्षेत्रों को एकीकृत करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित समाधान अर्थात् उद्यम-संसाधन आयोजना (ईआरपी) के लिये "जाओ-जियो" घोषित करना ।
- भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा वर्ष 2008-09 के लिये खनन तथा धातु के क्षेत्र में "एमओयू उत्कृष्टता" पुरस्कार प्राप्त किया ।
- मिश्रधातु निगम के महा प्रबंधकों में से एक को, नान-फेर्रस धातुविज्ञान उद्योगों के लिए टाइटेनियम संसाधन के विकास हेतु योगदान देने के लिए भारतीय धातु संस्थान द्वारा स्थापित "हिन्दुस्तान जिंक स्वर्णपदक" से पुरस्कृत किया गया ।
- भारत सरकार के साथ हुए समझौते के ज्ञापन की कसौटी के अनुसार प्रसंगाधीन

वर्ष के दौरान सर्वोत्तम निष्पादन का निरंतर आठवाँ वर्ष ।

- यह वर्ष 23वाँ लाभ उपार्जित तथा 8वाँ लाभांश वितरण वर्ष रहा ।
- दिनांक:01-04-2011 तक रु 726 करोड़ की आर्डर पुस्तिका की संतोषजनक स्थिति ।
- रु.154.61 करोड़ की आंतरिक निधि का जनन करना तथा उसका पुनर्निवेश समकालीन कलात्मक प्रौद्योगिकियों तथा सन् 2020 की चुनौतियों का सामना करना ।

2.0 उत्पादन तथा आपूर्ति की विशिष्टताएँ

- पिछले वर्ष के रु.371.21 करोड़ (2,429 मेट्रिक टन) की तुलना में इस वर्ष रु.417.87 (3,014 मेट्रिक टन) करोड़ का टर्नोवर हुआ । जिसके फलस्वरूप मूल्य वार 13% की वृद्धि हुई है ।
- पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के लिए टाइटान 31 उपग्रह चक्रों का विकास किया गया है ।
- मौजूदा रोलर हर्थ फर्नेस के पुनर्निर्माण के पूरा होने के बाद परिचालन शुरु किया।
- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा स्थापित किये जाने वाले 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाहर रिएक्टरों के लिए आवश्यक फिटिंगों और फोर्जिंगों व उपकरणों की आपूर्ति के लिये आदेश प्राप्त करने वाली संस्था मिश्रधातु निगम ही पहली कंपनी है ।
- मिधानि ने पहली बार शिप बिल्डिंग सेंटर, विशाखापट्टनम के लिए टाइटान-32 की फोर्ज्ड और मशीन्ड बार्स की आपूर्ति की ।

उत्पादन क्षमता की बढौतरी के क्षेत्रों में नवोन्मेषित उपायों में निम्न लिखित अंश सम्मिलित किये गये:

- 650 मिलीमीटर व्यासवाले तथा 1000 मि.मीटर व्यास वाले सॉलिड-ब्लूम्स को काटने के निमित्त दो देशज परिकल्पित तथा उत्पादित बड़ी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सॉइंग मशीने, (ईडीएस) जिसके कारण कंपनी को लगभग रु. 2.40 करोड़ की बचत हुई है, लगाई गई हैं ।

देशज फैब्रिकेटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन (ईडीएस)

- कंपनी में ही निर्मित 350 मिली मीटर व्यास वाले बैंड के कारण लगभग रु. 10 लाख की बचत हुई है ।
- कंपनी के स्वानुभव तथा सुविज्ञता के बलबूते देशज निर्मित एक और वैक्यूम आर्क मेल्टिंग भट्टी की आयोजना की गयी ।
- प्राथमिक मेल्टिंग इलेक्ट्रोड के उत्पादन में तीन गुना वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न हुए अतिरिक्त लोड को संभालने के लिये 650 मिली मीटर व्यास ईडीएस कटिंग मशीनों का कंपनी में ही उत्पादन किया गया ।

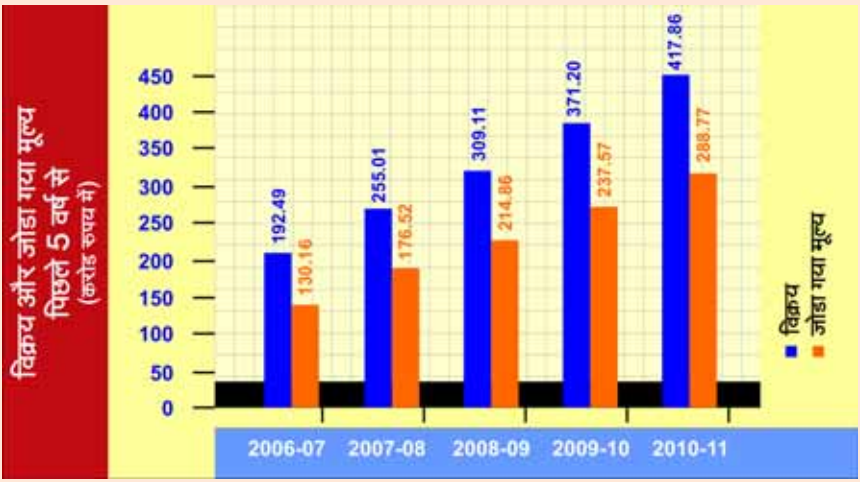

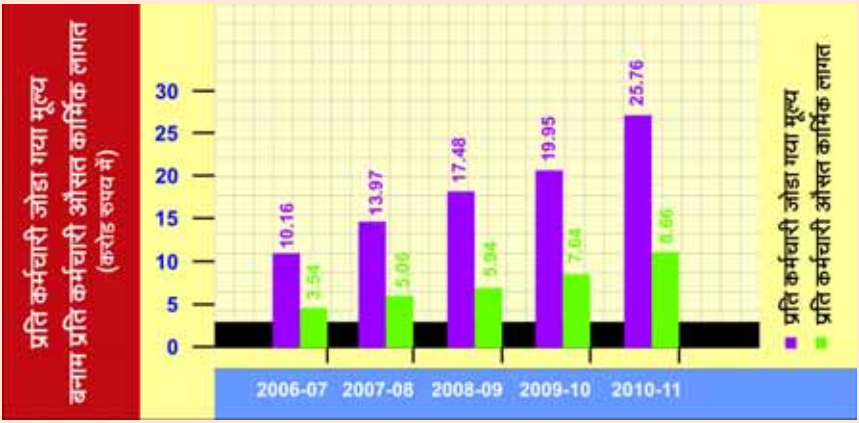

3.0 वित्तीय विशिष्टताएँ:

3.1 कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान रु. 79.07 करोड़ का स्थूल लाभ तथा आयकर के भुगतान से पहले रु. 75.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि पिछले वर्ष यह स्थूल लाभ रु.70.91 करोड़ तथा आयकर भुगतान से पहले लाभ रु.67.67 करोड़ था, आयकर के भुगतान के पश्चात का लाभ 2010-11 में रु.50.42 करोड़ तथा वर्ष 2009-10 में रु.44.62 करोड़ था ।

3.2 विनियोजन के पश्चात् जो प्राप्य अधिशेष, पिछले वर्ष के रु. 44.62 करोड़ की तुलना में रु. 50.42 करोड़ था जिसके फलस्वरूप कंपनी रु. 20.00 करोड़ का अंतरिम लाभांश तथा अंतिम लाभांश प्रकट कर सकती है जबकि यह पिछले वर्ष रु. 8.92 करोड़ था ।

3.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी में बदलाव नहीं आया । आर्थिक वर्ष 2010-11 के आरंभ में 6000 टी फोर्ज प्रेस तथा 10टी ईएसआर जैसे महत्वपूर्ण उपस्करों के क्रय के लिये सरकारी अंशदान के रूप में रु.37 करोड़ की शंयर पूँजी का निवेश हुआ । इसके फलस्वरूप, निर्गमित, अंशदान तथा प्रदत्त-पूँजी, भारत के राष्ट्रपति को 3,70,000 ईक्विटी शेयरों का अतिरिक्त रूप से आबंटित किया गया, जो मौजूदा रु.1000/- प्रति शेयर के समरुप है। दिनांक: 31-03-2011 को कंपनी की प्रदत्त-पूँजी रु. 183.34 करोड़ थी ।

3.4 आपकी कंपनी ने वर्ष 2010-11 के लिये जो निर्धारित आर्थिक तथा परिचालित लक्ष्य थे उन्हें प्राप्त किया । विशिष्टताएँ निम्न प्रकार है ।

(लाख रुपय में)

विवरण	**2010-2011**	2009-2010
विक्रय (वापसियों रहित)	**41,787**	37,121
अन्य आय	**1,906**	1,863
उत्पाद का मूल्य (ईडी को छोडकर)	**47,547**	36,558
मूल्यह्रास	**389**	325
ब्याज	**679**	156
लाभ (कर से पूर्व)	**7,518**	6,767
लाभ (कर के पश्चात)	**5,042**	4,462

अनुपात (प्रतिशत)

निवेशित पूँजी की तुलना में कर से पूर्व लाभ	**26.83**	27.47
बिक्री की तुलना में कर से पूर्व लाभ	**17.99**	18.16
निवल मूल्य की तुलना में कर के पश्चात लाभ	**16.87**	16.84
प्रदत्त-पूँजी की तुलना में कर से पूर्व लाभ	**27.50**	30.49
नियोजित पूँजी की तुलना में बिक्री	**149.13**	151.30
सकल अवरुद्ध राशि की तुलना में बिक्री	**236.17**	241.16
प्रति व्यक्ति बिक्री (लाख रु. में)	**37.28**	31.29

3.5 लाभांश तथा सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण

3.5.1 पिछले वर्ष के 6.10% की दर से रु.8.92 करोड़ के लाभांश की तुलना में, वर्तमान वर्ष में प्रदत्त पूँजी के 10.91% की दर से, रु. 20.00 करोड़ के लाभांश की सिफारिश करने के लिये निदेशकगण हर्ष व्यक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के रु. 1.52 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु. 3.40 करोड़ का अधिशुल्क सहित लाभांश का भुगतान किया जायेगा । पिछले वर्ष के 14,63,400 शेयरों पर रु. 60.95 प्रति ईक्विटी शेयर की तुलना में, मौजूदा वर्ष में रु. 1000/- मूल्य के 18,33,400 शेयरों पर रु. 109.9 प्रति ईक्विटी शेयर का लाभांश तय किया गया है । मिश्रधातु 2010-2011 वित्त वर्ष के लिये रु. 2.00 करोड़ का अंतरिम लाभांश भी जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक सभा में घोषित किये जाने वाले अंतिम लाभांश में समायोजित करने हेतु घोषित किया गया है ।

3.5.2 निदेशकगण यह सूचित करते हुए हर्षित हैं कि पिछले वर्ष की निधि में रु. 34.18 करोड़ के लाभांश अंतरण की तुलना में मौजूदा वर्ष की निधि में रु. 27.02 करोड़ का लाभांश अंतरित किया गया है जिसके फलस्वरूप रिजर्व/ निधि में जमा राशि रु. 154.61 करोड़ हो गयी है ।

4.0 समझौते के ज्ञापन एमओयू के प्रतिकूल निष्पादन

4.1 15 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान-भवन में आयोजित भव्य समारोह में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के करकमलों द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग के खनन तथा धातु क्षेत्र के अंतर्गत, मिधानि को, प्रतिष्ठावान "समझौते के ज्ञापन" के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

4.2 पिछले वर्ष के प्राप्तांक 1.43 की तुलना में वर्ष 2010-2011 में विभिन्न पैरामीटरों में अस्थाई संश्लिष्ट प्राप्तांक के साथ मिधानि के निष्पादन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया ।

4.3 वर्ष 2011-12 के लिए, "उत्कृष्ट" वर्ग की कसौटी पर रु. 88.06 करोड़ की सकल लाभ प्राप्ति तथा रु. 460 करोड़ की वार्षिक बिक्री लक्ष्य की उपलब्धि के साथ-साथ मिधानि ने भारत सरकार के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सारे प्रयास किये जाएँगे ।

5.0 आधुनिकीकरण तथा उन्नयन कार्यक्रम तथा कंपनी की नैगम योजना -2020

5.1 हमारे देश के अनेकों सामरिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपयोगी विशेष स्टीलें, स्टेनलेस स्टील, मिश्रधातुएँ तथा अन्य कई सामरिक उपयोग की मिश्रधातुओं के उत्पादन के लिये बहुविध उपगमन के द्वारा विशेष प्रकार के स्टील के उत्पादन में मिधानि, विश्व के सार्वत्रिक उद्यमों में से एक है । सेमिस तथा मिल के अनेक प्रकारों की बजाए, नये मिश्रधातुओं की नई प्रक्रियाओं तथा तैयार पुर्जों की आपूर्ति की पूर्ति के लिये नये प्रयोजनों के साथ-साथ, मौजूदा उत्पादों के लिये नये विनियोगों / उपयोगों के अतिरिक्त, सरकार तथा हमारे सम्मानित ग्राहकों के पूर्ण सहयोग से आंतरिक उत्पादन-सुविधाओं की वृद्धि तथा आधुनिकीकरण के निमित्त अथक प्रयास किये गये । चूँकि, मिधानि में प्रारंभिक दौर में बड़ी मात्रा में कार्य-प्रचालनों को परिकल्पित नहीं किया गया था, उसके अतिरिक्त निदेशों से उपलब्ध लाभ बहुत कम होने के कारण, चरणवार विकास-योजना को अपनाया गया । इसके फल उपलब्ध हो रहे है ।

5.2 चरण-1:- रु. 151 करोड़ की लागत से सुधार तथा उन्नयन के कार्यक्रमों को पूरा किया गया । इसके निधिकरण का पर्याप्त भाग बड़े ग्राहकों तथा कंपनी के आंतरिक संसाधनों द्वारा उपलब्ध हुआ ।

5.2.1 इस चरण में चालू किये गये प्रमुख उपकरण इस प्रकार हैं:

- 6.5 मेट्रिक टन वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस (वीआईएम) 600 किलो वैक्यूम इंडक्शन भट्टी, गर्म तथा ठंडे रोलर लेवेलर्स के साथ गैस-फायर्ड रोलर हर्थ फर्नेस, वाटर जेट कटिंग मशीन, आधुनिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कटिंग मशीन मिधानि का नवोन्मेश है इसे भी परिचालित किया गया ।
- 10 टी वैक्यूम आर्क री-मेल्टिंग (वीएआर) भट्टी, जिसकी आपूर्ति एएलडी जर्मनी द्वारा हुई थी और जो अंतरिक्ष की आवश्यकताओं के लिये बनाये गये थे और जिसका परीक्षण उत्पादन मार्च, 2011 के अंतिम सप्ताह में आरंभ होगा ।
- इलेक्ट्रान बीम मेल्टिंग फर्नेस (100किलोवाट तथा 300किलोवाट) उत्पादन की उन्नति तथा आर्डर स्थापन की अवस्था में है ।
- रेडियल एक्जियल रिंग रोलिंग मिल, जो रु. 24 करोड़ में आस्ट्रिया (रुस के उत्पादक मैसर्स उर्लमश प्लांट, ओजेएससी) द्वारा प्राप्त किया जा रहा है - सितंबर / अक्तूबर, 2011 तक पूरा होकर मार्च, 2012 में आरंभ होने की संभावना है। इस दिशा में सिविल नींव तथा तत्संबंधित कार्यों की दिशा में कार्यवाही की जा चुकी है।

इस चरण में पूरे किये गये प्रमुख उन्नयन कार्यक्रमों में निम्न शामिल हैं:

- 1500 एमटी फोर्ज प्रेस का पुनर्निर्माण
- पीएलसी कंट्रोल, डेटा लॉगिंग सिस्टम तथा इन्वर्टर पावर सप्लाई सहित 2.2 मेट्रिक टन वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग भट्टी (वीआईएम) का आधुनिकीकरण ।
- 5टी वैक्यूम इंडक्शन रीफाइनिंग फर्नेस (वीआईआर) में स्थित स्टीम इजेक्टर की जगह मेकानिकल वैक्यूम पम्पिंग सिस्टम को लगाना ।
- आटोमेटिक पल्स जेट क्लीनिंग फ्यूम एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम को लगाकर, 5 एमटी इलेक्ट्रिक आर्क का आधुनिकीकरण करना ।
- 5 एमटी वैक्यूम आर्क री-मेल्टिंग फर्नेस (वीएआर), 10 एमटी वैक्यूम आर्क री-मेल्टिंग फर्नेस (वीएआर-1) तथा इलेक्ट्रो, स्लैग री-फाइनिंग फर्नेस के साथ पीएलसी कंट्रोल आटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोलर तथा डेटा लॉगिंग सिस्टम लगाकर आधुनिकीकरण करना ।

- बैंड-सॉ कटिंग मशीन (800 व्यास), थ्रेड रोलिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, एनएच 22-2000 लेथ मशीन की स्थापना तथा आरंभ करना ।

5.2.2 वर्ष के दौरान जो आधुनिकीकरण के पूरे किये गये कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- हेचआरएम के बारमिल की साफ-सफाई, बार तार रोलिंग मिलों के ड्राइवों को बदलना तथा पुराने डीसी ड्राइवों को बदल कर आधुनिक वेरियेबल कंट्रोल ए सी ड्राइवों को लगाना ।
- स्ट्रिप मिल के ड्राइव को बदलना तथा एचआरएम का प्लेट मिल बदलना ।
- वैक्यूम चेम्बर स्ट्रिन्गर रॉड, पिवेटिंग कालम तथा टाइटेनियम फर्नेस शॉप का आधुनिकीकरण करना ।
- ईंटों के ढहने के कारण फर्नेस के ध्वंस होने की संभावना को कम करने के लिए, ईंटों से निर्माण की बजाए, ऊँचे तापमान वाले सिरेमिक ब्लांकेटों से फोर्ज शॉप के री-हीटिंग फर्नेस का आधुनिकीकरण करना ताकि फर्नेस और भी अधिक ईंधन बचत कर सकें ।

5.3 **चरण-II** क्षमता उपयोगिता को बढाने के उद्देश्य से रु. 200 करोड़ की लागत से निर्मित जिसमें रु.100 करोड़ की आर्थिक सहायता / अनुदान, रक्षा मंत्रालय से तथा बाकी की धनराशि, कंपनी के आंतरिक स्रोतो से प्राप्त हुई है । इस चरण के 6000 मेट्रिक टन के मुख्य उपस्कर में 20 मेट्रिक टन रेल बाउंड मैनिपुलेटर द्वारा (जो कलात्मक तकनीक है) मिश्रधातु निगम की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से हैड्रालिक फोर्ज प्रेस के चार स्तंभों को खोलते हैं, वर्ष 2013-14 तक यह प्रेस परिचालित हो जाने की संभावना है । प्रेस की सहायक सुविधाओं के कार्यक्रमों को भी सुनियोजित किया गया है ।

- इस चरण की 10 टी ईएसआर सुविधा, पूरी हो चुकी है तथा इसकी वाणिज्यिक क्रियाशीलता भी प्रतिवेदन के वर्ष के दौरान आरंभ हो गई है ।

5.4.0 **चरण- III :** मिधानि ओएफबी के हथियारों से लैस तथा बैरल मटेरियल जकाल आर्मर प्लेट्स, 4 मि.मी. तथा 7 मि.मी. मोटे अतिरिक्त चौड़े प्लेटों तथा अन्य

अल्टा हाई स्ट्रेंथ स्टील प्लेटों को, अंतरिक्ष तथा परमाणु ऊर्जा आदि क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु, इस चरण के अंतर्गत, रु.507 करोड़ की लागत से बैलेसिंग उपस्कर को जुटाने में कार्यरत है । इस श्रेणी के उत्पादों के लिये जो आवश्यक रोलिंग तथा सहायक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, -- महँगे कच्चेमाल के नुकसान का कारण बन रहे हैं तथा बहुत समय लगने के कारण, आपूर्ति करने में विलंब हो रहा है । अत:, इस चरण में जोड़ी गई सुविधाएँ **युद्ध नीतिक कच्चेमाल के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे ।**

- (ओएफबी) यानी आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (गोला बारूद का कारखाना) द्वारा निधिकृत वीडी/वीओडी सुविधा वीडी/वीओडी सहित निर्मित 20 एम.टी इलेक्ट्रिक एआरसी भट्टी की आपूर्ति के लिये मैसर्स सारेल के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किये गये तथा इस उपस्कर की आपूर्ति वर्ष 2012 के पिछले भाग में की जायेगी।

5.4.1 आपके निदेशकगण यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न हैं कि उपरोक्त सुविधाओं को उत्पन्न करने के लिये सैद्धांतिक अनुमोदन, प्राप्त किया गया था तथा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निधि का पृथक आबंटन भी हो चुका था । मौजूदा आकलनों के अनुरूप, यह उम्मीद की जा रही है कि कंपनी की बिक्री वर्ष 2016 तक करीबन रु. 1000/- करोड़ तक पहुँच जाएगी ।

माननीय रक्षा मंत्री श्री ए.के.अंटोनी, मिधानि के आधुनिकीकरण के लिए शिलान्यास करते हुए । साथ में श्री आर.के.सिंह तत्कालीन सचिव, रक्षा उत्पादन और श्री एम.नारायण राव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानि भी देखे जा सकते हैं ।

6.0 भावी दृष्टिकोण

6.1 मिधानि, अपने कार्पोरेट मिशन को आगे बढ़ाने तथा दीर्घकालिक लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिये अनेकों विविधतायुक्त परियोजनाओं को आरंभ करने की दिशा में अग्रसर है । 2900 मेट्रिक टन प्रति वर्ष के वर्तमान उत्पादन की मात्रा की तुलना में अगले तीन वर्षों में 15,000 मे.टन के उत्पादन को हासिल करने का लक्ष्य भी उसमें शामिल है ।

6.2 फास्टनर्स संयंत्र

6.2.1 नये उत्पादों को विकसित करने के प्रयासों में, मिधानि ने एक संपूर्ण फास्नर का संयंत्र लगाने के लिए कदम उठा रही है, जिससे टाइटेनियम तथा टाइटेनियम मिश्रधातुओं तथा विशेष स्टील से बनी उच्च श्रेणी के फास्नरों की आपूर्ति हो सकेगी ।

6.2.2 इस दिशा में एक समर्पित संयंत्र के निर्माण के तथा सूक्ष्म-उपस्करों के निमित्त भवन-निर्माण हेतु, माननीय रक्षा राज्यमंत्री श्री एम.एम.पल्लम राजू ने 25 जून, 2011 को मिधानि फैक्टरी में नींव रखी ।

7.0 उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी)

7.1 मिधानि ने भारतीय प्रशासन स्टाफ कॉलेज को परामर्शदाता के रूप में तथा मैसर्स प्राइस वाटरहौज कूपर्स को कार्यान्वयन भागीदार के रूप में रखकर उद्यम संसाधन आयोजन के ओराकल - ईबीएस आर12 पैकेज को कार्यान्वित किया है । मिधानि ने उद्यम संसाधन आयोजना एचआरएम, ईएसएस तथा वेतन-चिट्टे जैसे मापदण्डों के लिए उद्यम संसाधन आयोजन के प्रथम चरण को अस्थायी तौर पर दिनांक: 27-05-2009 को, तथा आर्डर मैनेजमेंट मेंटेनेन्स ओएमएम, क्रय,

उत्पाद आयोजना, गुण, मालसूची, वित्त तथा लागत निर्धारक इत्यादि मापदण्डों के लिये दिनांक: 06-09-2010 को, "गो-लिव" घोषित किया है ।

7.2 वर्तमान में व्यवस्थास्थिरीकरण की अवस्था में है तथा "गो-लिव" की स्वीकृति के लिये लंबित / विचाराधीन है । कुछ मुद्दे जो प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं । मैसर्स प्राइसवाटर हौजकपर्स तथा मैसर्स ओरैकल कार्पोरेशस के प्रस्तावोधीन है । इस संभावना पर विचार किया जा रहा है कि वास्तविक समय उपयुक्त समय के सौदे, वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान संपन्न किये जा सकते हैं ।

8.0 श्रमिक उत्पादकता

8.1 प्रति श्रमिक द्वारा मूल्यवृद्धि से संबंधित प्रत्यक्ष श्रमिक उत्पादकता, रु. 67.16 लाख है, जो पिछले वर्ष रु. 61.55 लाख थी । प्रति श्रमिक मूल्य-वृद्धि रु. 25.76 लाख हैं, जो पिछले वर्ष केवल रु. 19.95 लाख थी ।

प्रति-प्रत्यक्ष श्रमिक मूल्य-वृद्धि

9.0 पुरस्कार:

9.1 नवंबर, 2010 में नान-फेरस धातु-विज्ञान उद्योगों के लिये टाइटेनियम संसाधन के विकास की दिशा में योगदान के लिए मिधानि के महाप्रबंधक श्री डी.एन.भाटिया ने, भारतीय धातु संस्थान द्वारा संस्थापित "हिन्दुस्तान जिंक स्वर्ण पदक" प्राप्त किया ।

9.2 वर्ष 2009-10 के लिए कॉसे के वर्ग में दिनांक: 23 दिसंबर, 2010 को, मिधानि के कार्यपालक श्री एन.माइकल प्रवीण ने विविध प्रकार के मशीनों, जिग्स फिक्स्चर्स, जुडनार तथा औजारीकरण आदि के देशज विकास, निर्माण तथा उत्पादन में योगदान के निमित्त,"सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नॉलोजीस" (एसओडीईटी) पुरस्कार प्राप्त किया ।

10.0 क्षमता उपयोगिता

10.1 वर्ष 2010-11 के दौरान पाई गयी क्षमता उपलब्धि 87% थी, जबकि पिछले वर्ष 89% थी । कुल कच्चे माल की लागत में, आयात मात्रा 87% थी जबकि पिछले वर्ष यह 77% थी ।

11.0 परिचालनात्मक कुशलता

11.1 उत्पादन प्रक्रिया से वापस मँगाये गये कच्चे माल के 29% यानी 1863 मेट्रिक टन के पुन: चक्रण के निमित्त, सर्वोत्तम निष्पादन तथा रु. 38.68 करोड़ के मूल्य के कच्चे माल के उपयोग का निवारण, जो गत वर्ष के 33% (1682 मे.टन) तथा रु. 30.85 करोड़ के निष्पादन के मुकाबले अधिक है ।

11.2 वर्ष 2010-11 के दौरान अनुसंधान तथा विकास के प्रयत्नों द्वारा नये उत्पादों के विकास में निम्न अंश सम्मिलित हैं :

- एअरो इंजन के टर्बाइन ब्लेडों के लिये उपयोगी डायरेक्शनल सॉलिडिफाइड सी247ए फीड स्टॉक
- नाभिकीय अनुप्रयोग के लिये फेर्रिक मार्टेन्सिटिक टी92 ।
- नाभिकीय अनुप्रयोग के लिये निकेल आधारित मिश्रधातु सी214 आईजीसीएआर।
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग हेतु विशिष्ट स्टेनलेस स्टील तथा निकेल आधारित मिश्रधातु सुपर्नी-617 ।

11.3 1000 मि.मी. तथा 650 मि.मी. के दो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनों का आंतरिक उत्पादन, जिसके फलस्वरूप रु. 2.40 करोड़ की बचत हुई ।

11.4 350 मि.मी. व्यास वाले बैंड-सॉ के आंतरिक उत्पादन के फलस्वरूप रु. 10 लाख की बचत हुई है ।

11.5 प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान मिधानि के अभियंताओं द्वारा 8 राष्ट्रीय तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय विविध गोष्ठियों में तकनीकी आलेख प्रस्तुत किये गये ।

12.0 ऊर्जा संरक्षण

12.1 प्रसंगाधीन अवधि के दौरान कड़े आवधिक जॉच और आंतरिक बेंचमार्को का विकास करते हुए न्यूनतम ऊर्जा खपत स्तरों को बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास किए गए । सामान्य सुरक्षा उपायों जैसे-रिफ्रैक्टरी एवं बर्नर ब्लॉकों का समय-समय पर रखरखाव, री-हीटिंग फर्नसेस की शीघ्र मरम्मत, गलन के दौरान ऑक्सीजन के उपयोग की मानिटरिंग एवं उपाय, हीट साइकल टाइम में कटौती, कॉम्पैक्ट चार्जिंग उचित रद्दी मिक्स का उपयोग इत्यादि को अति महत्व दिया गया है ।

बिजली और एल पी जी दोनों को वर्ष के दौरान अभिलिखित खपत की संक्षिप्ति को नीचे इस प्रकार दिया गया है

क्रम

सं.	मद	इकाइयाँ	2010-11	2009-10
1	बिजली की कुल खपत	केडब्ल्यूएच	366.88	328.56
2	एल पी जी की कुल खपत	एमटी	लाख	लाख
3	विशिष्ट खपत -	केडब्ल्यूएच/	4,057	3,863
	- प्रति एमटी उत्पादन में बिजली की खपत	एमटी (उत्पा.)	2,332	2,682
	- प्रति एमटी उत्पादन में एलपीजी की खपत	एमटी (एलपीजी)/ एमटी (उत्पा.)	0.26	0.32

13.0 विपणन एवं व्यापार विकास

13.1 समुद्रपार आपूर्तिकताओं से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा तथा आयातीत कच्ची सामग्री के मूल्यों में अचानक और भारी गिरावट के चलते बिक्री मूल्यों पर भारी दबाव आदि प्रतिकूल कारकों के बावजूद वर्ष 2010-11 के दौरान मिधानि में आर्डर बुकिंग की स्थिति संतोषजनक थी । वर्ष 2011-12 के प्रारंभ तक संचित आर्डर रु.725 करोड़ रहा तथा वर्ष 2010-11 के दौरान रु.415 करोड़ के आर्डर बुक किए गए । आगे, वर्ष के दौरान उच्च मूल्य और मूल्य आधारित उत्पादों की आपूर्ति हेतु दीर्घावधि करार एवं व्यापार करार किए गए जिसके कारण कंपनी उच्चतर आर्डर बुक हासिल करने में समर्थ रही । वर्ष के दौरान मिधानि ग्राहक समूह में 40 नये ग्राहक सम्मिलित हुए ।

13.2 मुख्य आर्डर बुक के लिए योगदान देने वाले प्रमुख सेक्टरों में: रक्षा 53% तक, अंतरिक्ष से 17%, परमाणु ऊर्जा से 13% तथा अन्य क्षेत्रों से 17% आदि रहे

है। समग्र रूप में सामरिक क्षेत्रों द्वारा से बुक कराये गये आर्डर 83% हैं जो गत वर्ष के समान हैं ।

13.3 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जिन सेक्टरों से आर्डर बुकिंग की गई वे हैं - अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, रक्षा काफी प्रोत्साहजनक रहा है । ऐरो सेक्टर से आर्डर बुकिंग उत्साहजनक नहीं रहा है क्योंकि एच ए एल कोरापुट ने मिग इंजन का उत्पादन रोक दिया है तथा कावेरी इंजन परियोजना की भी आवश्यकता नहीं रही है । अत: वर्ष 2011-12 के दौरान इस सेक्टर में स्थितियों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे है ।

13.4 ऐसी संतोषजनक आर्डर बुक स्थिति मिधानि को उत्पादन अनुसूचियों को व्यवस्थित रूप से बनाये रखने और प्रतिस्पर्धी लागतों पर विश्वसनीय स्रोतों के साथ बाह्यस्रोत क्रियाकलापों की योजना बनाने में समर्थ रही है इससे गुणवत्तापरक मानकों को बनाए रखने और यथा समय आपूर्ति को बनाए रखने में मदद मिली है ।

13.5 गुणवत्ता और समय पर सुपुर्दगी के संदर्भ में ग्राहकों के विश्वास और लाभ को बनाए रखने के लिए कई कार्यक्रमों जैसे-उन्नतिकरण एवं उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, अति आधुनिक उत्पादन सुविधाओं की संस्थापना "शून्य" ग्राहक शिकायत को सुनिश्चित करना, बाह्यस्रोत क्रियाकलाप का प्रभावी प्रबंध आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रारंभ किया गया ।

13.6 प्रसंगाधीन अवधि के दौरान क्रियाकलाप जैसे-उत्पत्ति में सुधार, अनुसंधान एवं विकास प्रयास, समसामयिक अत्याधुनिक निर्माण सुविधाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना आदि को उच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि लाभों से होकर गुजरने वाले मुख्य उद्देश्यों के साथ उच्चतर उत्पादन को प्राप्त किया जा सके और "ग्राहक पूर्ण संतुष्टि" के अनंतिम उद्देश्य से ग्राहकों को लाभ दिलाया जा सके । उक्त वर्ष के दौरान किसी प्रकार की ग्राहक शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

13.7 वर्ष के दौरान निष्पादित कुल आर्डरों का मूल्य रु.418 करोड़ रहा । उसी प्रकार से वैयक्ति सेक्टरों को की गई आपूर्ति में वर्ष के दौरान मूल्य निम्न रूप में इस प्रकार रहे जैसे- रक्षा:रु.153 करोड़, परमाणु ऊर्जा रु.44 करोड़, अंतरिक्ष रु.154 करोड़, बिजली रु.17 करोड़, सामान्य इंजीनियरिंग रु.50 करोड़ आदि ।

13.8 मिधानि ने दि.24 नवंबर, 2010 को सरकारी ग्राहकों की बैठक आयोजित की जिसमें विभिन्न सामरिक क्षेत्रों जैसे- इसरो, डीआरडीओ, नेवी, एचएएल, भाविनी, डीएई आदि से 90 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । अंतरिक्ष, परमाणु सेक्टरों एवं वाणिज्यिक संगठनों जैसे- बीएचईएल ने अगले 10 वर्षों के लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया । इस बैठक में विशेष धातु और मिश्रधातु की दीर्घावधि और वर्तमान आवश्यकताओं पर ग्राहकों के साथ विचार-विमर्श किया गया और अपनी भावी योजनाओं की पूर्ति के लिए अंशदानों के लिए मिधानि ने उनके योगदानों की आशा जतायी ।

13.9 निर्यात

गत वर्षों के दौरान मिधानि के निर्यातों में स्लैब और राउण्ड्स के रूप में टाइटेनियम मिश्रधातु और मॉलिब्डेनम वाइरो पर फोकस दिया गया । अस्थिर कच्ची सामग्रियों के मूल्य जैसे- टाइटेनियम स्पांज, मॉलिब्डेनम पाउडर एवं छोटी उत्पादन सुविधाओं के बावजूद मिधानि ने पारंपारिक बाजारों को निर्यात बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम वायरों एवं टाइटेनियम उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्यों का प्रस्ताव किया है ।

13.9.1 लागत प्रतिस्पर्धिता की कमी के कारण विश्व मंदी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ा मुकाबला और लंबी सुपुर्दगियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान मिधानि का निर्यात कार्यनिष्पादन प्रोत्साहजनक रहा । मैसर्स प्रैट एवं विटनोई, यू एस ए, मैसर्स टाईमेट, यू एस ए, मैसर्स हॉवालडस्टवर्क, ड्यूश वर्फ्ट,

जी एम बी एच (एच डी डब्ल्यू) जर्मनी के प्रतिनिधि एवं ने स्रोर्सिंग टाईटेनियम मिश्रधातुएँ, सुपर मिश्रधातु एवं मिधानि से विशेष स्टील में रुचि दिखा रहे हैं। आने वाले वर्षों में मिधानि के वास्तविक विस्तार और आधुनिकीकरण से प्रतिस्पर्धी भावना सुधरेगी और निर्यात बाजार में प्रवेश हेतु अवसर भी पनपेंगे ।

13.10 विशेष उत्पादों का विपणन

13.10.1 समाज के प्रति समष्टिक सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में मिधानि ने अत्यंत किफायती दामों पर जरूरत मंद संगठनों को बॉयो मेडिकल उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति क्रियाकलापों को जारी रखा है । प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान ऐसी आपूर्ति की राशि रु.27 लाख रही जिसमें कैंसर के रोगियों के लिए 70 कस्टम मेड प्रोस्थेसिस भी सम्मिलित हैं ।

मानव कल्याण हेतु बायो-इम्प्लांटों का निर्माण

13.10.2 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान मिधानि ने रु.76 लाख मूल्य के फास्टनर्स की भी आपूर्ति की है ।

13.11 प्रभावी विपणन नीति के रूप में मिधानि ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्वयं की भूमिका को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और सेमिनारों जिन कार्यक्रमों में मिधानि ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है उन कार्यक्रमों के नाम इस

प्रकार है - अफ्रीका ऐरोस्पेस एवं डिफेंस 2010 (एएडी 2010) जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी जिसे केप टाऊन, दक्षिण अफ्रीका में सितंबर, 2010 के दौरान आयोजित किया गया, सिल्वर-जुबिली-मिसाइल सेमिनार एवं तकनीकी प्रदर्शन जिसे आई एन एस कलिंग, वैजाग द्वारा नवंबर, 2010 में आयोजित किया गया । इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जिसे प्रगति मैदान, नई दिल्ली में डिफेंस प्रदर्शनी संगठन द्वारा नवंबर, 2010 के दौरान आयोजित किया गया। एअरो इंडिया, 2011 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी को येलहंका, बैंगलोर में फरवरी, 2011 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया । नाभिकीय सामग्री में उन्नयन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई और भारतीय धातु संस्थान, मुंबई, चैप्टर एट मुंबई दोनों के सहयोग से फरवरी, 2011 को संयुक्त रूप से आयोजित किया गया ।

14.0 गुणवत्ता नियंत्रण एवं आश्वासन

14.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मिधानि के गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम आई एस ओ 9001-2008 के नविनीकरण लेखापरीक्षा का आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के लेखा परीक्षकों द्वारा फरवरी, 2011 के दौरान आयोजित किया गया और लेखापरीक्षा के दौरान कोई विसंगतियॉं नहीं पाई गईं । नवीनीकृत लाइसेंस 15-02-2014 तक विधि मान्य है ।

15.0 मानव संसाधन विकास

15.1 मानव संसाधन को हमारे संगठन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आस्ति के रूप में मान्यता दी गई है । अपने संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिधानि लगातार अपने उद्देश्यों में प्रेरित, प्रतिबद्ध और कार्यबल को बनाए रखे हुए है

आज एच आर प्रबंध ने पारंपरिक समर्थन प्रकार्यों को सामरिक प्रकार्यों में अंतरित कर दिया है । वैश्वीकरण ने व्यापार व्यवहार्यता मूल्य में अतिरिक्ति एवं लाभोन्मुखता पर बल देते हुए व्यापार वातावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये हैं । मिधानि ने यह पहचान कर ली है कि उसके कर्मचारी ही उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण आस्ति हैं और संपूर्ण विश्वभर में प्रतिस्पर्धा के परिदृश्य में मुख्य विभेदकर्ता हो सकते हैं । व्यापार रणनीतियों के साथ मानव संसाधन कार्यों का मिलान करना ही मिधानि का मुख्य मुद्दा रहा है ।

मिधानि की मानवशक्ति ही उसकी मुख्य आस्ति है । कर्मचारी वर्ग अत्यंत कुशल एवं प्रेरणाप्राप्त है । कंपनी के समक्ष हमेशा से यह चुनौती रही है कि उपयुक्त प्रशिक्षण एवं विकास माड्यूलों के द्वारा उनके ज्ञान और कौशलों में निरंतर उन्नयन किस प्रकार से करें । कर्मचारियों के बीच अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ बी सी कर्मचारियों के विकास हेतु विशेष बल दिया गया है ।

दिनांक: 31-3-2011 को कंपनी में स्थायी वर्ग के अंतर्गत कुल मानव शक्ति बल निम्न प्रकार है :

	गैर-कार्यपालक	असंगठित यूनियन के पर्यवेक्षक	कार्यपालक	कुल
पुरुष	663	170	236	1069
महिला	22	8	22	52
कुल	685	178	258	1121
पिछले वर्ष	775	161	259	1191

उपरोक्त में कार्यात्मक निदेशक एवं प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्ति भी शामिल हैं । विवरणियों में अनुसूचित जाति / जनजाति / ओबीसी / शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति एवं उनकी नियुक्ति आदि को अनुबंध-1 में दिया गया हैं ।

15.2 कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) और उसके तहत बनाए गए नियमों में कंपनी ने किसी कर्मचारी को आवरित नहीं किया है ।

15.3 औद्योगिक संबंध

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध निरंतर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं । पिछले वर्षों की तरह ही प्रबंधन को कर्मचारी वर्ग से लगातार सहयोग और अधिकतम समर्थन प्राप्त हुआ है ।

प्रबंधन द्वारा आपसी विश्वास का वातावरण निर्माण करते हुए, सहभागी प्रबंध, संगठन के रणनीतिपरक सिद्धांतों की दिशा में अनुपालन स्तर का उन्नयन एवं कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करते हुए पूर्वोपाय उदार मानव संबंधों को बरकरार रखा गया हैं ।

15.4 गैर-कार्यपालकों के लिए वेतनमान का संशोधन

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 (3) के अंतर्गत कार्यबलों के वेतन संशोधन के संबंध में मान्यता प्राप्त युनियनों के साथ निपटान ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके ।

15.5 छोटा परिवार कानून को बढ़ावा देना

सरकार की नीति के अंग के रूप में मिधानि अपने कर्मचारियों में छोटे परिवार को बढ़ावा देने के प्रति लगातार प्रतिबद्ध हैं ।

15.6 प्रशिक्षण एवं विकास

15.6.1 221 कार्यपालकों, 11 पर्यवेक्षकों और 118 गैर-कार्यपालकों के लिए आंतरिक और बाहरी कार्यक्रमों दोनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । मिधानि अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 8 तकनीकी प्रपत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 प्रपत्र प्रस्तुत किया। उत्तरोत्तर योजना के अंग के रूप में कंपनी ने वर्ष 2009 में 23 प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों को तथा विभिन्न विषयों में 2010 में 14 प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों को समाहित किया । इन सभी को संगठन में शीर्ष स्तर पर अनुमोदित अनुसूचित और संरचनापरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत आधारिक इंजीनियरिंग और अनुप्रयोग इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

15.6.2 फरवरी, 2011 के दौरान "सतत ऊर्जा एवं पर्यावरण के लिए हरित उत्पादकता विषय पर उत्पादकता सप्ताह" का आयोजन किया गया ।

15.6.3 विभिन्न रक्षा कार्मिकों, अधिकारियों एवं अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों और भारत में स्थित नामी इंजीनियरिंग कॉलेजों / विश्वविद्यालयों को मिधानि में 24 संयंत्र दौरों की अनुमति प्रदान की गई । प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत प्रशिक्षण एवं विकास विभाग सांविधिक प्रशिक्षण के मार्गदर्शन के अंतर्गत कंपनी में 130 इंजीनियरिंग एवं एम बी ए छात्रों के लिए परियोजना कार्य प्रारंभ किये गये ।

16.0 सांविधिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

16.1 राजकोष को अंशदान

16.1.1 वर्ष 2010-11 के दौरान आपकी कंपनी ने शुल्कों, बिक्री करों, आय कर एवं उप शुल्क के रूप में रु. 7,956 लाख की राशि का अंशदान किया जबकि पिछले वर्ष यह रु. 6,295 लाख थी ।

16.2 कर्मचारी कल्याण

16.2.1 प्रसंगाधीन के दौरान कई कर्मचारी कल्याण उपायों को जारी रखा गया । अनुसूचित जाति / जनजाति और ओ बी सी वर्ग के कर्मचारियों के श्रेष्ठ श्रेणी के बच्चों / छात्रों को नगद पुरस्कार प्रदान किये गये । समाज के कमजोर तबकों के प्रति समष्टिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कंपनी ने अनुसूचित जाति / जनजाति और ओ बी सी वर्गों के छात्रों को नकद पुरस्कार प्रदान किए । कंपनी की आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 87 क्वार्टर वाले छोटे टाऊनशिप का रखरखाव करते हुए मिधानि लगातार अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर रही है ।

16.2.2 मिधानि टाऊनशिप में कंपनी द्वारा ब्रह्म प्रकाश डी ए वी स्कूल, को मिधानि के कर्मचारियों के बच्चों के लाभ हेतु चलाया जा रहा है जो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है ।

16.3 महिलाओं का सशक्तिकरण

मिधानि महिला कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक मंच को प्रदान कर रही है जिससे वे अपनी क्षमताओं को पहचान सकें, प्रतिबद्धता जॉब कार्यों के निष्पादन हेतु स्वयं जिम्मेदारी ले सकें तथा संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने में जो योगदान कर रही हैं उसमें गौरवान्वित महसूस कर सकें । महिला कर्मचारियों के कल्याण हेतु मिधानि कानूनन सभी सुविधाओं को मुहैया करा रही हैं ।

16.3.1 मिधानि में दि : 8 मार्च, 2011 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया । बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ आंतरिक प्रशिक्षण

के लिए महिला कर्मचारियों अर्थात् कार्यपालक और गैर-कार्यपालक दोनों को नामित किया गया ।

16.3.2 31-3-2011 को महिला कर्मचारियों की संख्या 52 थी जबकि पिछले वर्ष 31-3-2010 को यह संख्या 53 थी ।

16.3.3 महिला सशक्तिकरण के लिए मिधानि को प्रतिबद्धता के अंग के रूप में फास्टनर्स के उत्पादन के लिए एक संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें मात्र महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा । श्री एम.एम. पल्लम राजु ने इसकी आधारशिला रखी ।

16.3.4 माननीय रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय ने 25 जून, 2011 को उच्च गुणवत्ता वाले फास्टनर्स के उत्पादन हेतु एक संयंत्र मिधानि को समर्पित किया । ये फास्टनर्स आइटेनियम और टाइटेनियम मिश्रधातु और विशेष स्टील से बने हुए हैं ।

16.4 सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

16.4.1 मिधानि एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जो आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही हैं । प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान सूचना प्राप्तिकर्ताओं की संख्या समुचित रूप से बढ़ी है । नागरिकों को सूचना की सुविधा देने और कंपनी के सिद्धांतों के और कार्पोरेट शासन के अंग के रूप में मिधानि के वेबसाईट में कंपनी समाचार एवं विकास को अपलोड करते हुए निरंतर प्रक्रिया को अद्यतन किया जा रहा है।

16.5 राजभाषा कार्यान्वयन

16.5.1 सरकारी कंपनी होने के नाते मिधानि में भारत सरकार की राजभाषा नीति लागू है तथा राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1973 और सरकारी

कार्य में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए उसके तहत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुपालन के प्रति मिधानि प्रतिबद्ध है । कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई । कंपनी ने मार्च, 2011 में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भी भाग लिया ।

16.5.2 प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान 3 (तीन) हिन्दी जागरूकता कार्यशालाओं को आयोजित किया जिसमें 40 कर्मचारियों ने भाग लिया । कुल 19 कर्मचारियों को "प्रवीण और प्राज्ञ" पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया । आगे, सरकारी काम-काज में हिन्दी के उपयोग में सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ।

16.5.3 भारत सरकार और कंपनी के बीच समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी में प्रकाशित किया गया।

16.5.4 प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान "हिन्दी दिवस" समारोह जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा टेक्नो वाणिज्यिक वार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका "संकल्प" के 8वें अंक का विमोचन किया गया ।

16.6 छोटे / सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन

वर्तमान में कंपनी की कोई सहायक या नियंत्रणाधीन कंपनी नहीं है, परंतु विभिन्न उत्पादों और अन्य सेवाओं को प्रदान करते हुए छोटे और मध्यम आकार वाले इकाईयों के साथ एस एस आई इकाईयों को विकसित कर कंपनी प्रोत्साहन दे रही है । पिछले वर्ष 49 इकाईयों से रु. 356.11 लाख की तुलना में इस वर्ष छोटे उद्योग क्षेत्र की 64 इकाईयों से रु. 1028 लाख की राशि के मूल्य के आदेश दिए गए ।

16.7 नैगम सामाजिक जिम्मेदारी

16.7.1 लोक उद्यमों द्वारा नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के प्रभावी क्रियान्वयन पर अप्रैल, 2010 के दौरान लोक उद्यम विभाग द्वारा दिशानिर्देशों को जारी किया गया इसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में माना गया । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कार्यक्रमों पर रु.0.45 करोड़ की राशि व्यय की गई । मिधानि द्वारा संचालित ब्रम्ह प्रकाश दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल (बी पी डी ए वी) के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में "रजत जयंती" को मनाया गया । उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु मिधानि के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में एक दिन के वेतन का योग दान दिया ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मिधानि के नैगम सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए पर्यावरण सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में माना गया ।

16.8 पर्यावरण प्रबंध

16.8.1 बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण कार्यक्रमों और रखरखाव करते हुए मिधानि अपने फैक्ट्री के इर्द-गिर्द परिसर में पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने और बनाए रखने के निरंतर प्रयास कर रहा है । मिधानि के चारो ओर हजारों पौधों का रोपण करते हुए जिसमें 50 से अधिक पौध प्रजातिया उगाई गई है । इससे वायु / धूल प्रदूषण कणों का नियंत्रण ही नहीं होता बल्कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को भी आकर्षित किया जा रहा है ।

17.0 सतर्कता

17.1 दि: 25 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । इस अवसर पर जागरूकता क्रियाकलापों के बारे में जागरूकता का सृजन करते हुए गणमान्य अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करते हुए विभिन्न सेमिनारों का आयोजन किया गया तथा कर्मचारियों को सतर्कता शपथ भी दिलायी गई ।

17.2 वर्ष के दौरान कंपनी ने सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए प्रभावी उपायों को प्रारंभ किया । प्रापण मामला फाइलों के परीक्षण के फलस्वरूप यथावश्यक सुझावात्मक सिस्टम में सुधार हुआ है । वर्ष के आकसिमक रूप से किए गए जांच के दौरान शिनाख्त किए गए अंतरालों पर निवारण परक सतर्कता परामर्श और सिस्टम सुधार का सुझाव दिया गया । इनमें प्रमुख थे - सेन्ट्रल स्टोर्स में स्टोरेज शेड्स के सभी रूफ शीट्स का विस्थापन जिसे वर्ष के दौरान किया गया। ऐसा न करने पर उसके छत से जल का रिसाव हो रहा था जिसके कारण महंगे कच्चे माल को नुकसान हो रहा था । इसके अलावा ऑफ लोडिंग जॉब के लिए अधिक स्रोतों को विकसित करने के लिए समिति का गठन किया गया ।

17.3 सतर्कता विभाग का मुख्य फोकस दंडात्मक सतर्कता के बजाय निवारणात्मक और खोजपरक सतर्कता पर रहा है । इसे वर्ष के दौरान आयोजित सतर्कता जागरूकता अवधि के दौरान दोहराया गया । सतर्कता और पुलिस पर कर्मचारियों को जानकारी देने हेतु नामी अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित किया गया । ये अतिथि वक्ता मुख्यत: सतर्कता और पुलिस विशेषज्ञ से संबंधित थे जिन्होंने उपरोक्त अवधि के दौरान शॉप फ्लोर कार्यपालकों के साथ परिचर्चा सत्रों के दौरान सतर्कता संबंधी मुद्दों पर आवश्यक मार्गदर्शन और सतर्कता पहलुओं पर कर्मचारियों को शिक्षा दी।

18.0 प्रकटीकरण से सामान्य छूट

18.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (4) एवं 217 (1)(ई) के उपबंधों के अनुपालन से भारत सरकार ने कंपनी को छूट दी है । इसे कंपनी के (निदेशक मंडल के रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 लाभ हानि लेखा में उत्पादित माल पर मात्रात्मक सूचना और ऊर्जा / तकनॉलोजी संविलयन का संरक्षण / विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम इत्यादि को निदेशकों का रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए ।

19.0 विदेश यात्रा

19.1 कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा की गई विदेश यात्रा के प्रति रु. 104.20 लाख की राशि व्यय की गई (पिछले वर्ष रु. 65.55 लाख) । यात्रा का मुख्य उद्देश्य तकनोलॉजी विकास एवं विपणन / व्यापार विकास / सामग्रियों / उपकरणों का पूर्व निरीक्षण था ।

20.0 मनोरंजन व्यय

20.1 वर्ष के दौरान रु. 0.41 की राशि को मनोरंजन व्यय के रूप खर्च किया गया । (पिछले वर्ष रु. 0.55 लाख) जो बिक्री व्यापारवर्त का 0.001% भाग है ।

21.0 नैगम शासन

21.1 भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग के ओ एम सं. 18(8) 2005 - जी एम दि: 14 मई, 2010 के अनुसरण में जारी संशोधित दिशानिर्देशों को मिधानि ने कार्यान्वित किया है । मिधानि में चरणवार आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यक्रमों

को प्रारंभ किया गया है जिससे नजदीक भविष्य में व्यापार के मूल्यांकन और प्रबंध जैसे मुद्दों को प्रारंभ किया जा सके ।

21.2 कंपनी के निर्णय के प्रत्येक पहलू में लेटर और स्पीरिट में बुनियादी सिद्धांतों और कार्पोरेट शासन के दर्शन को अपनाया गया है ताकि सु कार्पोरेट शासन को समसायियक मांग के साथ जोड़ा जा सके ।

21.3 सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार एवं नीति के संशोधित कोडों को कंपनी में कार्यान्वित किया जा रहा है । इसकी सम्बद्धता को वार्षिक आधार पर संबंधित सदस्यों द्वारा पुष्टि की जा चुकी है । मुख्य कार्यपालक से इस आशय के प्रमाण-पत्र को इस रिपोर्ट का भाग बनाया गया हैं **[परिशिष्ट:VI]** । कार्पोरेट शासन पर विस्तृत रिपोर्ट और प्रबंध परिचर्चा और विश्लेषण पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट **(अनुबंध-II)** और **(अनुबंध-III)** में क्रमश संलग्न किया गया है । इस संबंध में डी पी ई द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों की सम्बद्धता और कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित और ऐसे प्रमाण-पत्र को **परिशिष्ट:V** में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है ।

22.0 निदेशक मंडल

22.1 वर्ष 2010-11 के दौरान और इस रिपोर्ट के दिनांक तक मिधानि के निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित बदलाव किए गए है ।

क) के संबंध में राष्ट्रपति आदेशों को प्राप्त किया गया है:

i) डॉ.जी. मालकोंडय्या सम्मानित वैज्ञानिक निदेशक, डी एम आर एल, हैदराबाद को बोर्ड के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति; उन्होंने दि: 14-7-2010 से कार्यभार ग्रहण किया ।

ii) डॉ दीपंकर बनर्जी, प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान संस्थान एवं श्रीमती इंदू लिबरहन, भूतपूर्व सचिव, रक्षा मंत्रालय (वित्त) को बोर्ड के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, उन्होंने दि: 09-12-2010 को कार्यभार ग्रहण किया ।

iii) डॉ. कोटा भानु शंकर राव, डीन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइन्स एंड टेक्नॉलोजी, युनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को बोर्ड के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति की गयी, उन्होंने दि: 27-04-2011 को कार्यभार ग्रहण किया।

डॉ दीपंकर बनर्जी, निदेशक

श्रीमती इंदू लिबरहन, निदेशक

डॉ. कोटा भानु शंकर राव, निदेशक

मिधानि के निदेशक मंडल में पदभार संभालने जा रहे अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों का स्वागत करते हुए मिधानि के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ।

iv) डॉ. दिनेश कुमार लेखी, महा प्रबंधक, सेल ने, मिधानि के निदेशक मंडल में निदेशक (उत्पादन व विपणन) का पदभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया, जो 1 सितंबर, 2011 से पदभार ग्रहण करेंगे ।

डॉ. डी.के.लिखी, महा प्रबंधक, सेल, मिधानि में 1-9-2011 से निदेशक (उत्पादन व विपणन) का पदभार संभालने वाले हैं ।

V) मिधानि के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के कार्यकाल 27-07-2011 को समाप्त होने के कारण वे अपना पदभार, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी किये गये मध्यकालिक आदेशों के अनुसार अपना पदभार संभाल रहे हैं ।

ख रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से प्राप्त आदेशों में रक्षा मंत्री का अनुमोदन ।

i) श्री पी.के.कटारिया, अपर एफ ए (के) एवं जे एस को बोर्ड के "स्थायी विशेष आमंत्रित" के रूप में नियुक्ति । इन्होंने दि: 28-04-2011 को श्री पी.के.मिश्रा, अपर एफ ए (एम) और जे एस के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया ।

मिधानि के निदेशक मंडल में स्थाई विशेष आमंत्रित के रूप में पदभार संभालने जा रहे श्री पी.के.कटारिया, अपर वित्त सलाहकार (के) एवं संयुक्त सचिव को आमंत्रित करते हुए मिधानि के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ।

22.2 वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड में नये निदेशकगण और विशेष आमंत्रित के बॉयो-डाटा (जीवन-वृत्त) को इस रिपोर्ट का भाग बनाया जाएगा ।

22.3 आलोच्य अवधि के दौरान मिधानि के बोर्ड पर प्रोफेसर आर.के.मिश्रा और डॉ (श्रीमती) बी.किन्नेर मूर्ति को अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में उनकी कार्यावधि को समाप्त किया गया और तदनुसार दि: 01-11-2010 से बोर्ड के निदेशक के रूप में सेवायें समाप्त की गई ।

23.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

23.1 निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार ये पुष्टि की जाती है कि :

क दि: 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा को तैयार करने में स्वीकृत लेखाकरण मानकों को सामग्री निर्गम, यदि हो तो उचित स्पष्टीकरण के साथ अपनाया गया हैं ।

ख निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप में लागू किया है तथा ऐसे निष्कर्षों और आकलनों को तैयार किया है जो समुचित है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् 31 मार्च, 2011 को कंपनी के मामले और उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि लेखा की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है ।

ग कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों और समय-समय पर किए गए संशोधन एवं कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी का पता लगाने और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए निदेशकों ने समुचित लेखाकरण रिकार्डों के रखरखाव में उचित और समुचित ध्यान दिया है ।

घ निदेशकों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा को प्रचलित पद्धति आधार पर तैयार किया है ।

24.0 लेखापरीक्षकगण एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

24.1 नियंत्रक एवं भारत के महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 2011 को समाप्ति वर्ष के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षा को आयोजित करने के लिए मैसर्स सत्यम एवं वीरभद्र, चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स, हैदराबाद को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

24.2 लेखा परीक्षकगणों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 4 (क) और (ख) के संदर्भ में स्वत: स्पष्ट लेखों का अंग बनने वाली अनुसूची-20 की क्रमश: टिप्पणी संख्या 23, 5(ii) और 7 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

25.0 नियंत्रक एवं भारत के महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2011 को समाप्ति वर्ष के लिए नियंत्रक एवं भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों पर टिप्पणियों को सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट के बाद इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है ।

26.0 आभार प्रदर्शन

26.1 रक्षा मंत्रालय से प्राप्त रचनात्मक समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन विशेषकर रक्षा उत्पादन विभाग एवं केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न एजेन्सियों के प्रति बोर्ड धन्यवाद अर्पित करता है और आने वाले वर्षों में आपकी कंपनी के सतत विकास में निरंतर समर्थन और सहयोग की आशा करता है ।

26.2 निदेशकगण कंपनी के मूल्यवान, ग्राहकगणों विशेषकर वीएसएससी, रक्षा, ओएफबी, परमाणु ऊर्जा विभाग इत्यादि द्वारा दिए गए समर्थन और निरंतर ग्राहकी के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं और बोर्ड भी कंपनी के अपने विक्रेता, बैंकर्स, सी एवं एजी सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षकों अध्यक्ष - लेखा परीक्षा समिति / सलाहकारों / परामर्शदाताओं इत्यादि को वर्ष के दौरान दिए गए निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं ।

26.3 बोर्ड सभी स्तरों पर विशेषकर कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति सराहना करते है जिन्होंने आलोच्य अवधि के दौरान विकास पथ को बनाये रखने कंपनी का सहयोग दिया है और भविष्य में भी इसे बनाए रखने की आशा व्यक्त की हैं ।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

(एम.नारायण राव)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद

दिनांक: 22.08.2011

अनुबंध - I

दि: 31-03-2011 को अनुसूचित जाति, अनु.जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक विकलाँग वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व

वेतन मान व समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	कर्मचारियों की संख्या				
		अनु. जाति	अनु.जन. जाति	अन्य पिछडे वर्ग	शारीरिक विकलाँग	भूतपूर्व सैनिक
कार्यपालक वर्ग ' क ' (रु.16,400-40,500 व अधिक)	253	33	6	49	2	1
वर्ग ' ख ' रु.12,600-32.500 (ग्रेड-1) (गैर यूनियनीकृत पर्यवेक्षक काडर) रु.12,250-31,600	5 178	- 11	- 1	3 34	1 -	- 4
अकार्यपालक वर्ग "ग" रु. 8,500-20,850 से रु.11,750-33,360 तक	615	120	34	297	16	22
वर्ग "घ" रु. 6,600-16,310 से रु.8,350 -20,470 तक	70	14	5	26	2	-

वर्ष 2010 के दौरान अनुसूचित जातियों की भर्ती

वेतन मान व समूह	वर्ष के दौरान की गई भर्तियाँ	आरक्षित पदों की संख्या		उम्मीदवारों की संख्या	
		अनु. जाति	अनु.जन. जाति	अनु. जाति	अनु.जन. जाति
कार्यपालक वर्ग ' क ' (रु.16,400-40,500 व अधिक)	23	4	1	4	1
वर्ग ' ख ' रु.12,600-32.500 (ग्रेड-1) (गैर यूनियनीकृत पर्यवेक्षक काडर) रु.12,250-31,600	-	-	-	-	-
अकार्यपालक वर्ग "ग" रु. 8,500-20,850 से रु.11,750-33,360 तक	-	-	-	-	-
वर्ग "घ" रु. 6,600-16,310 से रु.8,350 -20,470 तक	-	-	-	-	-

अनुबंध - II

नैगम शासन पर रिपोर्ट

(इस रिपोर्ट की तिथि तक)

1.0 नैगम शासन पर कंपनी का सिद्धांत ।

1.1 मिश्रधातु निगम लिमिटेड (मिधानि) एक लघु रत्न श्रेणी-I कंपनी है, यह कार्पोरेट शासन के मूलभुत सिद्धांतों जैसे-ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता पर्याप्त प्रकटीकरण, कानूनी अनुपालनों, निष्पक्ष निर्णय लेने आदि को अपनाते हुए अपने व्यापार भूमिका आवश्यकताओं के निवर्हन में विश्वास करता हैं । एक अच्छे कार्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी अपने मिशन को उद्देश्यों, अच्छे कार्पोरेट मूल्यों के साथ व्यापार दायित्वों और सभी क्षेत्रों में नीति के उच्चतम मानकों को हासिल करने का प्रयास करता है । सु-शासन और उसकी पद्धतियां, उसके कथित विश्वास और समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं जो कंपनी से जुड़े सभी संबंधितों अर्थात् मालिको, ग्राहकगणों, आपूर्तिकर्ताओं, ऋणदाताओं और बड़ी संख्या में सरकारी एजेन्सियों और समितियों के लिए मूल्यों को बढ़ाकर लम्बे समय तक बनाए रखती हैं। इस दिशा में बोर्ड ने प्रभावी जवाबदेहिता, कानून के प्रति सम्मान, मानव संसाधन के विकास और वृद्धि के लिए वातावरण के-निर्माण सहित कंपनी परिचालनो के विभिन्न पहलुओं जैसे-योजना बजट, आंतरिक नियंत्रण, संकट जोखिम प्रबंधन, संचार नीति के लिए पर्यावरण सृजन करने सहित है ।

2.0 निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड के सदस्यों का संयोजन एवं ब्यौरे

समय-समय पर संशोधित कंपनी संघ के अनुच्छेदों के उपबंधों के अनुसार मिधानि के बोर्ड की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या क्रमश: 2 और 15 है । निदेशकों को अर्हता प्राप्त शेयरों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं हैं ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड का गठन किया गया । इस रिपोर्ट की तिथि को मिधानि के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को मिलाकर 8 (आठ) निदेशक शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय द्वारा बोर्ड में एक

(1) स्थायी विशेष आमंत्रित को नामित किया गया है और इस प्रकार बोर्ड का गठन निम्न रूप में हैं:

(क) कार्यात्मक / पूर्णकालिक निदेशक : 3 (तीन)

(i) श्री एम.नारायण राव,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ii) श्री वी.एस.कृष्णमूर्ति
निदेशक (वित्त)

(iii) श्री वी.एस.वर्मा
निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)

(ख) अंशकालिक आधिकारिक/सरकारी निदेशक: 2 (दो)

(i) श्री ज्ञानेश कुमार,
संयुक्त सचिव (नौसैनिक प्रणालियॉं)
रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय

(ii) डॉ जी.मालकोंडय्या
लब्धप्रतिष्ठित वैज्ञानिक,
निदेशक, डीएमआरएल, डीआरडीओ
रक्षा मंत्रालय (14-07-2010 से)

(ग) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक: (3)

(i) श्रीमती इंदु लिबरहान (09-12-2010 से)
पूर्व-सचिव,
रक्षा मंत्रालय (वित्त)

(ii) डॉ दीपंकर बनर्जी
प्रोफेसर, मटीरियल इंजीनियरिंग विभाग
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस,
बैंगलोर (09-12-2010 से)

(iii) डॉ. कोटा भानुशंकर राव (27-04-2011 से)
संकायाध्यक्ष, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग
साइन्सेस एंड टेक्नोलॉजी,
हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद

(iv) प्रो.आर.के.मिश्रा
निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक
एण्टरप्राइज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (31-10-2010 तक)

(v) डॉ (श्रीमती) बी.किन्नरा मूर्ति,
प्रो. एवं अध्यक्ष, सामरिक प्रबंधन क्षेत्र
प्रशासनिक
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद (31-10-2010 तक)

(घ) निदेशक मंडल के स्थायी विशेष आमंत्रित (1)

(i) श्री पी.के.कटारिया (28-04-2011 से)
अपर वित्त सलाहकार एवं
संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय

(ii) श्री पी.के.मिश्रा (28-04-2011 तक)
अपर वित्त सलाहकार एवं
संयुक्त सचिव,
रक्षा मंत्रालय (वित्त), नई दिल्ली

2.2 भारत के राष्ट्रपति द्वारा सभी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान कंपनी के वर्तमान अंतर्नियमों के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है । नियुक्त निदेशक अपने-अपने कार्यक्षेत्र की प्रमुख हस्तियाँ होती हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान नियुक्त किये गये निदेशकों का बायो डेटा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है । नये निदेशकों के हित के लिए समय-समय पर कारपोरेट गवर्नेन्स पर अपेक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ।

2.3 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक रूप से 5 वर्षों की आवधिक या सेवानिवृत्ति की आयु तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो के लिए की जाती है । उसके पश्चात् सेवा विस्तार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा किया जाएगा । स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सामान्यत: एसीसी द्वारा प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है । कोई विस्तार या पुनर्नियुक्ति इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर की जाएगी ।

3.0 बोर्ड की बैठके और उनमे उपस्थिति

3.1 बोर्ड की बैठकें, रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान, प्रतिवर्ष की कम से कम चार (4) वैधानिक बैठकों की तुलना में, आठ (8) बार हुई हैं । बैठक की तारीख और निदेशकों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :

क्रम सं.	बैठकों की संख्या	तिथि	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	188	14-04-2010	6	5
2	189	25-05-2010	6	5
3	190	02-07-2010	6	6
4	191	18-08-2010	7	7
5	192	22-11-2010	5	4
6	193	24-01-2011	7	6
7	194	22-02-2011	7	7
8	195	28-03-2011	7	5
अपरिहार्य कारणों से किसी निदेशक की बैठक में अनुपस्थिति की अर्जी प्रत्येक बैठक में दर्ज की गयी है ।				
प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति **अनुलग्नक:II** में दी गई है ।				

3.2 डीपीई (सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग) के दिशानिर्देश के अनुसार लेखा करण मानक-18 के अंतर्गत संबंधित पार्टी लेनदेनों की पूर्व मंजूरी देने के उद्देश्य से कंपनी ने

लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और या लेखा परीक्षा समिति के अन्य सदस्यो का नामांकन किया है । कार्यात्मक निदेशकों के वेतनमान, सुविधाओं एवं भत्तों के संशोधन को बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जा चुकी है ।

3.3 बोर्ड के सभी सदस्यों ने, स्वतंत्र रूप से या अपने किसी भी संबंधी के साथ न केवल अपनी नियुक्ति के समय बल्कि जब भी ऐसी नियुक्तियॉं की गयी हों, किसी भी स्वामित्व, भागीदारी, फर्म या कंपनी में कार्मिक, आधिकारिक, या आर्थिक रुचि के संबंध में बोर्ड को खुलासा किया है । ऐसे खुलासे कंपनी अधिनियम, 1956 की प्रकटन धाराओं 297, 299 के अंतर्गत निर्धारित तरीके और अन्य प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष किये जा रहे हैं । वर्ष 2010-11 के अंत में बोर्ड की बैठक में किये गये ऐसे प्रकटन नीचे दिये गये हैं :

क्रम सं.	निदेशक के नाम	कारपोरेट निकाय जिनमें निदेशक की रुचि है	रुचि का प्रकार और रुचि कब से है
1.	श्री ज्ञानेश कुमार	1) मैसर्स मझगॉव डाक्स लिमिटेड मुंबई	अंशकालिक सरकारी निदेशक, 31-12-2007 से
		2) मैसर्स गार्डेन रिच शिप-बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लि.कोलकता	अंशकालिक सरकारी निदेशक, 31-12-2007 से
		3) मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. विशाखापटनम	अंशकालिक सरकारी निदेशक, 22-02-2010
		4) मैसर्स गोवा शिपयार्ड, लि. गोवा	स्थायी विशेष निदेशक, 31-12-2007
2.	श्री एम.नारायण राव	आंध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद	अंशकालिक निदेशक 30-09-2010 से
3	डॉ.दीपंकर बनर्जी निदेशक	द साइटिंफिक इंस्ट्रूमेंट कंपनी लिमिटेड इलाहाबाद	शेयरधारी (शेयर धारकों की संख्या 1375)
4	बोर्ड के अन्य सदस्य	कोई नहीं ।	कोई नहीं ।

3.4 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशकों के बीच परिपत्र के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया ।

4.0 वार्षिक सामान्य बैठकें:

क कंपनी की सभी वार्षिक सामान्य बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की गयीं । पिछले तीन वर्षों के दौरान की गयीं बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है :

वा.सा बै. की संख्या	वित्त वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान
34	2007-2008	26-09-2008	12 बजे	मिश्र धातु निगम लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, कंचनबाग, डा.घ, हैदराबाद.
35	2008-2009	25-09-2009	10 बजे	
36	2009-2010	25-08-2010	10 बजे	

ख रिपोर्टाधीन वर्ष और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियमों के प्रावधानों में संशोधन करते हुए निम्नलिखित संकल्प पारित किये गये :

- कंपनी की प्राधिकृत पूंजी की तब की सीमा रु. 140 करोड़ से रु. 200 करोड़ तक बढ़ाने के उद्देश्य से ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन करना । विशेष और सामान्य संकल्प दिनांक: 30-01-2009 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक (ईजीएम) में पारित किये गये ।

- मिनी रत्न श्रेणी-1 के लिए प्रदत्त बढ़ी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को सक्षम बनाने के लिए संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन करना । विशेष संकल्प 28-10-2009 को आयोजित ईजीएम में पारित किया गया।

4.1 कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान "पोस्टल बैलेट" के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया है ।

5.0 निदेशक मंडल की समितियों की बैठकें:

5.1 रिपोर्ट की तिथि तक मिधानि की चार (4) मंडल समितियॉ कार्यरत हैं:

क) लेखा परीक्षा समिति रक्षा मंत्रालय के प्रशासकीय दिशानिर्देश के अंतर्गत गठित की गईं हैं, जो 2001 से कार्यरत हैं ।

ख) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से सौंपे गये अधिकारों से परे

सामग्री प्राप्ति हेतु प्राधिकृत करने के लिए बोर्ड की प्रापण समिति 22-01-2008 से कार्यरत है ।

ग) बोर्ड और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों को संशोधित करते हुए सार्वजनिक प्रतिष्ठात्मक विभाग (पीईडी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों में सोचे गये कार्य निष्पादन से जुड़े वेतन के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के लिए 28-04-2009 से बोर्ड की पारिश्रमिक समिति कार्यरत है जिसमें इसके सदस्यों के रूप में कंपनी के आंतरिक अधिकारी शामिल हैं ।

घ) कंपनी के आधुनिकीकरण ग्रेड सुधारक और कंपनी द्वारा किये जा रहे विस्तार कार्यक्रमों या निकट भविष्य में किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों में तकनीकी कमी तो नहीं है, इसका तकनीकी अध्ययन करने के लिए धातु विज्ञान के विशेषज्ञ निदेशकों से युक्त एक तकनीकी समिति 24-01-2011 से कार्यरत है ।

6.0 लेखा परीक्षा समिति

6.1 रिपोर्ट की तारीख के दिन लेखा परीक्षा समिति का स्वरूप निम्न प्रकार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	हैसियत	नियुक्ति की तारीख या समिति में बदलाव
1	श्रीमती इंदु लिबरहान, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	24-01-2011
2	डॉ. डी.बैनर्जी, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य	24-01-2011
3	डॉ.जी.मालकोण्डय्या अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	24-01-2011 से 22-07-2011 तक
4	डॉ.के.भानुशंकर राव अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य	22-07-2011 से
5	श्री वी.एस.वर्मा, निदेशक (उत्पा.व विप.)	सदस्य स्थायी आमंत्रित	23-01-2011 तक 24-01-2011 से
6	सांविधिक लेखा परीक्षा फर्म के प्रतिनिधि	स्थायी आमंत्रित	समिति के गठन समय से

क्रम सं.	निदेशक का नाम	हैसियत	नियुक्ति की तारीख या समिति में बदलाव
7	निदेशक (वित्त)	स्थायी आमंत्रित	-वही-
8	आंतरिक लेखा परीक्षा करने वाले बाहरी चार्टर्ड एकाउण्टेट फर्मों के प्रतिनिधिगण	निमंत्रण पर	-वही-
9	श्री पी.के.मिश्रा बोर्ड में स्थायी विशेष आमंत्रित	स्थायी आमंत्रित	28-04-2011 तक
10	प्रो.आर.के.मिश्रा,	अध्यक्ष	31-10-2010 तक
11	डॉ (श्रीमती) बी.किन्नेरमूर्ति	सदस्य	31-10-2010 तक
कंपनी सचिव समिति के सचिव की भूमिका का निर्वाह करते हैं ।			

6.2. निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों को लगातार अद्यतन और उनका व्यावसायीकरण किया जाता रहा है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा संशोधित विचारार्थ विषयों की प्रति, जिसमें सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट गवर्नेन्स पर संशोधित दिशानिर्देशों के प्रावधान शामिल किये गये, संलग्न है । **[अनुबंध:III]**

6.2.1 रिपोर्टाधीन वर्ष में लेखा परीक्षा समिति की चार (4) बैठकें हुई । जिन तारीखों में ये बैठकें हुईं और निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति संबंधी जानकारी नीचे दी जा रही है:

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति				
क्रम सं.	बैठकों की संख्या	तारीख	समिति की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	28	21-06-2010	3	3
2	29	31-10-2010	3	3
3	30	08-02-2011	3	2
4	31	25-03-2011	3	2
अपरिहार्य कारणों से किसी निदेशक ने बैठक में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की तो उसकी अनुपस्थिति की छुट्टी दर्ज की गयी ।				
प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का रिकार्ड **अनुबंध-II** में दिया गया है ।				

6.3 बोर्ड की प्रापण समिति

6.3.1 रिपोर्ट की तारीख तक प्रापण समिति का स्वरूप निम्न प्रकार है :

(i)	कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	अध्यक्ष
(ii)	एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	:	सदस्य
(iii)	कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकगण - निदेशक (वित्त) - निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	:	सदस्यगण

समिति में कार्यात्मक निदेशकों का नामांकन पदेन आधार पर होगा । समिति का कोरम कम से कम तीन (3) सदस्यों की व्यक्तिगत, उपस्थिति, जिसमें एक अंशकालिक और गैर सरकारी निदेशक होगा । कंपनी सचिव, समिति के सचिव की भूमिका निभाते है ।

6.3.2 रिपोर्ट की अवधि में प्रापण समिति की तीन (3) बैठकें हुईं । जिन तारीखों को ये बैठकें हुईं और निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति संबंधी जानकारी नीचे दी जा रही है :

प्रापण समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

क्रम सं.	तारीख	समिति की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	08-06-2010	5	5
2	16-06-2010	5	4
3	21-09-2010	5	4

अपरिहार्य कारणों से किसी निदेशक ने बैठक में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की तो उसकी अनुपस्थिति की छुट्टी दर्ज की गयी ।

प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का रिकार्ड **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

6.4 पारिश्रमिक समिति

6.4.1 परिवर्ती वेतन या कार्य निष्पादन से जुड़े वेतन के संबंध में डीपीई का.ज्ञा. दिनांकित 26-11-2008 में शामिल सभी मामलों के विचारार्थ समिति का पुनर्गठन

24-01-2011 का सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार हुआ । समिति के विचारार्थ विषय **अनुबंध-IV** में दिये गये हैं ।

6.4.2 रिपोर्ट की तारीख को समिति का स्वरूप निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम		हैसियत
(i)	**श्रीमती इंदु लिबरहान,** अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशक	:	अध्यक्ष
(ii)	**डॉ.दीपंकर बनर्जी,** अंशकालिक गैरसरकारी निदेशक	:	सदस्य
(iii)	**डॉ.के.भानुशंकर राव,** अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	:	सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सचिव की भूमिका निभाते हैं ।

6.4.3 पारिश्रमिक समिति की 2010-11 वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई, संदर्भ समिति की शर्तों के अनुसार मामले समिति के विचाराधीन हैं । रिपोर्ट को अभी तैयार कर अंतिम रूप दिया जाना है ।

6.5 लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष या अन्य स्वतंत्र अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक, जो लेखा परीक्षा समिति के सदस्य हैं, डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित संबंधित पार्टी लेनदेनों (एएस-18) के लिए पूर्व स्वीकृति हेतु उत्तरदायी व्यक्ति(यों) के रूप में पदनामित किये गये हैं ।

6.6 नैगम प्रबंधन समिति की बैठकें

6.6.1 समिति की बैठकें सामान्यत: महीने में दो बार होती हैं । लेकिन रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समिति की 12 (बारह) बैठकें हुईं ।

6.6.2 समिति का गठन कंपनी के सभी वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों, अधिकतर अपर महा प्रबंधक और ऊपरी स्तर के, से किया जाता है । समिति की सारी कार्रवाई का कार्यवृत्त लिखा जाता है और उसमें लिये गये निर्णयों की "की गई कार्रवाई रिपोर्ट"

के रूप में निरंतर समीक्षा की जाती है । कंपनी सचिव समिति के सचिव की भूमिका निभाते हैं ।

6.6.3 यह समिति संगठन के स्तर पर अंतर / अंत: विभागीय स्तर पर विलंब या अड़चनों को दूर करने विभिन्न स्तरों पर कार्य का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी ।

7.0 निदेशकों एवं वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नीति

7.1 नैगम शासन से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करते समय अप्रैल, 2010 के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा व्यापार आचार संहिता और नीति का संशोधन किया गया था । निदेशकों और वरिष्ठ स्तरीय कार्यपालकों के संबंध में कंपनी ने उक्त को अपना लिया । उसकी एक प्रति **अनुबंध-V** में दिया गया है ।

7.2 संहिता कंपनी के वेबसाइट पर पोस्ट की गयी है । निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए घोषणा-पत्र दिये हैं ।

7.3 कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुपालन का एक प्रमाण पत्र रिपोर्ट के अंश के रूप में प्रस्तुत है । **अनुबंध-VI**

8.0 प्रकटन

i वर्ष के दौरान अंशधारकों, निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों या उनके संबंधियों के साथ कंपनी के वर्तमान नियमों के अनुसार अनुमेय वेतन, शुल्क, परिलब्धियों को छोड़कर किसी महत्वपूर्ण किस्म की सामग्री का लेन देन नहीं हुआ जिसका कंपनी के हित के साथ सामान्य रूप से संभाव्य टकराव रहा, जिनका संबंध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297 के प्रावधानों से रहा हो ।

ii इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेनों के प्रकटन नोट सं.15.1 एवं 15.2 में दिये गये हैं जो 2010-11 की वार्षिक लेखों का हिस्सा हैं । संबंधित पार्टी लेनदेनों के अंतर्गत शामिल सभी लेनदेन उचित पारदर्शी और सुलभ हैं और इस उद्देश्य से नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृत है ।

iii पिछले तीन सालों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश से संबंधित किसी मामले पर किसी सांविधिक प्राधिकारी ने कंपनी पर न तो कोई दण्ड ही

लगाया है और न कोई आलोचना की है ।

iv एक औपचारिक विजल ब्लोअर नीति और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का परिचालन किया जाना है । फिर भी, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य या उसके चेयरमेन से मिलने से नहीं रोका गया ।

v रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति का कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ।

vi इन वित्तीय विवरणियों में कंपनी के वर्तमान नियमों द्वारा अनुमेय को छोड़कर खर्च की कोई मद शामिल नहीं है जो मंडल या कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के किसी सदस्य के लिए व्यक्तिगत / कार्मिक प्रकृति की हैं ।

vii वित्तीय विवरणियों में ऐसी कोई मद शामिल नहीं है जो व्यापार के उद्देश्य से उपचित नहीं की गयीं ।

viii प्रशासनिक और कार्यालयीन खर्च कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में 2.05% रहा जो कि पिछले वर्ष 1.90% था और वित्तीय खर्च 1.62% रहा जबकि पिछले वर्ष यह 0.49% था ।

ix बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों की ओर से खर्च में कोई फिजूलखर्ची नहीं पाई गयीं ।

x लेखा मानकों के व्यक्तिक्रमण, यदि कोई हो तो, निदेशकों ने शेयर धारकों को पेश अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है ।

9.0 संचार:

9.1 कंपनी और उसके शेयरधारकों, निदेशकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, अन्य सहयोगियों और हिताधिकारियों के बीच संचार के तरीके मैत्रीपूर्ण हैं ।

9.2 नैगम शासन के दिशानिर्देश के अनुपालन पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तिमाही आधार पर नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है ।

9.3 सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 2010 में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए नैगम शासन पर जारी दिशानिर्देश के अनुपालन संबंधी एक पेशेवर कंपनी सचिव की अनुपालन रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है । **अनुबंध - V**

10.0 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

परिशिष्ट:III में उपर्युक्त पर एक पृथक रिपोर्ट संलग्न है ।

परिशिष्ट :III

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

1.0 उद्योग की संरचना और विकास

1.1 कंपनी रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत वर्ष 1973 में निगमित एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है । कंपनी का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से एयरक्राफ्ट्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, एलेक्ट्रानिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और संबंधित उद्योगों के लिए भारत में या अन्यय, स्वतंत्र रूप से या अन्य के सहयोग से सभी श्रेणी, प्रकार, आकार की उच्च मिश्रधातुओं और इनगाट्स, बिल्सेट्स फोर्जिंग्स, रोल्ड और एक्स्ट्रूक्टेड, सेक्शन्स, स्ट्रिप्स, फाइल्स, तार, ट्यूब्स और अन्य पिटवा, ढलवा, सिंटर, संरचित आकारों और रूपों में अन्य विशेष धातुओं और उनके निर्माण या प्रसंस्करण करना है ।

1.2 कंपनी ही एक उत्पादन इकाई है जिसका पंजीकृत कार्यालय आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में स्थित है । इसके पास धातुकर्मीय उद्योग में मान्यता प्राप्त सुविधाओं की विस्तृत श्रृंखला है और विभिन्न उच्चतम तकनीकों और प्रसंस्करणों के उपयोग से एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किये जाते हैं । यह संपूर्ण एशिया में अपने किस्म की अकेली कंपनी है । कंपनी का मिशन महत्वपूर्ण और उच्च तकनीक की इंजीनियरिंग विधियों से सामरिक महत्व की सामग्री और उत्पादों का अनुसंधान, विकास उत्पादन और आपूर्ति करना है ।

1.3 कंपनी मुख्य रूप से रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, एयरोनॉटिक्स इत्यादि सामरिक महत्व के क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सामग्री और मिश्रधातुओं की जरूरतों की पूर्ति करती है । मिधानि द्वारा उत्पादित उत्पाद मूल रूप से आयात विकल्प (अनुकल्प) हैं जिनकी भारत को आपूर्ति करने से पश्चिमी देशों द्वारा इन्कार किया गया है और जिनकी अनुपलब्धता से देश के विभिन्न प्रतिष्ठा प्राप्त राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित हो सकते थे । कंपनी ने आरंभिक दौर में सहयोगियों द्वारा दी गयी तकनीकों को आत्मसात कर लिया है और इन तकनीकों से जुड़े लाभ का पूरा दोहन किया है । विभिन्न परिचालनात्मक क्षेत्रों में पिछले वर्षों में संस्थागत अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं की बदौलत निरंतर विकास से कंपनी ने विभिन्न महत्वपूर्ण तकनीकों संकरों और

उत्पादों को देशज बना लिया है । जिससे इन महत्वपूर्ण सामग्रियों की आयात पर निर्भरता कम हुई है ।

2.0 संगठन

2.1 कंपनी के मुख्य सक्रिय प्रभाग / विभाग में उत्पादन, नियोजन एवं नियंत्रण, उत्पादन, प्रभाग, तकनीक पद्धति एवं आरएंडडी विभाग, परियोजना, गुणवत्ता नियंत्रण शामिल है। उत्पादन का कार्य संपूर्ण रूप से सामग्री नियोजन एवं प्रापण, विपणन, वित्त और संभरण प्रभाग से समाकलित हैं ।

2.2 परिचालन की प्रकृति

2.2.1 मिधानि पुनरावर्तनीय और पुर्वानुमान्ययोग्य परिणामों को हासिल करने के लिए एक मजबूत निगरानी मॉडल की मदद से परिचालनात्मक प्रसंस्करणों और उत्पाद सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करती रही है । कंपनी के महत्वपूर्ण ग्राहकों की कठोर विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की बढ़ती माँगों को पूरा करने की अनिवार्यता, कंपनी को अपने लक्ष्य को पूरा करने संगठन के हर कार्यक्षेत्र में नीतियों और क्रियाविधि को उपयुक्त रूप से गढने में संगठन को मूल शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं ।

3.0 शक्ति और अवसर:

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण अनुबंध-VI में दिया गया है ।

4.0 क्षेत्र वार कार्य निष्पादन

4.1 वर्तमान में मिधानि के 84% उत्पाद सामरिक क्षेत्रों की जरूरत की पूर्ति करते हैं जैसे आयुध फैक्टरियों (ओएफबी), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और वायु, नौसेना, थल सेनाओं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) इत्यादि । इसके अतिरिक्त मिधानि वाणिज्यिक क्षेत्र सहित लार्सेन एंड ट्यूबो, वालचन्दनगर आदि को विशेष मिश्रधातुओं की आपूर्ति करता है, जो हमारे देश के रक्षा एवं परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों को भी जाता है । वर्ष 2010-11 के दौरान मिधानि की आपूर्ति का प्रतिशत रक्षा 37%, अंतरिक्ष 37%, परमाणु ऊर्जा 10% और शेष अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों को रहा है ।

4.2 पिछले दो वर्षों के दौरान मिश्रधातु आधार कार्य निष्पादन निम्न प्रकार है:

श्रेणी	2010-11		2009-10	
	मात्रा	मूल्य (रु....लाख में)	मात्रा	मूल्य (रु....लाख में)
उच्च मिश्रधातु, टाइटेनियम मिश्रधातु एवं विशेष स्टेलनेस स्टील इत्यादि ।	3,014	417.87	2,429	371.21

क्रम सं.	क्षेत्र	आदि शेष	आर्डर बुक्ड	वर्ष के दौरान आपूर्तियाँ	1-4-11 को शेष
1	रक्षा	203.08	222.00	152.96	272.12
2	नाभिकीय	67.20	54.00	43.92	77.28
3	अंतरिक्ष	368.85	71.00	153.75	286.10
4	वाणिज्यिक / अन्य	88.61	68.00	67.24	89.37
	कुल	727.74	415.00	417.87	724.87

4.3 वर्ष 2011-12 के आरंभ में आर्डर बुक स्थिति रु.725 करोड़ है । इस स्तर को पर्याप्त रुप से बढ़ाने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान प्रयास किये जा रहे हैं जब तक बढ़े हुए आपूर्ति स्तर को पूरा करने के लिए नये उपकरणों से काम शुरू होने की होने की उम्मीद है ।

5.0 आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्यक्रम

5.1 हमारे देश के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में अपेक्षित कड़े उन्नत तकनीकी विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अनम्य गुणवत्ता मानकों के साथ और राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए सरकार की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मिधानि में चरणबद्ध रूप से विस्तार ग्रेड सुधारने और महत्वपूर्ण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए 2020 तक के लिए तैयार और मंत्रालय को पेश अपनी नैगम योजना के तहत सुविचारित योजना शुरु की गयी है ।

मिधानि के प्रमुख ग्राहकों यथा वीएसएससी, डीआरडीओ के सक्रिय सहयोग से 151 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर विस्तार के पहले चरण की सफलता के बाद विस्तार के दूसरे चरण का कार्य प्रशासनिक मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से 200 करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजी परिव्यय (इक्विटी के रुप में रक्षा मंत्रालय

द्वारा 50 प्रतिशत के निधिकरण और 50:50 के आधार पर ऋण और शेष आंतरिक निधिनिर्माण से) जिसमें प्रमुख उपकरणों जैसे 6000 टी फोर्ज प्रेस, रक्षा मंत्रालय विभाग के सहयोग से 10 एमटी ईएसआर और शेष जैसे रिंग रोलिंग मिल, कटिंग मशीनें आदि की स्थापना विस्तार के महत्ववाले क्षेत्र के रुप में आंतरिक संसाधनों से की जा रही है। इस चरण का मुख्य लक्ष्य संयंत्र की उपयोगिता क्षमता में सुधार और उत्पादकता / प्रसंस्करण/ उत्पादनों में सुधार के अलावा कठोर उन्नत उच्च तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करने में मिधानि की तकनीकी क्षमताओं के प्रति ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करना है । इस चरण के अंतर्गत प्रगति अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है ।

5.2 अपने विस्तार के चरण-III के अंतर्गत मिधानि का निवेश सामग्रियों की अविरल आपूर्ति के लिए कुछ संतुलनात्मक उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव हैं जिनमें क्रांतिक रक्षा अनुप्रयोगों और अन्य अल्ट्रा उच्च शक्ति स्टील प्लेट्स शामिल हैं जो आर्मर्ड वाहनों के लिए ओएफबी द्वारा निर्मित करना है और इन्हें अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, आदि प्रमुख क्षेत्रों के लिए निवेशों के रूप में हैं । इस संबंध में मिधानि और ओएफबी के बीच एक समझौते का ज्ञापन तैयार किया गया है जिसके तहत लगभग रु. 507 करोड़ (रु.307 करोड़ निधिकरण ओएफबी द्वारा और रु. 200 करोड़ डीआरडीओ (एएसएल) द्वारा किया जाए । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सामरिक सामग्रियों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भर होना है । मिधानि के चरण-वार सामरिक आयोजना से अपेक्षा है कि उससे वर्ष 2016 के अंत तक रु.1000 करोड़ का विक्रय टर्नोवर हासिल होने की उम्मीद है ।

6.0 जोखिम एवं चिन्ताएँ

6.1 कीमतों में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण आयातित कच्चे माल की अनुपलब्धता और रुपये की तुलना में डालर की विनिमय दरों की प्रतिकूल प्रवृत्ति की मिलीजुली स्थिति ने कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया । किफायती मूल्य पर कब और कितने दाम में खरीदी की जा सकती है उसका अनुमान लगाना बहुत ही अनिश्चित सा हो गया है ।

6.2 मिधानि को किन्हीं पश्चिमी देशों द्वारा महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति में कठिनाई / विलंब होने की संभावना हो सकती है । इसके अलावा रुपये की तुलना में अमेरिकी डालर और यूरो अर्थात् विदेशी मुद्रा की दरों में व्यापक उतार चढ़ाव की वजह से कंपनी की विस्तार परियोजनाओं को पूरा करने में भारी लागत आने और विलंब की भी आशंका है ।

6.3 कंपनी के मुख्य ग्राहकों का विश्वास और समर्थन पाने के लिए अनम्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने लागत में कमी लाने, उत्पादन सुधार, प्रसरण प्रतिमाणों को बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजनाएँ लागू की गईं ।

6.4 ऊर्जा एवं ईंधन लागत

ऊर्जा एवं ईंधन पर लागत के स्तर को सीमित रखने के लिए कई शॉप फ्लोर नियंत्रण लागू किये गये जिनमें सभी संभावित खपत केन्द्रों पर अलग मीटा लगाये गये ताकि खपत के पैटर्न/ आँकड़े हासिल किये जा सकें । प्रतिष्ठित उद्योगों के अगुआओं से प्राप्त तालिकाओं के आधार पर वर्ष के दौरान मानदण्ड तैयार किये गये ताकि खपत के आँकड़ों को बारीकी से संचालित किया जाए ।

6.5 ग्राहकों के कड़े एवं गतिशील तकनीकी-विनिर्देशों को पूरा करना

कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि के लक्ष्य को हासिल करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक प्रसंस्करणों उत्पादों अनुप्रयोगों में सुधार एवं नवोन्मेषी गतिविधियों को तकनीकी उत्कर्ष और निपुणता के साथ नहीं किया जाता ।

6.6 कंपनी की गतिविधियों का उसके मुख्य ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं की गतिविधियों के साथ समस्तरीय और विषय स्तरीय एकीकरण दूसरा क्षेत्र है जब प्रबंधन ने अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं ।

6.7 समय पर सुपुर्दगियाँ

प्रबंधन ने समय पर सुपुर्दगी का विशेष ध्यान रखा है । सुपुर्दगियाँ तेजी से करने और संविदागत दण्ड और सुपुर्दगी में विलंब के लिए हर्जाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए जहाँ भी ऐसी सुविधाएँ लागत की दृष्टि से फायदेमंद और त्वरित रही हैं वहाँ, कंपनी के कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों के परिचालन प्रमुख संस्थाओं के सुपुर्द करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले किये गये हैं ।

7.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने, वित्तीय औचित्य के सभी सिद्धांतों को पूरा करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा है । आंतरिक लेखा परीक्षा करने वाली जिन बाह्य लेखा परीक्षा फर्मो की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए सेवाएँ ली जा रही थीं, वे बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा के अधीन रखी गयी ऐसी प्रणालियों, नियंत्रणों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने की कोशिश कर उन पर रिपोर्ट भी दे रहे हैं ।

8.0 वित्तीय कार्यनिष्पादन

8.1 पिछले तीन वित्तीय वर्षों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार है:

....करोड रुपयों मे

क्रम सं.	विवरण	2010-2011	2009-2010	2008-2009
I	**देयताएँ**			
क) (i)	प्रदत्त पूंजी	183.34	146.34	146.34
(ii)	आरक्षित एवं अधिशेष	154.62	127.59	93.42
ख)	ऋण निधि	36.07	44.37	9.07
ग)	आस्थगित कर	0.40	0.47	0.96
घ) (i)	चालू देयताएँ एवं प्रावधान	515.73	475.95	386.17
(ii)	उपदान प्रावधान	0.20	0.17	0.18
	शेयर आवेदन धन	-	37.00	-
	कुल	**890.36**	**831.89**	**636.14**
II	**आस्तियाँ**			
ग	निवल अवरुदध राशि	55.27	36.77	27.79
घ	पूँजीगत चालू कार्य	14.15	15.50	35.22
ङ	निवेश	2.10	2.10	2.10
च	चालू आस्तियाँ, ऋण व अग्रिम राशियाँ	818.84	777.52	571.03
झ	बट्टे खाते न डाले गये व्यय	-	-	-
	कुल	**890.36**	**831.89**	**636.14**
ट	चालू पूँजी	224.75	209.57	184.68
ठ	नियोजित पूँजी	280.21	246.34	212.65
ड	निवल मालियत	298.87	264.93	239.76
ढ	प्रदत्त पूँजी के प्रति रुपये की निवल मालियत	1.63	1.81	1.64

8.2 कार्यगत परिणाम

8.2.1 कंपनी ने वर्ष 2010-11 में समग्र वर्धन और सर्वतोमुखी वर्धन और समग्र वित्तीय और परिचालनात्मक निष्पादन में 8वीं बार निरंतर "उत्कृष्ट" समझौते का ज्ञापन हासिल किया। वर्ष 2010-11 के लिए निष्पादन की उल्लेखनीय विशिष्टताएँ विगत दो वर्षों की तुलना में निम्नानुसार हैं:

....करोड रुपयों में

क्रम सं	विवरण	2010-2011	2009-2010	2008-2009
1	विक्रय-ग्राहकों को	330.62	314.60	271.42
	विक्रय - निर्यात	--	0.23	--
	उपठेकेदारों को प्रेषण विक्रय	87.25	56.38	37.69
2	उत्पादन का मूल्य (ईडी सहित)	485.46	373.24	364.03
3	नकद लाभ (पूर्वावधि मदों को छोडकर)	79.55	70.85	66.06
4	कर से पूर्व लाभ	75.18	67.66	62.90
5	निवल लाभ कर के भुगतान के बाद लाभ	50.42	44.62	41.06
6	जोड़ा गया मूल्य	288.78	237.57	214.87
7	प्रति कर्मचारी जोड़ा गया मूल्य	0.2576	0.1995	0.1748
8	प्रति प्रत्यक्ष कामगार पर जोड़ा गया मूल्य	0.672	0.552	0.557
9	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	0.433	0.313	0.296
10	प्रदत्त पूँजी	183.34	146.34	146.34
11	शेयर आवेदन धन	--	37.00	-
12	नियोजित पूँजी	280.21	246.34	212.65
13	निवल मालियत	298.87	264.93	239.76
14	चालू पूँजी	224.75	227.57	184.68
15	व्यय में योगदान	79.56	62.95	66.51
16	कर्मचारियों की संख्या	1,121	1,191	1,229

8.2.3 कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्य पर गत तीन वर्षों के अंत में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात निम्नानुसार हैं ।

क्रम सं	विवरण अनुपात	2010-11	2009-10	2008-09
क)	प्रतिशतों में द्रवता अनुपात चालू अनुपात (चालू आस्तियों की तुलना में चालू देयताएँ और प्रावधान, उपचित ब्याज परंतु उपदान के लिए प्रावधन को छोडकर)	143.62	144.03	147.87
ख)	लाभदायकता का अनुपात			
अ)	कर अदायगी से पूर्व लाभ i) नियोजित पूँजी (%) ii) निवल मालियत (%) iii) विक्रय (%)	26.83 25.15 17.99	27.47 25.54 18.16	29.58 26.23 20.35
आ)	ईक्विटी की तुलना में कर देने के बाद लाभ (%)	27.50	30.49	28.06
ग)	प्रति शेयर अर्जन (रु.....में)	275.02	304.88	280.55

8.2.4 विनियोग के लिए उपलब्ध राशि

गत वर्ष के रु. 44.62 करोड के विनियोग के मुकाबले उपलब्ध राशि रु. 50.42 जमा है।

9.0 मानव संसाधन विकास

9.1 मिधानि की दिनांक: 31-3-2011 को कुल मानव शक्ति की स्थिति निम्नानुसार संख्या 1121 है :

	गैर कार्यपालक	गैर यूनियनीकृत पर्यवेक्षक	कार्यपालक	कुल
पुरुष	663	170	236	1069
महिलाएँ	22	8	22	52
कुल	**685**	**178**	**258**	**1121**
गत वर्ष	775	161	255	1191
* इनमें कार्यात्मक निदेशकगण और प्रतिनियुक्ति पर लोगों को शामिल करते हुए (4)				

9.2 कामगार संवर्ग के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के मद्देनजर गत वर्ष के 24.9% और कुल लगभग रु.18.44 करोड़ की तुलना में कर्मचारी से संबंधित लागतों में 8% और लगभग रु.7.63 करोड़ की राशि बढ़ गयी है ।

9.3 कंपनी के निष्पादन में नये जोश और दबाव में कर्मचारी की प्रतिभागिता बनाने के लिए निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) की नयी संकल्पना को लागू किया गया है । इसके लिए रूपात्मकताओं (मोडालिटीज) का संकलन किया जा रहा है और यह अपेक्षा की जाती है चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसे अमल में लाया जाएगा ।

9.4 प्रशासन और उत्पादन विभागों के बीच मानवशक्ति और अकार्यपालकों और कार्यपालकों के बीच परिचालनों में आटोमेशन की अधिकतम मात्रा के विवेकपूर्ण वितरण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान ध्यान केंद्रित आकर्षण प्राप्त किया है ।

9.5 प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान और भावी वर्षों के दौरान भी कर्मचारियों की मिश्रित आयु और अलगावों और कंपनी को पुनर्नियोजना और समकालीन ताजा कौशलों और मार्केट में उपलब्ध विशेषज्ञता पर अपना ध्यान केन्द्रित करने पर विचार करना होगा । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पृथक्करणों और ताजा प्रवेशों की संख्या क्रमश: 92 और 22 थी ।

9.6 कर्मचारियों का पारिश्रमिक

9.6.1 वर्ष 2010-11 के लिए कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर किया गया कुल व्यय

रु.100.09 करोड़ था जबकि इस मद में गत वर्ष का व्यय रु.92.46 करोड़ था । ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

.....लाख रुपयों में

क्रम सं	विवरण	2010-2011	2009-2010
1	वेतन एवं मजदूरियाँ	6,475.19	6400.02
2	भविष्य निधि और ईपीएस में योगदान	565.69	499.42
3	उपदान	1,211.85	569.91
4	छुट्टी नकदीकरण	465.91	461.92
5	स्टाफ कल्याण व्यय निवल	1,284.45	1313.26
6	छुट्टी का वेतन और पेंशन योगदान	6.24	1.50
7	**कुल**	**10,009.33**	**9246.03**

10.0 नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व

नैगम नागरिक के रूप में मिधानि विभिन्न कल्याण कार्यकलापों जैसे सामुदायिक विकास, प्रदूषण नियंत्रण और ईको-फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण पर्यावरण के उपाय करने का उत्तरदायित्व निभा रही है । उपर्युक्त विषयों पर मिधानि पूरे जोश और उत्साह के साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों का पूरे जोश और उत्साह के साथ कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है । मार्गदर्शक सिद्धांतों में बताये गये अनुसार इन कार्यकलापों के लिए दीर्घावधि, मध्यम अवधि, लघु अवधि विशिष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व को विकसित करने के उद्देश्य से कंपनी ने इसके संचालन और उसके प्रति उत्तरदायित्वता को निभाने के लिए भी आंतरिक तंत्र की व्यवस्था की है ।

*****

अनुबंध-I

डॉ. दीपंकर बनर्जी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

डॉ. बनर्जी की आयु 59 वर्ष है । आपने 1974 में आईआईटी मद्रास से स्नातक की उपाधि हासिल की और तत्कालीन मेटलर्जी विभाग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से 1979 में पीएचडी की उपाधि हासिल की । तब आपने रक्षा धातुकर्मी अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल) में सेवा आरंभ की और वर्ष 1996 से 2003 तक उसके निदेशक पद पर आसीन रहे । डीएमआरएल के रूप में आपने क्रांतिक रक्षा संबंधी सामग्री कार्यक्रमों जिसमें मुख्य युद्ध टैंक के लिए आर्मर, भारतीय नौसेना के एअरक्राफ्ट कैरियरों के लिए विशेष नौ-सेना स्टीलों, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रॉसेसेस सिंगल क्रिस्टल, निदेशात्मक ठोसीकृत और इक्वीएक्स्ड Ni आधार मिश्रधातुओं और एअरो-इंजनों के लिए टाइटेनियम मिश्रधातुओं के उत्पादों का विकास किया । उन्होंने 2003 से डीआरडीओ के एअरोनाटिक्स और मटेरियल साइंसेस प्रयोगशालाओं के लिए मुख्य नियंत्रक अनुसंधान और विकास के रूप में कार्यभार संभाला और सेना इंजन और कंबैट एअरक्राफ्ट कार्यक्रमों, मानवरहित एरियल यान में प्रमुख सिस्टम विकास प्रयासों और एअरबोर्न अर्ली वार्निंग परियोजनाओं और एअरबोर्न इलेक्ट्रानिक वारफेर कार्यों में समन्वयन किया । फिलहाल वे अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मटेरियल्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं ।

डॉ. बनर्जी इंडियन अकाडेमी ऑफ साइंसेस, दि नेशनल अकाडेमी ऑफ साइंसेस और इंडियन नेशनल अकाडेमी ऑफ इंजीनियरिंग के फेलो हैं । उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, चेन्नै के लब्ध प्रतिष्ठित छात्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है । उन्हें इंजीनियरिंग साइंसेस के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और डीआरडीओ के यंग सांइटिस्ट और प्रौद्योगिकी लीडरशिप पुरस्कार प्रदान किये जाने के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री का पुरस्कार प्रदान करते हुए मान्यता दी गयी है ।

वे कंपनी के किसी भी निदेशक के संबंधी नहीं हैं और कंपनी के साथ उनका कोई आर्थिक संबंध भी नहीं है ।

अनुबंध -I(जारी है)

श्रीमती इंदु लिबरहान, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

इंदु लिबरहान 1972 बैच की इंडियन डिफेन्स अकाउंट्स सर्विस की अधिकारी हैं जो सचिव, रक्षा वित्त, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं । वे दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम.फिल उपाधि धारिता हैं । वित्त, लेखों और विधि- जैसे विषयों में प्रशिक्षित होने के बाद 1973-78, 1985-88, 1990-93 में अपनी स्वयं की सेवा में वृद्धि करती हुई विभिन्न पदों पर रहीं और वर्ष 2007-2009 में अपर महा नियंत्र रक्षा लेखे पद पर रहीं ।

इसके अलावा, इंदु लिबरहान विभिन्न पदों पर कार्यरत रहती हुईं अपने अनुभव और जानकारी को विस्तृत किया । उन्होंने पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में (1978-81), ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) (1982-85), आर्थिक मामलों के विभाग (1988-90) में, और टेलिफोन रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया में (2001-07) तक काम किया । इन कार्यभारों ने उन्हें नीति रूपकल्पनाओं और प्रक्रिया कार्यान्वयन को सचिवालयीन स्तर और क्षेत्र अभिकरणों के कार्यों को बहुत अच्छी तरह समझने में पूरी सहायता की । टेलिफोन रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया में लंबे समय तक कार्यभार में रहने के कारण तेजी से बढ़ रहे और उभरते हुए क्षेत्र में नये रेगुलेटरी ढाँचे की स्थापना और उसके पनपने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है । सचिव रक्षा वित्त के अंतिम कार्यभार में उन्होंने न केवल देश में ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठतम प्राधिकारियों से बातचीत की और नीति निर्धारण संसदीय मामलों, सार्वजनिक व्यवहार और संचार तथा सार्वजनिक नीति के वैधिक ढाँचे के साथ पूरी तरह सुपरिचित और पटु हैं ।

पर्यटन, नागरिक उड्डयन, विद्युत, वित्त, रक्षा, गृह और दूर संचार, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन रहने के अलावा अपने स्वयं के विभाग में श्रीमती लिबरहैन ने अपने विस्तृत और गहरे अनुभव विशेषकर वित्त विश्लेषण, परियोजना मूल्य निर्धारण, परियोजना प्रबंधन, लागत-निर्धारण, वित्तीय प्रबंधन, बजट निर्धारण, लेखा परीक्षा, लेखों और प्रशासन में विशाल एवं विस्तृत अनुभव रखती हैं । उन्हें कंप्यूटरीकृत प्रणालियों और ई-गवर्नन्स के विकास का भी लंबा अनुभव है ।

अनुबंध-I (जारी)

श्री पी.के. कटारिया, अपर वित्त सलाहकार (के) संयुक्त सचिव - स्थायी विशेष आमंत्रित

श्री पी.के. कटारिया, आयु 51 वर्ष, विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि धारी और 1985 बैच के भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी हैं । आपको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में वरिष्ठ पदों पर कार्य करने और रक्षा, दूरसंचार और संघ सरकार के तमाम सिविल मंत्रालयों से संबंधित मामलों को निपटाने का बृहद अनुभव है । 2004 से 2006 तक मणिपुर राज्य के महालेखाकार और 2000 से 2004 तक वेस्ट इंडीज के एंटिगुआ और बारबुडा सरकार के कर सलाहकार थे । इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के कई संगठनों की प्रबंधन समीक्षाएँ भी की हैं । आपने 1 जुलाई, 2010 को रक्षा मंत्रालय (वित्त) में वित्त सलाहकार और संयुक्त सचिव का प्रतिनियुक्ति पर पदभार संभाला । मिधानि के अलावा, आपको सरकार द्वारा बीईएल और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड के निदेशक मंडलों की बैठकों में भाग लेने स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है । आप हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड, मझगॉव डॉक लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक मंडलों में अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं । रक्षा मंत्रालय में आप रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों, सीमा सड़क संगठन, डीजीक्यूए और सेना निर्माण कार्यों से संबंधित वित्तीय मामलों के कार्य देखते हैं ।

आप कंपनी के किसी भी निदेशक के संबंधी नहीं हैं और कंपनी के साथ आपका कोई आर्थिक संबंध भी नहीं है ।

अनुबंध-I (जारी)

डॉ.के. भानु शंकर राव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

1. डॉ. के. भानु शंकर राव नागपुर विश्वविद्यालय से धातुकर्मी में स्नातक हैं और वर्ष 1975 में आईआईटी बंबई से फिजिकल मेटलर्जी में एम.टेक पूरा किया । वर्ष 1989 में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास द्वारा मेटलर्जी इंजीनियरिंग में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गयी ।
2. उन्होंने अपना कैरियर 1975 में आरंभ किया और पाउडर मेटलर्जी के अनुसंधान कार्य में उल्लेखनीय योगदान दिया और 1977 से इंदिरा गॉधी सेंटर फॉर एटामिक रिसर्च (आईजीसीएआर), कलपाक्कम (परमाणु ऊर्जा विभाग) में काम किया । आपने प्रधान, मेकानिकल मेटलर्जी डिविजन और सह-निदेशक, मटेरियल्स डेवलेपमेंट एंड कैरेक्टराइजेशन वर्ग, जैसे प्रतिष्ठित पदों पर काम किया था ।
3. आपने धातुकर्मी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिये और इंदिरा गॉधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के शुरुआती दौर में विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना

करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और सामग्री विकास, स्ट्रक्चर प्रापर्टी कॉरिलेशन, वेल्डिंग मेटलर्जी, क्रीम लो साइकिल फैटीग, थर्मो मेकानिकल फैटीग और क्रीप फैटीग इंटरैक्शन स्टडीस ऑन निकेल और कोबाल्ट आधारित मिश्रधातुओं, स्टेनलेस स्टीलों, फेरिटिक स्टीलों, इंटरमेटालिक्स और फाइबर रि-इन्फोर्स्ड मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स, हाई टेंपरेचर क्रीप और फैटीग लाइफ एक्स्टेन्शन और प्रेडिक्शन के क्षेत्रों में अनुसंधान के पथ प्रदर्शन किया ।

4 उनके द्वारा पोषित योगदानों का परिणाम है संरचना संघटकों के लिए नाइट्रोजन अलाय्ड स्टेनलेस स्टीलों का विकास, क्लैड ट्यूबों के लिए डी-9 अलॉय के प्रोन्नत स्वरूप और गत तीन वर्षों में सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टरों के रैपर अनुप्रयोगों के लिए 9Cr1Mo स्टील के संशोधित रूपांतर हैं । उन्होंने हरेक बहुत कड़े रासायनिक कंपोजीशन की आवश्यकता पूरी करते रेड्यूस्ड एक्टिवेशन फेरेटिक मार्टेन्सिटिक स्टीलों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के इंडियन टेस्ट ब्लैंकेट मॉड्यूल के विकास के लिए मेकानिकल प्रापर्टी आवश्यकताओं में गहरी दिलचस्पी दर्शायी । उन्होंने फिशन और फ्यूजन रिएक्टर अनुप्रयोगों के लिए गहरी दिलचस्पी लेकर आक्साइड डिस्पर्शन स्ट्रेन्थेन्ड फेरिटिक-मार्टेन्सिटिक स्टीलों के रियलाइजेशन की ओर अनुसंधान कार्य किया । उनके खाते में 350 अनुसंधान प्रकाशन हैं ।

5 उन्हें, 1993 में नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ यूएसए फेलोशिप प्रदान किया गया और वे 2005 में जापान सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस (जेएसपीएस) के लघु-अवधि इन्विटेशन फेलोशिप प्राप्तकर्ता थे । 1995 में स्टील मंत्रालय, भारत सरकार ने उन्हें बेस्ट मेटलर्जिस्ट अवार्ड (उत्तम धातुकर्मी पुरस्कार), प्रदान कर सम्मानित किया । उन्हें 1990 में आईआईएम का बिनानी स्वर्ण पदक, 2000 और 2004 में आईआईएम का सेल स्वर्णपदक और 1997 में मटेरियल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड, 1994 में नासा (यूएसए) अप्रीसिएशन पुरस्कार और 1990 में आईआईडब्ल्यु का आई.टी.मीरचंदानी मेमोरियल रिसर्च अवार्ड, और 1990 में ही एच.डी. गोविंदराज मेमोरियल रिसर्च अवार्ड, 1994 में आईआईडब्ल्यु का डी एंड एच शेकरान अवार्ड और 1996 में आईआईडब्ल्यु का न्यूकोर अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया । डॉ.के. भानु शंकर राव इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग के फेलो, इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेस के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स के फेलो, और एएसएम इंटरनेशनल (यूएसए) के फेलो भी हैं ।

वे कंपनी के किसी भी निदेशक के संबंधी नहीं है और न ही कंपनी के साथ उनका कोई आर्थिक संबंध है ।

वर्ष के दौरान हुई बैठकों और निदेशकगणों की उनमें उपस्थिति के ब्यौरे

		निदेशक मंडल		लेखा परीक्षा समिति	
क्रम सं.	निदेशक का नाम व वर्णन स/श्री	कितनी बैठकों में उपस्थिति जरूरी	कितनी बैठकों में भाग लिया	कितनी बैठकों में उपस्थिति जरूरी	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	एम.नारायण राव	8	8	लागू नहीं	लागू नहीं
2	ज्ञानेश कुमार	8	7	लागू नहीं	लागू नहीं
3	डॉ.जी.मालकोंडय्या	5	3	2	लागू नहीं
4	प्रो. आर. के.मिश्रा	4	3	2	2
5	डॉ.(श्रीमती)बी.किन्नेरा मूर्ति	4	3	2	2
6	वी.एस.कृष्ण मूर्ति	8	8	4	4
7	वी.एस.वर्मा	8	8	4	3
8	श्रीमती इंदु लिबरहान	3	2	2	2
9	डॉ.दीपंकर बनर्जी	3	2	2	2
	स्थायी विशेष आमंत्रित				
10	पी.के.मिश्रा	8	7	2	2
11	सांविधिक लेखा परीक्षकगण	1	1	4	2

		निदेशक मंडल की प्रापण समिति		* सामान्य बैठकें	
क्रम सं.	निदेशक का नाम व वर्णन स/श्री	कितनी बैठकों में उपस्थिति जरूरी	कितनी बैठकों में भाग लिया	कितनी बैठकों में उपस्थिति जरूरी	कितनी बैठकें की
1	एम.नारायण राव	3	3	1	1
2	ज्ञानेश कुमार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	डॉ.जी.मालकोंडय्या	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1
4	प्रो. आर. के.मिश्रा	3	2	लागू नहीं	लागू नहीं
5	डॉ.(श्रीमती)बी.किन्नेरा मूर्ति	3	2	लागू नहीं	लागू नहीं
6	वी.एस.कृष्ण मूर्ति	3	3	1	1
7	वी.एस.वर्मा	3	3	1	1
8	श्रीमती इंदु लिबरहान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1
9	डॉ.दीपंकर बनर्जी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्थायी विशेष आमंत्रित				
10	पी.के.मिश्रा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	सांविधिक लेखा परीक्षकगण	लागू नहीं	लागू नहीं		

* 25-08-2010 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक ।

अपरिहार्य कारणों की वजह से यदि वे बैठक में भाग नहीं ले पाये तो उनसे हर बैठक की अनुपस्थिति के लिए छुट्टी रिकार्ड की गयी ।

अनुबंध - III

लेखा-परीक्षा समिति की भूमिका / शर्तें/ कार्य :

1 कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी की वित्तीय विवरणियॉं सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं - जैसे कार्यों को देखना ।

2 निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणियों को प्रबंधन के साथ विशेष रूप से समीक्षा करना ।

3 निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणियों को प्रबंधन के साथ विशेष रूप से निम्न के संदर्भ में समीक्षा करना:

क कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के खंड (2एए) की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल (बोर्ड) की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए निदेशकगणों के उत्तरदायित्व की विवरणी में शामिल किये जाने की आवश्यकता के मामले;

ख लेखागत नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों तो, और उनके लिए कारण;

ग प्रबंधन द्वारा अपने न्याय के व्यवहार पर आधारित प्राक्कलनों को आवेष्टित करती प्रमुख लेखानीतियॉं;

घ वित्तीय विवरणियों में लेखा परीक्षा द्वारा पाये गये जॉंच परिणामों का उल्लेखनीय समायोजन ;

च वित्तीय विवरणियों से संबंधित विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन

छ किसी संबंधित पार्टी के लेनदेनों का प्रकटन और ;

ज ड्राफ्ट लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएँ

4. लेखा-परीक्षा (एँ):

i) आंतरिक लेखा-परीक्षा:

क) प्रबंधन के साथ मिलकर आंतरिक लेखा-परीक्षकों (बाहरी फर्में) के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा ।

(ख) आंतरिक लेखा-परीक्षा (कंपनी के भीतर) कार्य की पर्याप्तता सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रधान की हैसियत

से कार्यरत पदाधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना का कवरेज और ऐसी लेखा परीक्षा की आवृत्ति की समीक्षा ।

(ग) आंतरिक लेखा परीक्षकगणों के साथ किसी उल्लेखनीय जॉंच परिणाम पर चर्चा और तदनंतर उसपर अनुसरण ;

(घ) लेखा-परीक्षा और अन्य सेवाओं के लिए, यदि कोई हों तो, आंतरिक लेखा परीक्षकगणों की तय की गयी फीस की बोर्ड से सिफारिश करना ।

ii) सांविधिक लेखा-परीक्षकगण

क) लेखा-परीक्षा आरंभ होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकगणों से लेखा-परीक्षा की प्रकृति, व्यापकता और साथ-ही साथ लेखा-परीक्षा के बाद चिंता के किसी विषय को सुनिश्चित करने के लिए चर्चा ।

ख) किन्हीं उल्लेखनीय बातों के पाये जाने पर लेखा-परीक्षकगणों से चर्चा और अनुपालनात्मक कार्रवाई ।

ग) सांविधिक लेखा-परीक्षा की फीस तय करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना ।

घ) उनके द्वारा की गयी किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए लेखा परीक्षा के अलावा लेखा-परीक्षकगणों को किये जानेवाले भुगतान का अनुमोदन ।

5 स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों, आंतरिक लेखा-परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच आपसी संचार के लिए मार्ग प्रशस्त करना ।

6 कवरेज की संपूर्णता, व्यर्थ प्रयासों में कटौती, और तमाम लेखा-परीक्षा स्रोत्रों के प्रभावी उपयोग का आश्वासन देने के लेखा परीक्षा प्रयासों के लिए समन्वयन के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकगणो के साथ समीक्षा ।

7 स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्न पर विचार और समीक्षा करना:

- कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और
- स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा-परीक्षकों और प्रबंधन की अनुक्रियाओं सहित संबंधित जॉंच-परिणाम और सिफारिशें ।

8 प्रबंधन, आंतरिक लेखा-परीक्षक और स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के साथ निम्न पर विचार और समीक्षा:

- वर्ष के दौरान उल्लेखनीय जॉंच-परिणाम सहित पूर्व लेखा-परीक्षा सिफारिशों की अवस्था

- लेखा परीक्षा के दौरान सामना की गयी कठिनाइयों सहित क्रियाकलापों की व्यापकता पर कोई प्रतिबंध या आवश्यक सूचना तक पहुँच ।

9 सरकारी लेखा-परीक्षा

नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की लेखा-परीक्षा की लेखा-परीक्षा टीका-टिप्पणियों पर अनुसरणात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना ।

10 आंतरिक लेखा परीक्षकों / सांविधिक लेखा परीक्षकों / अन्य एजेन्सियों द्वारा किन्हीं मामलों में संदेहात्मक धोखा-धड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में भौतिक प्रकृति की असफलता और मामले को निदेशक मंडल तक रिपोर्ट करने के द्वारा किसी आंतरिक छान-बीन के निष्कर्षों की समीक्षा ।

11 जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारियों, शेयर धारियों (घोषित लाभांशों का भुगतान करने पर) लेनदारों को भुगतान के मामले में वास्तविक गलतियों के लिए कारणों को खोज निकालना ।

12 सीटी बजानेवाली मेकानिज्म के कार्य की समीक्षा करना ।

13 सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना ।

14 कंपनी में सभी पार्टी संबंधित लेन-देनों की समीक्षा और पूर्व अनुमोदन । इस उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षा समिति किसी सदस्य को पदनामित करे जो संबंधित पार्टी लेनदेनों के पूर्व-अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होगा ।

स्पष्टीकरण

(i): संबंधित पार्टी लेनदेन शब्द का वही अर्थ हो जो लेखा मानकों-18, संबंधित पार्टी लेनदेन, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटटेंस ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है ।

[वर्तमान में, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष या अन्य स्वतंत्र अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक जो लेखा समिति का सदस्य है और संबंधित पार्टी लेनदेनों के लिए पूर्व अनुमोदन देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हो, एएस-18 जैसा कि डीपीएफ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत सोचे गये अनुसार सोचा गया है ।]

अनुबंध - IV

पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय

समिति के उद्देश्य और विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

क समिति दिनांक: 26-11-2008 के डीपीईओएम में निहित सभी संबंधित समस्याएँ जो परिवर्तनीय वेतन या निष्पादन संबंधी वेतन पर विचार करेगी ।

ख शक्तिशाली और पारदर्शक निष्पादन प्रबंधन विकसित करने के लिए, अफसरों के ग्रेडिंग में "बेल कर्व अप्रोच" अपनाया जाए ताकि 10% से 15% से अधिक कार्यपालक "असाधारण / उत्कृष्ट" वर्ग में न हों । उसी प्रकार कार्यपालकों में 10% "स्तर से नीचे ग्रेडड" किये जाएँ ।

ग 2007-08, 2008-09 और 2009-10 और 2010-11 वर्षों के लिए योजना का सुझाव देने के लिए स्वीकार्यता, परिमाण, निश्चयन पद्धति, परिवर्तनीय वेतन / निष्पादन संबंधी वेतन के संवितरण के लिए विस्तृत नीति का निर्धारण जो दिनांक: 26-11-2008 के डीपीईओएम में निहित प्रावधानों के अनुसरण में और बशर्ते कि अनुच्छेद (1) (क) और (ख) के अंतर्गत निहित शर्ते है ।

घ सुझायी गयी योजना वर्ष 2012-13 और बाद में तरमीम का संशोधित करने के लिए लचकदार हो जो गत अनुभवों / कठिनाइयों और प्रदान किये जाने योग्य नजर में हों ।

च समिति अपना कार्य पूरा कर अपनी सिफारिशें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय को प्रस्तुत करे जिसे अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के सामने रखा जाएगा ।

छ समिति को चाहिए कि वह अन्य रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में व्यवहृत निष्पादन संबंधी वेतन प्राप्त कर उस पर अध्ययन करे ।

ज अपनी बैठकों का संचालन करने के लिए समिति अपने स्वयं के मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकती है ।

अनुबंध - V

पुट्टपर्ती जगन्नादम एंड कंपनी
कंपनी सचिवगण

नैगम शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण
मिश्रधातु निगम लिमिटेड

हमने मिश्र धातु निगम लिमिटेड के नैगम शासन पर संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन को प्रमाणित करने के उद्देश्य से सभी अभिलेखों का परीक्षण किया गया है अर्थात् "केन्द्रीय सार्वजनिक सिद्धांत-2010" जिसे सार्वजनिक उद्यम विभाग, नयी दिल्ली द्वारा मई, 2010 के दौरान, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए जारी किया गया था । हमने उन तमाम सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है जो मेरी जानकारी और विश्वास हेतु प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक थे ।

नैगम शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारी परीक्षा कार्यविधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित था जिन्हें कंपनी ने नैगम शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया था । यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति आश्वासन है और न ही प्रभावोत्पादकता या प्रभावशालिता के लिए है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों को चलाया है ।

हमारी राय में और हमारी जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि कंपनी ने उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन किया है सिवाय इस बात के कि बिना किसी आरंभिक मेकानिज्म और बोर्ड के चार्टर के प्रारूप की विवरणी को यथा स्थान पर रखा गया है ।

कृते पुट्टपर्ती जगन्नादम एंड कंपनी
कंपनी सचिवगण

(बी.रामा)
भागीदार
सदस्यता सं.7739

हैदराबाद
दिनांक: 4 जुलाई, 2011

मिश्र धातु निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
(एक मिनी रत्ना कम्पनी)
सूपर आलॉय्स प्लाँट
डाकघर :कंचनबाग, हैदराबाद - 500058. भारत
दूरभाष :24340001 (लाईन 10)
फैक्स :040-24340764, 24340214, 24340371
ई-मेइल :spralloy.midhani@ap.nic.in

MIDHANI
AN ISO 9001:2000 COMPANY

MISHRA DHATU NIGAM LIMITED
(A. Govt. of India Enterprise)
(A MINI RATNA COMPANY)
SUPERALLOYS PLANT
P.O. Kanchanbagh, Hyderabad - 500 058. India
Phone : 24340001 (10 Lines)
Fax : 040-24340764, 24340214, 24340371
E-mail : spralloy.midhani@ap.nic.in

अनुबंध- VI

सेवा में,

मिश्र धातु निगम लिमिटेड,

प्रमाणित किया जाता है कि मिश्रधातु निगम लिमिटेड, सार्वजनिक उपक्रम है जिसका पंजीकृत कार्यालय, कंचनबाग, हैदराबाद-500 058 में अवस्थित हैं, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी "सार्वजनिक उद्यमों के लिए नैगम शासन, 2007" के व्यापार आचरण और नैतिक संहिता को अपनाया, जिसके अनुसार कंपनी के निदेशकगणों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की जिम्मेदारी है कि वे संहिता से अपने आपको अवगत रखें और उसके मानकों का अनुपालन करें, और

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मिश्रधातु निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यगण और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है ।

कृते मिश्र धातु निगम लिमिटेड

नारायण राव

(एम.नारायण राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30 जून, 2011

1.0 सामर्थ्य

- विभिन्न मिल रूपों में जैसे फोर्जिंग्स, शीट्स, स्ट्रिप्स, बार्स, राडों, वायरों आदि विशाल रेंज की एडवांस्ड धातुओं और मिश्रधातुओं के निर्माण की कंपनी की क्षमताएँ।
- विभिन्न प्रकार की उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण और प्रक्रियाओं के परिचालन और रखरखाव में 30 वर्षों से अधिक अवधि में अर्जित विश्वस्तरीय अनुभव और विशेषज्ञता ।
- विशेष धातुओं और मिश्रधातुओं के निर्माण में कुशल और अनुभवी मानवशक्ति संसाधन ।
- मिधानि की प्रणालियाँ और क्रियाविधियाँ लंबे समय से परीक्षित, गुणवत्ता सामंजस्य और आईएसओ-9001:2000 प्रमाणीकरण का अनुसरण करती हैं ।
- प्रतिष्ठित निरीक्षण एजेंसियों और कंपनी के प्रमुख ग्राहकों द्वारा स्व-प्रमाणन की अवस्था इसकी आपूर्तियों के कारण प्रदान की गयी ।
- कंपनी का आधुनिकीकरण, उन्नयन और विस्तारण परियोजना कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारेगा ।

2.0 कमजोरियाँ

- संयंत्र और उपकरण बहुत पुराने हैं ।
- मानक आर्थिकताओं की कमी के कारण उच्चतम उपरिव्ययों और उत्पादन लागतों में बढ़ोतरी ।
- उत्पादन के लिए लंबी अवधियाँ ।
- पर्याप्त और मेचिंग डाउन स्ट्रीम सुविधाओं की कमी ।
- विभिन्न ग्रेडों की छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए बने बनाये परिचालन ।
- उत्पादन में सामान्यतया उत्पाद विकास आवेष्टित होता है जिसमें लंबे समयावधियाँ जरूरी होती हैं ।

3.0 अवसर

- भारत और विदेशों में आर्थिक स्थितियों में वर्धन, विशेष अलायों की और स्टीलों की माँग बढ़ रही है ।
- निर्माण में आवश्यक कुछ श्रमिक परिचालनों में अन्य देशों की तुलना में भारत में सस्ती कीमतों पर किया जा सकता है । हाल ही में सृजित अतिरिक्त क्षमताएँ परिचालन लागतों में और आगे कटौती लाएँगी और इस तरह कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक धार में सुधार होगा ।
- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम, इसरो द्वारा वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान बनाना, टैंकों के उपकरण, वायुयान, पनडुब्बियों सबमैरीन्स आदि युद्धनीतिक क्षेत्रों के कार्यक्रम विशेष धातुओं और मिश्रधातुओं की माँग में वृद्धि करेंगे ।
- आर्मर उत्पादों, बायो-मेडिकल इम्प्लांटों, एअरो स्पेस के लिए फास्नर्स और नियर नेट फोर्जिंग्स के उत्पादन की ओर मुड़ने के अवसर मौजूद हैं ।
- भारत में ही विकसित की गयी प्रौद्योगिकियाँ विदेशी उत्पादों पर आश्रितता को घटाएँगी ।
- सामग्रियों के अंगों की प्रक्रियाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सिनर्जाइसेशन और एकीकरण,
- ग्राहकों, संयुक्त उद्यमों के साथ दीर्घावधि संयुक्त उद्यम सुनिश्चित करने और सामरिक गठबंधनों आदि की संभावनाएँ मौजूद हैं ।

4.0 आशंकाएँ

- विश्व के अन्य भागों की तुलना में समसामयिक प्रौद्योगिकी की कमी, परिणामस्वरूप उच्च लागत और सौंपने की लंबी अवधियाँ ।
- कंपनी के कुछ उत्पादों के लिए विपरीत आयात शुल्क संरचना ।
- कुछ क्रान्तिक आयातित कंच्ची सामग्रियों की कीमतों में उच्च उतार-चढ़ाव और साथ ही कभी-कभी उनकी अनुपलब्धता ।
- मॉलिब्डेनम उत्पादों के मामले में चीन द्वारा डंपिंग ।
- उक्त के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी ।
- प्रक्रियाओं और क्रियाविधियों में लुप्तप्राय होने का जोखिम ।
- भारत और विदेशों में प्राईवेट क्षेत्र के संगठनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा ।

लेखापरीक्षकगणों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
हैदराबाद ।

1. हमने मिश्र धातु निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष को स्थित संलग्न तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि लेखे और उसी तिथि की संलग्न नकदी प्रवाह विवरणी की लेखा-परीक्षा कर ली है । ये वित्तीय विवरणियाँ कंपनी के प्रबंधन का दायित्व हैं । और इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर राय प्रकट करना हमारा दायित्व है ।

2. हमने भारत में सामान्य रूप से अपनाये जाने वाले लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप ही अपना लेखा परीक्षा कार्य संचालित किया है । उन मानकों की आवश्यकता है कि क्या वित्तीय विवरणियाँ वस्तुपरक गलत विवरणियों से मुक्त हैं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें योजना बनाकर लेखा परीक्षा का कार्य निष्पादित करना है । लेखा परीक्षा में, परीक्षण आधार पर परीक्षण करना और राशियों का समर्थन करते साक्ष्य और वित्तीय विवरणियों में उन्हें उद्घाटित करना शामिल है । लेखा परीक्षा के कार्य में, उपयोग में लाये गये लेखागत सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाये गये विशेष अनुमान और साथ ही साथ वित्तीय विवरणियों का समग्र मूल्यांकन भी शामिल हैं । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करती है ।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनियों (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट), आदेश 2003 जिसे कंपनियों (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट), 2004 के द्वारा संशोधित किया गया है की आवश्यकताओं के अनुसार उक्त आदेश के अनुच्छेदों 4 और 5 में विशिष्ट रूप से बताये गये विषयों पर हम विवरणी, अनुबंध में संलग्न करते हैं ।

4. उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में संदर्भित अनुबंध में हमारे द्वारा की गयी टीका-टिप्पणियों के आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए जो भी आवश्यक था वह तमाम सूचना और स्पष्टीकरण हमने प्राप्त कर लिये हैं ।

ख) हमारी राय में और विधि की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा जहाँ तक हमने उन लेखा बहियों का परीक्षण किया है, इससे पता चलता है कि कंपनी ने लेखों की उचित बहियों का निर्वाह किया है ।

ग) इस रिपोर्ट द्वारा विचार किये गये तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं ।

घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट द्वारा विचार किये गये संलग्न तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि लेखा, और नकदी प्रवाह विवरणी, कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में संदर्भित अधिदेशात्मक लेखा मानकों के अनुरूप हैं, सिवाय इसके कि :

वित्तीय विवरणियों की अनुसूची-20 में की गयी टिप्पणी सं.21

में संदर्भित खंड रिपोर्टिंग अनुसार एएस.17 का अननुपालन । फिर

भी, चालू वर्ष के लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

ङ) विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय, कंपनी मामलों के सामान्य परिपत्र सं.8/2002, दिनांक: 22 मार्च, 2002 की शर्तों के अनुसार सरकार कंपनियॉं, कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधानों के उनपर लागू होने से कंपनी को छूट प्राप्त हैं । अंत:, इस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की गयी है ।

च) हमारी राय में और हमें प्रदान की गयी सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे उपर्युक्त अनुच्छेद - 4(डी) जो विशिष्ट लेखा नीतियों और विशेषतया उसपर की गयी अन्य टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले निम्न के संबंध में:

- ग्राहक वित्तीयन परियोजनाओं के संबंध में शेष राशियों की पुष्टि के प्राप्त न होने के अभाव में अनुसूची-20 की(टिप्पणी 5(ii))में रुके पड़े लेखों का परिशोधन।

- विभिन्न बैको के पास नियत जमा के लिए जमा राशियो का सत्यापन किया गया और पुष्टि प्राप्त की गयी । अन्य सरकारी / अर्ध सरकारी एजंसियो जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि के पास जमा राशियो की / का मिलान जरूरी है ।

- कंपनी से सभी फुटकर देनदारो को पुष्टिपत्र भेजे गये । इस तरह फुटकर देनदारो के पास रखी शेष राशियो की पुष्टि / या मिलान करना है ।

- फुटकर देनदारों, ऋणों और अग्रिमों, प्राप्य दावों, फुटकर लेनदारों, ठेकेदारों / उप-ठेकेदारों और अन्यों के पास रखी सामग्रियाँ जो पुष्टिकरण और / या मिलान के लिए हैं । (अनुसूची-20 की(टिप्पणी 7).

उक्त लेखे कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा के अंतर्गत सूचना प्रदान करते हैं और वह भी इस आवश्यक ढंग से कि वे भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप सही और स्पष्ट दृष्टिकोण दर्शाते हैं :

(i) कंपनी के मामलों से संबंधित 31 मार्च, 2011 को स्थित तुलन-पत्र के मामले में।

(ii) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ तथा हानि लेखे के मामले में और

(iii) उसी तिथि को समाप्त वर्ष की कंपनी की नकदी प्रवाह विवरणी के नकदी प्रवाह के मामले में ।

कृते सत्यम और वीरभद्र
सनदी लेखापाल
पंजीकृत सं.003666एस

(के.वी.चलमय्या)
भागीदार
सदस्यता सं.205574

हैदराबाद
दिनांक: 25 जुलाई, 2011

लेखा परीक्षकगणों के प्रतिवेदन का अनुबंध

(हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 में संदर्भित)

संदर्भ : मिश्र धातु निगम लिमिटेड

(i) क कंपनी ने उपलब्ध सूचना के आधार पर परिमाणात्मक ब्यौरों और नियत आस्तियों की स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का निर्वाह किया है ।

ख. जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियत आस्तियों की भौतिक जाँच चरणबद्ध रूप से की गयी, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और आस्तियों की प्रकृति के अनुसार उचित ही हैं । हमें दी गयी सूचना के अनुसार, इस प्रकार की भौतिक जाँच में किसी प्रकार की विसंगतियाँ नहीं पायी गयीं हैं । हमारी राय में भौतिक जाँच की प्रक्रिया के परिणामों का दस्तावेजीकरण करने और निष्कर्षों के सारांश का अभिलेखीकरण करने की आवश्यकता है ।

ग हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान नियत आस्तियों के किसी भी महत्वपूर्ण भाग को बेचा नहीं है ।

(ii) क हमें स्पष्ट किये गये अनुसार वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा मालसूचियों की भौतिक रूप से जाँच की गयी । हमारी राय है कि जाँच की आवृत्ति में सुधार किया जाए ।

ख हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा मालसूचियों की भौतिक जाँच में अपनायी गयी क्रियाविधियाँ कंपनी के आकार और उसकी व्यापार प्रकृति के अनुरूप समुचित हैं ।

ग कंपनी ने मालसूचियों के उचित अभिलेखों का निर्वाह किया है । हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा की गयी भौतिक जाँच के समय पायी गयी 109.93 लाख रुपयों के मूल्य के गत वर्षों से संबंधित विसंगतियों को खाते में लाया गया है और हमारी राय में उन्हें समुचित रूप से लेखा बहियों में दर्शाया गया है ।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में आवरित कंपनियों/फर्मों या अन्य पार्टियों को न तो किसी प्रकार के ऋणों को प्रदान किया है और न ही उनसे लिया है ।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची की खरीदारी, नियत आस्तियों और मालों के विक्रय और सेवाओं के लिए कंपनी के आकार और व्यापार प्रकृति के अनुसार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं। हमारी लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बडी कमजोरियाँ नहीं पायी हैं ।

(v) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में ठेकों या व्यवस्थाओं को प्रविष्ट करने की आवश्यकता के अनुसरण में कोई लेन-देन नहीं किये गये हैं ।

(vi) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियाँ प्राप्त नहीं की है ।

(vii) हमारी राय में, कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली उसके आकार और व्यापार प्रवृत्ति के अनुरूप है ।

(viii) हमने कंपनियों के अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसरण में सामग्रियों, श्रमिकों और लागत की अन्य मदों के संबंध में रखी जा रही लेखा बहियों की बृहद रूप से परीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्ट्या निर्धारित लेखों और अभिलेखों का निर्वाह किया गया है ।

(ix) क अभिलेखों के अनुसार कंपनी विवादरहित सांविधिक देयताओं के साथ-साथ भविष्य निधि, निवेशक, शिक्षा और परिरक्षण निधि कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शुल्क, सेवा कर और अन्य सांविधिक देयताएँ उचित प्राधिकारियों के पास जमा कराने में सामान्यत: नियमित रही हैं ।

ख ख हमें दिये गये स्पस्टीकरणों और सूचना के अनुसार आयकर, संपत्तिकर, बिक्रीकर, सीमा सल्क और उत्पाद सुल्क, और सैस के पडे बकाये 31-03-2011 तक उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए हैं। उनके बारे में कोई राशि अदायगी के लिए विवाद रहित नही है।

विवादास्पद 233.05 लाख रुपयों की सांविधिक देयताएँ जिन्हें संबंधित प्राधिकारियों के पास लेखों के मामलों के रुके पडे रहने के कारण, जमा करवाये नहीं जा सके हैं, निम्नानुसार हैं :

संविधि का नाम	देयताओं की प्रकृति	फोरम जहाँ विवाद रुका पडा है	राशि (रु.....)
आयकर अधिनियम, 1961	वित्त वर्ष 2008-09 के लिए आयकर	आयकर आयुकत (अपील) - V हैदराबाद	2,33,04,866

(x) कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक कोई संचित हानियाँ नहीं उठायी हैं और हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किये गये वित्त वर्ष के दौरान या तत्काल गत वित्तीय वर्ष के दौरान किसी प्रकार की नकदी हानियाँ नहीं उठायी हैं ।

(xi) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को देयताओं के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है ।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने, प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की गिरवी के रखकर किसी प्रकार के ऋणों, अग्रिम राशियों को मंजूर नहीं किया है ।

(xiii) हमारी राय में, कंपनी कोई चिट फंड या निधि / म्यूच्वल बेनिफिट निधि / सोसाइटी नहीं है । अत:, अनुच्छेद-4 (xiii) लागू नहीं है ।

(xiv) कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों या अन्य निवेशों में लिप्त है और न ही उनका व्यापार करती है । अत: अनुच्छेद-4 (xiv) लागू नहीं हैं ।

(xv) कंपनी ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से अन्यों द्वारा लिये गये ऋणों की गारंटी दी है। हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि उनसे संबंधित शर्तें कंपनी के हितों के प्रथम दृष्ट्या पूर्वाग्रहपूरित नहीं हैं ।

(xvi) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई नये मीयादी ऋण नहीं लिये हैं ।

(xvii) हमें दी गयी सूचना और दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र परीक्षा के पश्चात हमारी राय है कि कंपनी ने दीर्घावधि निवेशों के लिए

लघु अवधि आधारपर किसी प्रकार की निधियों का उपयोग नहीं किया है ।

(xviii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने, कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में आवरित पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है ।

(xix) कंपनी ने डिबेंचरों को जारी करने के द्वारा कोई धन नहीं कमाया है ।

(xx) कंपनी ने सार्वजनिक प्रचालन के द्वारा किसी प्रकार का धन नहीं कमाया है । अत:, अनुच्छेद -4 (xx) लागू नहीं है ।

(xxi) हमें दी गयी सूचना और दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर की गयी कोई धोखाधडी न तो नजर में आयी है और न ही इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज की गयी है ।

कृते सत्यम और वीरभद्र

सनदी लेखापाल

पंजीकृत सं.003666एस

(के.वी.चलमय्या)

भागीदार

सदस्यता सं.205574

हैदराबाद

दिनांक: 25 जुलाई, 2011

कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत मिश्रधातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ

कंपनियों के अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर भारत के सनदी लेखापालों के संस्थान जो उनका व्यावसायिक निकाय है, उसके द्वारा निर्धारित किये गये लेखा परीक्षण और आश्वासन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं । उन्होंने अपने दिनांक: 25 जुलाई, 2011 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अपनी राय व्यक्त कर दिये जाने को बता दिया है।

मैंने, कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद की वित्तीय विवरणियों की, भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की ओर से, अनुपूरक लेखा परीक्षा की है । यह अनुपूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक कागजात देखे बिना स्वतंत्र रुप से की गयी है और सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिको और कुछ चुनिन्दा लेखा-अभिलेखों की परीक्षा की गयी और उन्हें प्राथमिकता तक सीमित किया गया है । मेरी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी के अनुसार कोई ऐसी उल्लेखनीय बात सामने नहीं

आयी है जो कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी या अनुपूरण के मामले को उठाती हो ।

कृते और भारत के नियंत्रक व
महा लेखा परीक्षक की ओर से

(वाई. एन. ठाकरे)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक: 18 अगस्त, 2011

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1.0 लेखा पद्धति :

वित्तीय लेखों को जब तक अन्यथा व्यक्त नहीं किया जाता तब तक उन्हें ऐतिहासिक लागत के प्रोद्भूत आधार के अंतर्गत तैयार किया जाता है ।

2.0 नियत आस्तियाँ

2.1.1 सरकार द्वारा अन्यसंक्रमण अधिग्रहण की तरह प्राप्त भूमि का लागत पर या अनुमानित लागत पर या फिर सरकार द्वारा सूचित किये गये अनुसार देयता के निश्चयन के रुके पडे रहने पर भी मूल्यांकन किया गया है ।

2.1.2 खुली भूमि के विकास पर किया गया व्यय भूमि की लागत के अंशरूप में पूँजीकृत है ।

2.2 अन्य नियत आस्तियों को लागत पर दर्शाया गया है । लागत में, जहाँ कहीं लागू हो, निर्माण के दौरान व्यय का आबंटन और आरंभ और चालू करने के व्यय शामिल हैं।

2.3 आंतरिक रूप से किये गये पूँजीगत कार्यों का मूल्यांकन मूल लागत पर किया गया है अर्थात् प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष सामग्री और सीधे व्ययों की लागत ।

2.4 संयंत्र, मशीनरी और उपकरण के साथ आरंभ में प्राप्त किये गये अतिरिक्त पुर्जे पूँजीकृत हैं और संयंत्र तथा मशीनरी की तरह ही मूल्यह्रासित किये गये हैं ।

2.5 जहाँ नियत आस्तियों की वास्तविक लागत का परिशुद्ध रूप निश्चित नहीं किया जा सकता, ऐसी आस्तियों को अनुमानित लागत के आधार पर आरंभिक तौर से पूँजीकृत किया गया है । वास्तविक लागत तय करने पर सकल अवरुद्ध राशि को समायोजित किया जाता है और आस्ति के शेष बचे जीवन के ऊपर आनुपातिक रूप से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है ।

2.6 बेकार नियत आस्तियों का निपटान रोक रखकर पुस्तक मूल्य पर अलग से नियत आस्तियों की अनुसूची में मूल्यांकित या उगाही योग्य मूल्य, दोनों में से जो भी

कम हो बताया है । यदि कोई अंतर हो तो उसे प्रभारित नहीं किया जाता ।

2.7 समय-समय पर संशोधित कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा-XIV में बतायी गयी विधि और सीधी रेखा पद्धति के अनुसार नियत आस्तियों के दरों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है ।

2.8 कंपनियों के अधिनियम की अनुसूची-XIV में बतायी गयी दरों की तुलना में उच्चतर दरों पर किये गये तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कुछ आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास प्रदान किया गया है ।

2.9 संयंत्र और मशीनरी के संबंध में, संयंत्र की निरंतर प्रक्रिया के लिए निर्धारित दर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अपनायी गयी है ।

3.0 आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि की समाप्ति की स्थिति के अनुसार आस्तियों की कैरीइंग राशि का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है कि क्या यहाँ कोई क्षति हुई है । यदि वसूली योग्य अनुमानित राशि उसकी कैरीइंग राशि की तुलना में कम हो तो क्षति के कारण हुई हानि की पहचान करके उसे मान्यता दी जाती है और आस्तियों को उनकी वसूली योग्य राशि के समान लिख लिया जाता है ।

4.0 मालसूचियाँ और मूल्यांकन

मालसूचियों का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जाता है :

4.1 केंद्रीय भंडार में कच्ची सामग्रियाँ, उपभोज्य उपकरण, और औजार तथा यंत्र :

भार पर औसत लागत

4.2 शाप फ्लोरों / शापों में उप भंडारों में कच्ची सामग्रियाँ

- वर्ष के अंत में, केन्द्रीय भंडारों के भार पर औसत दर ।

4.3 शाप फलोर / शाप भंडारों में उपभोज्य सामग्रियाँ

केन्द्रीय भंडारों से आहरित सभी भंडारों को व्ययों को चार्ज किया जाता है। प्रबंधन

द्वारा समय-समय पर पहचान की गयी "क" तथा "ख" वर्ग की शाप / शाप भंडारों पर पड़ी उपभोज्य सामग्रियों वर्ष के अंत में भार के औसत दर से मालसूचियों में लायी जाती हैं । फिर भी, मोल्डों, रोले, डाइयों जो वर्ष के अंत में भी उपयोग में रहती हैं उन्हें तकनीकी अनुमान पर उनके शेष जीवन के संदर्भ में जारी किये गये दरों पर मूल्यांकित किया जाता है ।

4.4 पुन: उपयोग में लायी जाने वाली प्रक्रिया रद्दी, प्रक्रिया द्वारा अस्वीकृतियाँ और ग्राहकों के पास वापस करने के लिए रखी हुई विक्रय अस्वीकृतियों को - रद्दी के लिए उगाही मूल्य पर आँका जाता है ।

4.5 औजार और गेजेस :

जारी किये गये औजार, यंत्र, गेजों आदि को उनके अनुमानित जीवन के ऊपर समरूप से संक्रामित / परिशोधित किया जाता है ।

4.6 प्रक्रियारत कार्य

लागत पर या तकनीकी मूल्यांकन पर, उत्पादन के आधार की अवस्था के अनुमानित उगाही योग्य मूल्य दोनों में से जो भी कम हो हिसाब में लिया जाता है । फिर भी, 5 वर्ष से अधिक समयों के चालू कार्यों को उगाही योग्य रद्दी दर पर आँका जाता है ।

4.7 तैयार माल -- लागत पर या निवल उगाही योग्य (शाप में तैयार हो जाने की अवस्था में) मूल्य में से जो भी कम हो ।

4.8 मार्गस्थ मालों को लागत पर आँका जाता है ।

4.9.1 अधिशेष / बेकार घोषित भंडारों को निपटान के लिए बचाये गये मालों को आंतरिक करके राजस्व को प्रभारित किया जाता है ।

4.9.2 तीन वर्षों से अधिक अवधि से अचल पडी कच्ची सामग्रियाँ, उपभोज्य मालों, पुर्जों के लिए निम्न प्रकार से प्रावधान किया जाता है :

कच्ची सामग्रियाँ : बही के मूल्य का 85%

उपभोज्य सामग्रियाँ : बही के मूल्य का 50%

और अतिरिक्त पुर्जे

4.10 लेखन सामग्री, वर्दियों, चिकित्सा तथा कैंटीन भंडारों को प्राप्त करने के समय ही राजस्व को प्रभारित कर दिया जाता है ।

5.0 कंपनी द्वारा / के खिलाफ किये गये दावे

5.1 हानि / क्षति होने पर / बीमाकर्ताओं / मालवाहकों पर दावों को उसी समय हिसाब में लिया जाता है जब धन के लिए दावे किये जाते हों ।

5.2 आयातों / पोर्ट ट्रस्ट प्रभार / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहित सीमा शुल्क की धन वापसी के लिए किये गये दावों को स्वीकार / प्राप्ति के समय ही हिसाब में ले लिया जाता है ।

5.3 वसूल होने पर ही आपूर्तिकर्ताओं पर चुकायी गयी क्षतियों को हिसाब में लिया जाता है । ग्राहकों द्वारा लादी गयी परिसमाप्त क्षतियों को ग्राहकों द्वारा वसूल होने पर प्रभारित किया जाता है ।

5.4 सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के विवादग्रस्त / कालातीत बकाया राशियों को संदिग्ध बकायों की तरह नहीं माना जाता, फिर भी, मामले दर मामले के आधार पर लेखा बहियों में समुचित समीक्षा प्रावधानों / बट्टे खाते डालने के हिसाब में लिया जाता हैं ।

5.5 सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को छोडकर अन्यों से देय राशियों पर संदिग्ध बकायों के लिए प्रावधान बोर्ड द्वारा तय किये गये दरों के आधार पर किया जाता है । (एक वर्ष से कम-शून्य एक से दो वर्ष 10%, दो से तीन वर्ष 25%, तीन से चार वर्ष तक 50%, चार से पाँच वर्ष तक 80% और पाँच वर्ष से अधिक होने पर 100%)।

6.0 कर्मचारी हित

6.1 मात्र कर्मचारियों को अदा किये जाने वाले उपदान को एक अलग न्यास द्वारा दिया

जाता है, न्यास / ट्रस्ट ने एलआईसीजीजीएफ के साथ पालिसी ली है । जीवन बीमा निगम की वार्षिक प्रीमियम के नवीकरण के लिए न्यास द्वारा की गयी मांगों को लाभ तथा हानि लेखों को प्रभारित किया जाता है ।

6.2 कर्मचारियों के लिए वर्ष के अंत में छुट्टी के नकदीकरण के लिए किया गया प्रावधान वर्षांत की स्थिति के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

6.3 समझौता भत्ता : कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय पात्र राशि अदा की जाती है।

7.0 विक्रय

7.1 विक्रयों में उत्पाद शुल्क शामिल रहता है । कार्य स्थल से बाहर / एफ ओ आर / एफ ओ बी/ ठेकों के मामले में जब ग्राहकों को भेजने के लिए मालों को मालवाहकों के एजेंट को हस्तांतरित किया जाता है तब और विक्रय तय माना जाता है जहॉ कहीं कार्यस्थल पर ग्राहकों द्वारा मालों का पहले निरीक्षण तय किया हुआ होता है तब स्वीकार्य होने पर ही विक्रय को हिसाब में लिया जाता है ।

7.2 विक्रय पर मूल्य-वृद्धि के लिए दावों को दावे के तय हो जाने पर हिसाब में लिया जाता है । ऐसे मामलों में जहॉ विक्रय ठेकों / आदेशों में विशिष्ट रूप से मूल्यवृद्धि की शर्त प्रदान की गयी है, किये गये दावों के आधार पर मूल्यवृद्धि को हिसाब में लिया जाता है ।

7.3 जहॉ विक्रय दर तय नहीं हुए हों, तब अनंतिम आधार पर उगाही योग्य विक्रय मूल्यों को तय किया जाता है ।

8. उप-ठेकेदारों को मालों का निर्गम:

ऐसे मद जिन्हें लंबे उत्पादन चक्र समय की आवश्यकता होती है उनकी आपूर्ति के लिए ठेकों के संबंध में कंपनी से बाहर जिनमें मध्यस्थ/अंतिम परिचालन आवेष्टित होते है वहॉ आय को निम्नानुसार आनुपातिक रूप से मान्यता दी जाती

है :

क जहाँ मूल्य काम पूरा होने की प्रत्येक अवस्था के लिए उपलब्ध हैं : पूर्ण होने की अवस्था का समुचित मूल्य ।

ख जहाँ मूल्य काम पूरा होने की हरेक अवस्था के लिए उपलब्ध नही हैं: मद को पूरा करने के लिए उठायी जाने वाली अनुमानित लागत घटाने के लिए अंतिम ठेका मूल्य का 90% जैसे भी मामला हो ।

शेष राशि को मद के निर्गम और पूरा होने / स्वीकार्य होने पर आय की तरह मान्यता दी जाती है ।

9.0 नियत आस्तियों और मालसूची की भौतिक जाँच :

9.1 भूमि तथा विकास, सडकें तथा भवन, ड्रेनेज, सिवरेज और जल प्रणाली और भवन तथा आंतरिक सेवाओं की तीन वर्ष में एक बार जाँच होती है । नियत आस्तियों की जाँच वित्त वर्ष में एक बार की जाती है । छोटे-छोटे विविध शाप उपकरण, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण आदि जिनका व्यक्तिगत मूल्यांकन 2000/- रुपये हो छोडकर अन्य सभी मदों के लिए मिलान किया जाता है ।

9.2 केन्द्रीय भंडार में कच्ची सामग्रियों की मालसूचियों, भंडारों औरअतिरिक्त पुर्जों की जाँच सतत आधार पर समय-समय पर तय किये गये नियमों के अनुसार मिलान किये जाते हैं । मिलान कार्य को रोक रखने की विसंगतियों के संबंध में, अनंतिम समायोजन किये जाते हैं ।

9.3 केन्द्रीय भंडार में कच्ची सामग्रियों की मालसूचियाँ, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की समय-समय पर नियत किये गये नियमों के अनुसार सतत आधार पर जाँच की जाती है । मिलान को रोक रखकर विसंगतियों के संबंध में राजस्व को अनंतिम समायोजन किये जाते हैं ।

10.0 विदेशी मुद्राओं के लेनदेनों के बारे में लेखा :

10.1 विदेशी मुद्राओं के लेनदेनों को, लेनदेन होने की तिथि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दरों को लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा को रिकार्ड किया जाता है ।

10.2 वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में प्रधानता वाले धन संबंधी मदों को वर्षान्त की दरों पर पुनर्व्यक्त किया जाता है और गैर-अर्थ संबंधी मदों को लागत पर दिया जाता है ।

10.3 निपटान / पुनर्विवरण पर उठने वाले विनिमय अंतर जिन दरों को आरंभ में रिकार्ड किया गया था और जो उनसे भिन्न थे उन्हें आय या वर्ष में होने वाले व्ययों की तरह मान्यता दी जाती है ।

11. नकदी आधार पर लेखा :

प्राप्ति/पुनर्भुगतान के समय निम्न मदों को हिसाब में लिया जाता है:

(क) बेकार रद्दी / भंडारों का विक्रय

(ख) निर्यात प्रोत्साहन

(ग) छुट्टी यात्रा नकदीकरण

12.0 निवेश :

12.1 निवेश जो उगाही के लिए तैयार हों और जिन्हें एक वर्ष से अधिक के लिए न धरा जाना हो तो उन्हें चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत करके लागत से कमतर या वैयक्तिक निवेश आधार पर उनका उचित मूल्य निश्चित किया जाता है ।

12.2 अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और मूल्य में किसी प्रकार की कमी का प्रावधान करने के बाद, और अगर ऐसी कमी

स्थायी प्रकृति की हो तो उसे लागत पर लिया जाता है ।

13. उधार लागतें :

उधार लागतें जो अधिग्रहण के आरोप्य हैं या गुणवान आस्तियों के निर्माण की ऐसी आस्तियों की लागत के अंगरूप हैं उन्हें पूँजीकृत किया जाता है । अन्य सभी उधार लागतें राजस्व को प्रभारित कीजाती हैं ।

14. आस्थगित कर :

आस्थगित कर को विवेक के विचार के इस शर्त पर मान्यता दी जाती है कि वह समय की भिन्नता पर, कर योग्य आय और हिसाब में ली गयी आय, जो एक अवधि में जनित होती है और बाद की अवधियों में एक या ज्यादा बार कर योग्य आय और लेखागत आय के बीच उलटने के योग्य होती हैं । आस्थगित कर आस्तियों को समुचित निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है, कि भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी तो ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के विरुद्ध उगाही वसूली की जा सकती है ।

15. पूर्वावधि और असाधारण मदें :

पूर्वावधि और असाधारण मदों को लाभ तथा हानि लेखे में अलग से व्यक्त किया गया है ।

16. प्रावधान :

प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है जब कि भूतकाल की घटना के परिणाम की तरह कंपनी वर्तमान बाध्यता ले, और यह संभव है कि बाध्यता के

निपटान के लिए स्रोतों के बाहर जाने की आवश्यकता हो, जिसके संबंध में एक विश्वस्त अनुमान तैयार किया जा सकता है । उसकी वर्तमान मूल्य में से प्रावधानों की कटौती नहीं की जाती और तुलन पत्र की तिथि पर बाध्यता के निपटान के लिए सर्वोत्तम अनुमान की आवश्यकता के आधार पर निश्चित किये जाते हैं । प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा करके चालू सर्वोत्तम अनुमानों को परावर्तित करने समायोजित किया जाता है ।

17. व्यय का वर्गीकरण :

सभी आयों और व्ययों को प्राकृतिक लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है । जहाँ कही आवश्यकता हो कार्यात्मक आधार पर व्यय का आबंटन लेखों में टिप्पणी / अनुसूची के रूप में दिया गया है ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्यम और वीरभद्र
सनदी लेखापाल
(के.वी.चलमय्या)
भागीदार
स्थान : हैदराबाद
दिनांक :25-07-2011

कृते निदेशक मंडल एवं उसकी ओर से
एम.नारायण राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
वी.एस.कृष्णमूर्ति, निदेशक (वित्त)
पी.वी.सुब्बा राव, कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-07-2011

दिनांक 31 मार्च, 2011 को स्थित तुलन पत्र	अनुसूची संदर्भ	31 मार्च, 2011 की स्थिति लाख रु. में		31 मार्च, 2010 की स्थिति लाख रु. में	
निधियों के स्रोत					
शेयरधारियों की निधियाँ					
ईक्विटी पूँजी	1	18,334.00		18,334.00	
प्रारक्षित व अधिशेष निधियाँ	2	15,461.46		12,759.18	
			33,795.46		31,093.18
ऋण निधियाँ					
प्रतिभूति सहित ऋण	3	106.92		17.45	
अप्रतिभूति सहित ऋण	4	3,500.00	3,606.92	4,420.00	4,437.45
आस्थगित कर देयताएँ			40.04		47.18
योग			**37,442.42**		**35,577.81**
निधि का विनियोजन					
नियत आस्तियाँ					
सकल अवरुद्ध राशि	5	**17,693.55**		**15,454.37**	
घटाएँ: मूल्यह्रास		**12,167.16**		**11,777.55**	
निवल अवरुद्ध राशि		**5,526.39**		**3,676.82**	
चालू कार्य में पूँजी	6	**1,415.15**	**6,941.54**	**1,550.08**	**5,226.90**
निवेश	7		**210.11**		**210.11**
चालू आस्तियाँ, ऋण और					
अग्रिम राशियाँ	8				
मालसूचियाँ		**39,226.10**		**32,046.03**	
फुटकर देनदार		**10,406.38**		**10,753.71**	
नकदी और बैंक में शेषराशि		**18,847.38**		**24,033.00**	
अन्य चालू आस्तियाँ		**1,040.71**		**1,434.02**	
ऋण और अग्रिम राशियाँ		**12,363.47**		**9,485.65**	
		81,884.04		**77,752.41**	

दिनांक 31 मार्च, 2011 को स्थित तुलन पत्र	अनुसूची संदर्भ	31 मार्च, 2011 की स्थिति लाख रु. में		31 मार्च, 2010 की स्थिति लाख रु. में	
घटाएँ: चालू देयताएँ और प्रावधान	9				
देयताएँ		37,178.11		37,218.58	
प्रावधान		14,415.16		10,393.03	
निवल चालू आस्तियाँ		51,593.27		47,611.61	
			30,290.77		30,140.80
योग			37,442.42		35,577.81

लेखों की टिप्पणियाँ
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ, लेखा नीतियाँ और लेखों की टिप्पणियाँ तुलन पत्र का अभिन्न अंग बनती हैं ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्यम और वीरभद्र
सनदी लेखापाल
(के.वी.चलमय्या)
भागीदार

स्थान : हैदराबाद
दिनांक :25-07-2011

कृते निदेशक मंडल एवं उसकी ओर से
एम.नारायण राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
वी.एस.कृष्णमूर्ति, निदेशक (वित्त)
पी.वी.सुब्बा राव, कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-07-2011

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा

	अनुसूची संदर्भ	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष ....लाख रु. में		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष ....लाख रु. में	
आय					
विक्रय (सकल)		**29,227.43**		29,124.27	
विक्रय (सकल)-विशेषज्ञ स्रोत		**3,869.88**		2,433.37	
समाधान					
घटाएँ : माल वापसियाँ		**35.17**		74.75	
घटाएँ: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		**998.34**		775.33	
जोडें: उप-ठेकेदारों को निर्गमित मालों से आय		**8,724.63**		**5,638.10**	
विक्रय (निवल)			**40,788.43**		**36,345.66**
	10		**6,758.81**		**202.64**
प्रक्रियाधीन और तैयार मालों के मूल्य में वृद्धि /अवमूल्यन					
अन्य आय	11		**1,906.05**		**1,863.13**
आय का योग			**49,453.29**		**38,411.43**
व्यय					
सामग्रियों और उपभोज्यों की खपत	12		**21,118.22**		**14,672.98**
बिजली और ईंधन	13		**3,091.20**		**2,378.14**
कर्मचारियों की मजदूरियाँ और उन्हें दिये गये हितलाभ	14		**10,009.33**		**9,246.03**
मरम्मत और रखरखाव					
जॉबों में भरती और आधे काम (सेमीस)	15		**820.27**		**752.05**
अन्य व्यय			**3,826.64**		**2,682.29**
प्रावधान	16		**1,916.04**		**1,425.03**
ब्याज	17		**36.99**		**13.63**
मूल्यह्रास	18		**679.41**		**155.95**
	5		**389.21**		**324.69**
व्ययों का योग			**41,887.31**		**31,650.79**
पूर्वावधि समायोजनों से पहले लाभ			**7,565.98**		**6,760.64**

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा

	अनुसूची संदर्भ	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष ....लाख रु. में		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष ....लाख रु. में	
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	19		47.84		(6.14)
कर से पूर्व लाभ			7,518.14		6,766.78
वर्ष के लिए कर का प्रावधान		2,483.10		2,353.91	
गत वर्ष के लिए कर का प्रावधान		--		--	
सीमांत लाभ कर के लिए प्रावधान				--	
उपचित कर के लिए प्रावधान		(7.14)		(48.79)	
			2,475.96		2,305.12
कर के बाद लाभ			5,042.18		4,461.66
विनियोगों के लिए उपलब्ध लाभ			5,042.18		4,461.66
विनियोजन					
अंतरिम लाभांश			200.00		100.00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश			1800.00		792.33
लाभांश पर कर			339.90		151.65
सामान्य प्रारक्षित निधियाँ			2,702.28		3,417.68
विनियोजनों का योग			5,042.18		4,461.66
प्रतिशेयर फेस मूल्य रु.1000/- प्रत्येक - मौलिक और हल्का किया गया ।			275.02		304.88

लेखों पर टिप्पणियाँ 20

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ, लेखागत नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ लाभ तथा हानि, लेखे का अभिन्न अंग है ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्यम और वीरभद्र
सनदी लेखापाल
(के.वी.चलमय्या)
भागीदार

स्थान : हैदराबाद
दिनांक :25-07-2011

कृते निदेशक मंडल एवं उसकी ओर से
एम.नारायण राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
वी.एस.कृष्णमूर्ति, निदेशक (वित्त)
पी.वी.सुब्बा राव, कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-07-2011

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2011 को स्थित तुलन पत्र की अंगरूप अनुसूचियाँ

	31 मार्च, 2011 की स्थिति ....लाख रु. में	31 मार्च, 2010 की स्थिति ....लाख रु. में
अनुसूची -1 : ईक्विटी पूँजी		
प्राधिकृत		
रु.1000/- मूल्य के 20,00,000 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष रु.1000/- प्रत्येक के 20,00,000 ईक्विटी शेयर)	20,000.00	20,000.00
जारी, पूर्वक्रीत और प्रदत्त *	18,334.00	14,634.00
रु.1000/- प्रत्येक के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 14,63,400 ईक्विटी शेयर	-	3,700.00
	18,334.00	18,334.00
शेयर आवेदन रुपये (रु.1000/- मूल्य के 3,70,000 ईक्विटी शेयर 31-3-10 को प्राप्त हुए) गत वर्ष शून्य		

* इसमें रक्षा मंत्रालय दवारा विशेषकर फोर्ज प्रेस के प्रापण के लिए दिये गये रु. 39.08 करोड शामिल है , जिसे पुन: निविदाकरण करने के कारण नियत जमा मे रखा गया है ।

अनुसूची -2 : प्रारक्षित और अधिशेष राशियाँ				
सामान्य प्रारक्षित राशि				
गत लेखे के अनुसार शेष राशि	12,759.18		9,341.50	
जोडें: लाभ तथा हानि लेखे से अंतरण	2,702.28		3,417.68	
कुल		**15,461.46**		**12,759.18**

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2011 को स्थित तुलन पत्र की अंगरूप अनुसूचियाँ

	31 मार्च, 2011 की स्थिति ....लाख रु. में		31 मार्च, 2010 की स्थिति ....लाख रु. में	
अनुसूची - 3 : ऋण निधियाँ				
प्रतिभूति सहित				
बैंक से मीयादी ऋण &	9.67		17.45	
बैंकों से नकदी उधार #	97.25		-	
अप्रतिभूत		106.92		17.45
भारत सरकार से ऋण **	3,500.00		4,420.00	
कुल		3,500.00		4,420.00
		3,606.92		4,437.45

**इसमें रक्षा मंत्रालय दवारा विशेषकर फोर्ज प्रेस के प्रापण के लिए दिये गये रु. 35.00 करोड शामिल है , जिसे पुन: निविदाकरण करने के कारण नियत जमा मे रखा गया है ।

कच्ची सामाग्रियो, प्रासेस मे स्टाक, तैयार माल और बही कर्ज और वाहनो को गिरवी रखकर हासिल किया गया ऋण ।

अनुसूची - 4 : आस्थगित कर देयता निवल				
आस्थगित कर देयताएँ				
- मूल्यह्रास पर	686.01		588.44	
		686.01		588.44
आस्थगित कर आस्तियाँ				
- प्रावधानों पर	187.18		181.62	
- आयकर अधिनियम के अनुसार अननुमतों पर	458.79		359.64	
		645.97		541.26
निवल आस्थगित कर देयताएँ		40.04		47.18

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

अनुसूची - 5 : नियत आस्तियाँ

....लाख रुपयों में

	भूमि और विकास	सडकें व भवन	ड्रेनेज,सिवरेज और जल प्रणालियाँ	विद्युत संस्थापनाएँ आदि	भवन और आंतरिक सेवाएँ	संयंत्र व मशीनरी
सकल अवरुद्ध राशि 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति*	128.82	70.32	188.31	322.97	1,916.16	11,867.88
अतिरिक्त जमा की गयी राशियाँ	--	--	--	--	56.82	2,089.78
हटायी गयी/विक्रय/ समायोजन	--	--	--	--	--	--
31 मार्च, 2011 की स्थिति	128.82	70.32	188.31	322.97	1,972.98	13,957.66
मूल्यह्रास 31 मार्च, 2010 तक	--	31.83	176.79	274.77	1,376.54	9,427.11
वर्ष के लिए 2010-11	--	1.15	0.29	3.17	30.27	268.01
विलोपन/विक्रय/ समायोजन	--	0	0	0	0	(0.48)
31 मार्च, 2011 की स्थिति	--	32.98	177.08	277.94	1,406.81	9,695.60
निवल अवरुद्ध राशि 31 मार्च, 2011 की स्थिति	128.82	37.34	11.23	45.03	566.17	4,262.06
31 मार्च, 2010 की स्थिति	128.82	38.49	11.52	48.20	539.62	2,440.77

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

अनुसूची - 5 : नियत आस्तियाँ

....लाख रुपयों में

	वाहन	कार्या. उपकरण फर्नीचर	काम में न आने वाली आस्तियाँ #	कुल	गत वर्ष
सकल अवरुद्ध राशि					
1 अप्रैल, 2010 की स्थिति*	129.63	782.68	47.60	15,454.37	14,228.48
अतिरिक्त जमा की गयी राशियाँ	30.25	62.33	--	2,239.18	1,226.09
हटायी गयी/विक्रय/ समायोजन	--	--	--	--	--
31 मार्च, 2011 की स्थिति	159.88	845.01	47.60	17,693.55	15,454.37
मूल्यह्रास					
31 मार्च, 2010 तक	61.80	381.43	47.28	11,777.55	11,448.96
वर्ष के लिए 2010-11	9.89	76.43	--	389.21	324.69
विलोपन/विक्रय/ समायोजन	0	0.08	0	(0.40)	(3.90)
31 मार्च, 2011 की स्थिति	71.69	457.78	47.28	12,167.16	11,777.55
निवल अवरुद्ध राशि					
31 मार्च, 2011 की स्थिति	88.19	387.23	0.32	5,526.39	3,676.82
31 मार्च, 2010 की स्थिति	67.83	401.25	0.32	3,676.82	2,779.32

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

		31 मार्च, 2011 की स्थिति ....लाख रु. में		31 मार्च, 2010 की स्थिति ....लाख रु. में
अनुसूची -6 : पूँजीगत चालू कार्य				
पूँजीगत चालू कार्य - सिविल (निर्माण सामग्रियों को शामिल करके)		59.72		20.84
पूँजीगत चालू कार्य - विद्युत		-		1.33
आबंटन को रोक रखने पर व्यय - (ई आर पी)		210.87		150.20
पूँजीगत चालू कार्य - निर्माणाधीन संयंत्र व मशीनरी		137.83		162.01
निरीक्षणाधीन और मार्गस्थ संयंत्र व मशीनरी		530.39		1,209.57
पूँजीगत लेखे पर आपूर्तिकर्ताओं को दी गयी अग्रिम राशियां	476.34		6.13	
- अच्छी मानी गयी*	35.46		35.46	
- संदिग्ध मानी गयी				
कुल	511.80		41.59	
- घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	35.46		35.46	
		476.34		6.13
		1,415.15		**1,550.08**

बैंक गारंटी व्दारा प्रतिभूति सहित रु.456.36 लाख (गत वर्ष शून्य) प्रतिभूति रहित रु. 17.30 लाख (गत वर्ष 6.13 लाख रुपये)

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

	31 मार्च, 2011 की स्थिति ....लाख रु. में		31 मार्च, 2010 की स्थिति ....लाख रु. में	
अनुसूची-7 : निवेश				
(गैर व्यापारिक, बिना दाम बताये) -				
दीर्घावधि - (लागत पर)				
आंध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड के रु.10/- प्रत्येक मूल्य के 18,43,857 पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयरों सहित फेस मूल्य रु.10/- के प्रत्येक के 7,71,847 पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर	107.20		107.20	
घटाएँ: रु.10/- प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 18,43,857 ईक्विटी शेयरों सहित रु.10/- प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 7,71,847 पूर्ण प्रदत्त शेयर		107.20		107.20
रु.10/- फेस मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 4,28,800 ईक्विटी शेयरों को अपने पास रोक रखा गया जो रु.24/- पूर्वाक्रीत और रु.24/- प्रत्येक प्रदत्त हैं ।	102.91		102.91	
(पिछले वर्ष: रु.10/- फेस मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 4,28,800 ईक्विटी शेयरों को अपने पास रोक रखा गया जो रु.24/- पूर्वाक्रीत और रु.24/- प्रत्येक प्रदत्त हैं ।		102.91		102.91
		210.11		**210.11**

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

	31 मार्च, 2011 की स्थिति ....लाख रु. में	31 मार्च, 2010 की स्थिति ....लाख रु. में
अनुसूची -8 : चालू आस्तियाँ,ऋण और अग्रिम राशियाँ		
अनुसूची-8.1: माल सूचियाँ (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)		
कच्ची सामग्रियाँ (स्टाक में)@ (गैर-चलित के लिए 24.16 लाख रुपयों के निवल प्रावधान के बाद) (गत वर्ष 4.63 लाख रुपये)	9,231.02	6,431.45
आंतरिक रूप से जनित प्रक्रिया रद्दी माल/अस्वीकृत सामग्रियाँ $	1,663.73	1,483.48
उपभोज्य सामग्रियाँ (स्टाक में) (गैर-चलित के लिए 21.64 लाख रुपयों के निवल प्रावधान के बाद (गत वर्ष 14.91 लाख रुपये)	762.28	829.63
अतिरिक्त पुर्जे (स्टाक में) (गैर-चलित के लिए 155.61 लाख रुपये के निवल प्रावधान के बाद (गत वर्ष 144.88 लाख रुपये)	513.72	500.45
निरीक्षणाधीन और मार्गस्थ कच्ची सामग्रियाँ, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	972.50	3476.98
प्रक्रियाधीन कार्य <>	24,740.37	19,288.14
तैयार माल	1,342.48	35.90
कुल	**39,226.10**	**32,046.03**

@ ग्राहकों की ओर से रोक रखी गयी 2075.50 लाख रुपयों (गत वर्ष 1442.68 लाख रुपये) मालियत कच्ची सामग्रियाँ इसमें शामिल नहींहैं।
$ बाहरी लोगों के पास 2060.76 लाख रुपयों (गत वर्ष 2086.10 लाख रुपये) की पडी सामग्रियाँ शामिल हैं ।
<>इसमें 109.93 लाख रुपयों (गत वर्ष 29.62 लाख रुपये) मूल्य के गत वर्षों से संबंधित मदें शामिल हैं, जिन्हें मिलान के समय, वर्ष के दौरान, लेखों में लाया गया ।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

	31 मार्च, 2011 की स्थिति ....लाख रु. में	31 मार्च, 2010 की स्थिति ....लाख रु. में
अनुसूची - 8.2 : फुटकर देनदार (प्रतिभूति रहित)		
क) छह महीनों से ऊपर की अवधि के लिए बकाया लेनदार राशियाँ		
- अच्छी मानी गयी	3,090.36	2,048.30
- संदिग्ध मानी गयी	16.29	23.40
ख) अन्य उधार राशियाँ		
- अच्छी मानी गयी	7,316.02	8,705.41
- संदिग्ध मानी गयी	0.12	0.80
	10,422.79	10,777.91
घटाएँ: संदिग्ध उधारों के लिए प्रावधान	16.41	24.20
	10,406.38	10,753.71

अनुसूची -8.3 : नकदी और बैंक में शेष राशियाँ

क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- चालू खातों में				
- नियत जमा राशियों में*	1,354.83		1,521.83	
- अंतरिम लाभांश खाता $	17,490.00		22,506.31	
	--		--	
		18,844.83		24,028.14
ख) डाकघर बचत बैंक खाते में@		1.40		1.40
ग) हाथ में नकद रकम		1.15		3.46
		18,847.38		24,033.00

$ इसमे रक्षा मंत्रालय से प्राप्त 78.16 करोड रुपये फोर्ज प्रेस वित्तीयन के लिए शामिल है । (देखें टि 0 सं .1 अनुसूची-20)

* मार्जिन मनी के रूप में बैंक के पास जमा शून्य लाख रुपयों को शामिल करते हुए (गत वर्ष 6.32 लाख रुपये) ।
@ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास (गत वर्ष 1.40 लाख रुपये),
वर्ष के दौरान अधिकतम शेष राशि 1.40 लाख रुपये (गत वर्ष 1.40 लाख रुपये) ।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

		31 मार्च, 2011 की स्थिति ....लाख रु. में		31 मार्च, 2010 की स्थिति ....लाख रु. में
अनुसूची-8.4 : अन्य चालू आस्तियाँ				
उप-ठेकेदारों के पास सामग्रियाँ				
(अनुमानित उगाही योग्य मूल्य पर)		6,698.80		3,923.17
घटाएँ: डी ए समायोजन के लिए प्रावधान	--		--	
घटाएँ: सम्बद्ध अग्रिम राशियाँ	6,317.19		2,781.50	
		6,317.19		2,781.50
(कान्ट्रा के अनुसार)		381.61		1,141.67
उपचित ब्याज - उगाही योग्य माने गये		659.10		292.35
- संदिग्ध माने गये	286.58		286.58	
- घटाएँ: प्रावधान	286.58	-	286.58	-
कुल		**1,040.71**		**1,434.02**

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

	31 मार्च, 2011 की स्थिति ....लाख रु. में		31 मार्च, 2010 की स्थिति ....लाख रु. में	
अनुसूची -8.5 : ऋण और अग्रिम राशियाँ				
(प्रतिभूतिरहित परंतु उगाही योग्य मानी गयी, जब तक अन्यथा व्यक्त न हो)				
क) नकदी या सामग्री रूप में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम राशियाँ				
प्रतिभूति सहित				
- कर्मचारियों को दी गयी अग्रिम राशियाँ				
अप्रतिभूति सहित		0.21		0.21
- कर्मचारियों को दी गयी अग्रिम राशियाँ				
- आपूर्तिकताओं (क्रय) को दी गयी अग्रिम राशियाँ	227.58	47.71	269.44	319.55
- संदिग्ध मानी गयी अग्रिम राशियाँ	23.66		23.66	
	251.24		293.10	
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	23.66		23.66	
		227.58		269.44
- दावे / प्राप्य लेखे		127.45		108.05
- वैट/मोडवाट/सेवा कर/सीमा शुल्क प्राप्य				
- प्राप्य लेखे - ग्राहक द्वारा वित्तीयन परियोजनाएँ		750.18		389.46
- स्रोत से आयकर कटौतियाँ		32.16		12.02
- अदा किया गया अग्रिम कर		11,047.82		8,271.78
- पूर्व प्रदत्त व्यय		48.78		34.30
कुल (क)		12,281.89		9,404.81
ख) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क के पास शेष राशियाँ				
- सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क	1.38		1.12	
- अन्य	80.20	81.58	79.72	80.84
कुल (ख)		81.58		80.84
कुल (क) व (ख)		**12,363.47**		**9,485.65**
कंपनी के अधिकारियों द्वारा देय राशियाँ		शून्य		0.07
वर्ष के दौरान किसी भी समय पर अधिकतम		शून्य		0.14

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

	31 मार्च, 2011 की स्थिति ....लाख रु. में		31 मार्च, 2010 की स्थिति ....लाख रु. में	
अनुसूची -9 : चालू देयताएँ और प्रावधान				
अनुसूची - 9.1 : चालू देयताएँ				
उपकरण और कार्यों के लिए देय राशियाँ				
क) लघु उद्योग इकाइयाँ	--		--	
ख) अन्य	482.66		708.97	
		482.66		708.97
फुटकर लेनदार				
क) लघु उद्योग इकाइयाँ	30.12		6.54	
ख) अन्य	1,496.32		1,839.96	
		1,526.44		1,846.50
अन्य व्यय				
क) लघु उद्योग इकाइयाँ	69.51		17.86	
ख) अन्य	2,793.91		2,345.53	
		2,863.42		2,363.39
कर्मचारियों को अदा की जाने वाली राशियाँ		6,143.17		4,202.71
कर और शुल्क		285.18		230.46
ग्राहक द्वारा वित्तीयन की गयी परियोजनाएँ		265.83		58.55
ग्राहक से लिये गये अग्रिम	29,625.43		27,925.13	
घटाएँ: (प्रति कांट्रा) के विरुद्ध तय की गयी राशि				
- उप-ठेकेदारों को मालों का निर्गम	6,317.19		2,781.50	
		23,308.24		25,143.63
अग्रिम और जमा राशियाँ - अन्य				
अन्य देयताएँ		1,504.60		1,089.43
- ग्राहक द्वारा वित्तीयन की गयी परियोजनाएँ-पूँजी		125.19		901.56
- अन्य देयताएँ		673.38		673.38
कुल		**37,178.11**		**37,218.58**

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

	1अप्रैल, 2010 को शेष राशि की स्थिति	वर्ष के दौरान जोडी गयी राशियाँ	वर्ष के दौरान उपयोग/ समयोजित की गयी राशियाँ	वर्ष के दौरान उपयोग में नहीं लायी गयी उलटी राशियाँ	31 मार्च, 2011 को शेष राशि की स्थिति
अनुसूची-9.2:प्रावधान					
उपदान के लिए प्रावधान	16.62	3.03	--	--	19.65
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,058.08	323.08	--	--	1,381.16
आयकर के लिए प्रावधान	8,273.04	2,483.10	--	--	10,756.14
लाभांश के लिए प्रावधान	792.33	1800.00	792.33	--	1800.00
लाभांश पर कर के लिए प्रावधान	134.65	339.90	134.65	--	339.90
एफबीटी के लिए प्रावधान	107.27	--	--	--	107.27
प्रावधान - अन्य	11.04	--	--	--	11.04
कुल	**10,393.03**	**4,949.11**	**926.98**	**--**	**14,415.16**

मिश्र धातु निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखे की अंगरूप अनुसूचियाँ

	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष ....लाख रु. में		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष ....लाख रु. में	
अनुसूची -10 : प्रक्रियाधीन तथा तैयार मालों में मूल्यवर्धन / (अवमूल्यन)				
i) प्रक्रियाधीन कार्य				
अंत शेष	24,740.37		19,288.14	
आदि शेष	19,288.14		18,992.95	
कुल (i)		5,452.23		295.19
ii) तैयार माल				
अंत शेष	1,342.48		35.90	
आदि शेष	35.90		128.45	
कुल (i)		1,306.58		(92.55)
कुल (i) + (ii)		**6,758.81**		**202.64**
अनुसूची -11 : अन्य आय				
अर्जित ब्याज				
- नैगम जमा राशियाँ		--		--
- बैंक में जमा राशियाँ		1,607.44		1,230.91
- अन्य		8.31		394.59*
रद्दी माल के निपटान से आय		11.59		12.62
परिसमाप्त क्षतियाँ / जुर्माने		85.83		46.42
प्रावधानों की पुन: वापसी		7.79		10.06
अन्य विविध व्यय		185.09		168.53
		1,906.05		1,863.13
अनुसूची -12 : सामग्रियों और उपभोज्यों का उपभोग				
कच्ची सामग्रियाँ		19,667.85		13,566.15
उपभोज्य सामग्रियाँ		1,450.37		1,106.83
कुल		**21,118.22**		14,672.98
अनुसूची -13 : ऊर्जा एवं ईंधन				
ऊर्जा		1,206.95		877.68
एल.पी.जी.		1,833.20		1,421.41
फर्नेस आमल, डीजल, आदि		51.05		79.05
कुल		**3,091.20**		2,378.14

*इसमे एच बी ई प्रेस कोरिया को अदा की गयी रु. 392.66 लाख अग्रिम शामिल है जिसे बैंक गारंटी मिली है और परिणामत ठेके पर ब्याज सहित नकदीकरण जो 9/10 वर्ष मे किये गये ठेक के अनुसार है ।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष ....लाख रु. में	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष ....लाख रु. में
अनुसूची -14 : कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हित-लाभ		
वेतन एवं मजदूरियाँ	6,475.19	6,400.02
भविष्य निधि और ईपीएस में योगदान	565.69	499.42
उपदान	1,211.85	569.91
छुट्टी नकदीकरण	465.91	461.92
स्टाफ कल्याण व्यय निवल	1,284.45	1,313.26
छुट्टी का वेतन और पेंशन योगदान	6.24	1.50
कुल	**10,009.33**	9,246.03
अनुसूची -15 : मरम्मत और रखरखाव * (वेतन व मजदूरियों को छोडकर)		
मरम्मत		
- भवनों	181.83	164.26
- संयंत्र व मशीनरी	605.37	562.50
- अन्यों	33.07	25.29
कुल	**820.27**	752.05

* इसमें 489.02 लाख रुपयों (गत वर्ष 467.60 लाख रुपये) में उपभोज्यों और अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य शामिल हैं ।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष ....लाख रु. में		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष ....लाख रु. में	
अनुसूची -16 : अन्य व्यय				
जल प्रभार		50.78		63.63
उपशुल्क और कर		12.20		12.71
बीमा		48.33		20.23
विविध - फैक्टरी		15.35		11.88
किराया व सेवा प्रभार		13.42		12.44
डाक व्यय, टेलिफोन, तार व टेलेक्स		47.31		52.33
मुद्रण और लेखन सामग्री		31.21		25.09
यात्रा व्यय (निदेशकगणों की यात्रा सहित 41.22 लाख रुपये (गत वर्ष 29.48 लाख रुपये)		207.04		172.43
निदेशकों की बैठक फीस		2.00		3.10
बैंक प्रभार		39.76		19.87
विज्ञापन (निविदा / अधिसूचना)		25.76		33.18
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
- लेखा परीक्षा फीस	1.50		2.00	
- कर की लेखा परीक्षा फीस	1.00		0.50	
		2.50		2.50
विधिक व्यय		1.96		1.66
विविध - प्रशासन (मनोरंजन व्यय 0.41लाख रुपयों सहित (गत वर्ष 0.55 लाख रुपये)		484.51		280.64
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस, भविष्य निधि लेखा परीक्षा और		2.89		2.62
अन्य लेखा परीक्षा फीस				
विक्रय करने वाले एजेंटों का कमीशन		4.71		0.37
प्रचार व्यय		104.75		71.40
विविध विक्रय व्यय		359.66		52.98
विज्ञापन / विविध व्यय / दावे / ब्याज / परिसमाप्त क्षतियाँ		464.38		395.57
विनिमय दर में भेद		(2.48)		190.40
कुल		**1,916.04**		**1,425.03**

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

	31 मार्च, 2011 की स्थिति ....लाख रु. में	31 मार्च, 2010 की स्थिति ....लाख रु. में
अनुसूची -17 : प्रावधान		
निम्न के लिए प्रावधान		
- अचल भंडारों / अतिरिक्त पुर्जों / स्टाक में असंगतियाँ	36.99	13.63
कुल	**36.99**	**13.63**
अनुसूची -18 : ब्याज		
नकद उधार	0.35	0.48
ब्याज - अन्य	170.76	51.97
ब्याज - सरकार का ऋण	508.30	103.50
	679.41	155.95

अनुसूची -19 : पूर्वावधि समायोजन

	देनदारियाँ	उधार	देनदारियाँ	उधार
सामग्रियों आदि का उपभोग	43.47	--	--	12.28
निर्माण व्यय	1.77	--	--	0.96
अन्य प्रशासनिक व्यय	2.20	--	3.66	0.46
मूल्यह्रास	0.40	--	3.90	--
कुल	47.84	--	7.56	13.70
निवल		(47.84)		6.14

अनुसूची - 20

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध लेखों पर टिप्पणियाँ और लेखों का अंगरूप बनी टिप्पणियाँ :

क. तुलन पत्र

1. फोर्ज प्रेस के वित्तीयन के लिए रक्षा मंत्रालय से आहरित प्रदत्त शेयर पूँजी में रु.39.08 करोड़ शामिल हैं और प्रतिभूति रहित ऋण में रु.35.00 करोड़ शामिल हैं । इसी प्रकार नकदी व बैंक में जमा रु.78.16 करोड़ की राशि फोर्ज प्रेस के पूँजी व्यय की पूर्ति के लिए फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में अलग से रखे गये हैं क्योंकि उक्त मंजूरी के पत्र में यह शर्त लगायी गयी है कि इस राशि को अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च न किया जा सके । इसीलिए, रु.78.16 करोड़ की राशि नियोजित पूँजी और निवल मालियत को हिसाब में लेने पर विचार न किया जाए ।

2. पूँजी लेखे पर निष्पादन के लिए शेष बचे ठेकों की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है। (अग्रिम राशियों का निवल)

.....लाख रुपयों में

	चालू वर्ष	गत वर्ष
- कंपनी की अपनी स्वयं की परियोजनाएँ	3986.33	11084.77
- ग्राहकों की परियोजनाएँ	1318.21	3413.30

3. संभाव्य देयताएँ - जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है :

.....लाख रुपयों में

क्रम सं.		चालू वर्ष	गत वर्ष
(i)	बैंक गारंटी	378.15	163.29
(ii)	शेष राशियों के साखपत्र	963.77	3736.59
(iii)	उधार नहीं माने गये दावे	7960.80	7791.52
(iv)	अन्य	50.00	50.00

4.1 275 एकड और 35 गुंटो की उपार्जित भूमि के दस्तावेजों का अभी निष्पादन बाकी है । उपर्युक्त में से निम्न पार्टियों को पट्टे पर दी गयी भूमि :

डीआरडीओ - 35 एकड़ 39 गुंटे

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार - 1 एकड़

बीडीएल - 1 एकड़, और

एक अन्य पार्टी द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा जमायी गयी 1.5 एकड़ भूमि विवाद में पड़ी है।

4.2 70 एकड़ 23 गुंटों की डीआरडीओ द्वारा अंतरित की गयी भूमि की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए किये गये दावों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उनके द्वारा भिन्न-भिन्न समयों में कई प्रकार के दावे प्रस्तुत किये गये और अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

4.3 पंजीकरण / दावों की प्राप्तियों के रुके पड़े होने के कारण दस्तावेजों / भूमि के उपयोग के परिवर्तन और भूमि का संपत्ति कर / सेवा प्रभारों, करारों पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (क्योंकि, व्यय की राशि तय नहीं है।)

5 (i) वर्ष के अंत की स्थिति में मिधानि के पास 13639.03 लाख रुपयों (गत वर्ष 11688.10 लाख रुपये - मार्गस्थ मालों को मिलाकर) जिन्हें ग्राहक द्वारा वित्तीयन की गयी परियोजना की मालियत की आस्तियाँ हैं ।

5.(ii) ग्राहक द्वारा वित्तीयन की गयी परियोजनाओं के विरुद्ध शेष राशियों के अंतिम समायोजन नहीं किये गये हैं और शेष राशियों की पुष्टि भी प्राप्त नहीं हुई, लेखों के अंतिम निर्णय के रुके पड़े रहने के कारण।

6. माइक्रो, छोटे और मध्यम उपक्रमों का विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विशिष्ट प्राधिकार के समक्ष ज्ञापन के प्रस्तुतीकरण के मामले में कंपनी के लेनदारों से सूचना प्राप्त न होने के कारण, उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करने में कंपनी असमर्थ है ।

7. फुटकर देनदारों, ऋणों और अग्रिमों प्राप्य दावों, जमा राशियों, फुटकर लेनदारों में शेष राशियाँ ठेकेदार/उपठेकेदारों और अन्यों के पास पड़ी सामग्रियों की शेष राशियों पुष्टीकरण और / या मिलान की शर्तों के अंतर्गत हैं ।

8. अग्रिम और जमा राशियाँ - अन्य (अनुसूची-9.1) में 26.30 लाख रुपये (गत वर्ष 26.30 लाख रुपये) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से "पैटसर के अंतर्गत निधिकरण" योजना के लिए प्राप्त हुए थे । चूँकि यह परियोजना असफल रही है कंपनी ने धन वापसी को त्याग देने का आग्रह किया है ।

9. 31मार्च,2011 को स्थित निवल आस्थगित कर देयता निम्न को शामिल करती हुई है:

.....लाख रुपयों में

विवरण	31 मार्च, 2010 की स्थिति	अवधि के लिए प्रभार / ऋण	31 मार्च, 2011 की स्थिति
(क) आस्थगित कर देयता			
मूल्यह्रास	588.44	97.57	686.01
कुल	588.44	97.57	686.01

ख) आस्थगित कर आस्तियाँ

.....लाख रुपयों में

आयकर अधिनियम के अनुसार - प्रावधान	181.62	5.56	187.18
- अस्वीकृतियाँ	359.64	99.15	458.79
कुल	541.26	104.71	645.97
निवल आस्तियाँ / (देनदारियाँ)	(47.18)	7.14	(40.04)

ख. लाभ तथा हानि लेखा

10. कंपनी द्वारा कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तथा पूर्णकालिक निदेशकगणों को अदा किया गया पारिश्रमिक: (.....लाख रुपयों में)

	2010-11	2009-10
वेतन और भत्ते	55.03	60.31
भविष्य निधि में योगदान	4.36	5.12
उपदान	-	-
कुल	59.39	65.43
स्वतंत्र निदेशकगणों को अदा की गयी बैठकों की फीस	2.00	3.10

11. समीक्षा करने पर 24.98 लाख रुपयों (गत वर्ष 31.24 लाख रुपये) को डूबंत ऋण के रूप में बट्टे खाते डाला गया ।

12. समीक्षा करने पर लेनदारों द्वारा दावा न की गयी राशि को वापस लिख लेने के कारण रु. शून्य (गत वर्ष 32.20) । वर्ष के लिए बहियों में, हिसाब में लिया गया है ।

13. अनुसंधान और विकास के व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार लेखों के प्राकृतिक शीर्षों में शामिल किये गये हैं:

(....लाख रुपयों में)

क्रम सं.		चालू वर्ष	गत वर्ष
(i)	सामग्रियों का उपभोग	138.99	100.01
(ii)	लागतों का बदलना	137.93	134.01
	कुल	276.92	234.02

14. प्रति शेयर अर्जन से संबंधित एएस-20 के प्रकट करने के अनुसार : हलके पडने वाले संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं हैं ।

विवरण	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
कर की अदायगी के बाद निवल लाभ (.....लाख रुपयों में)	5042.18	4461.66
शेयरों की सं.	18,33,400	14,63,400
1000/- रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रति शेयर पर मूल और हल्के अर्जन (.....रुपयों में)	275.02	304.88

15.1 ए.एस-18 से संबंधित प्रकटन । संबंधित व्यक्तियों के नाम :

प्रमुख प्रबंधन अधिकारी

(क) **श्री एम.नारायण राव,** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ख) **श्री वी.एस. कृष्णमूर्ति,** निदेशक (वित्त)

(ग) **श्री वी.एस.वर्मा,** निदेशक (उत्पादन व विपणन)

15.2 लेन-देनों की प्रकृति

(....लाख रुपयों में)

प्रबंधकीय पारिश्रमिक सर्व श्री	**10-11**	**09-10**
एम.नारायण राव	22.37	23.78
बी.वी.कृष्ण मूर्ति	18.41	21.02
वी.एस.वर्मा	18.61	20.63

16 लेखा मानक-28 के अनुच्छेद 8 से 10 तक में सूचीबद्ध चिह्नों - आस्तियों को क्षीण करना - की परीक्षा की गयी और इस प्रकार की परीक्षा के बाद यह पाया गया कि कंपनी के मामले में कोई चिह्न उपलब्ध नहीं हैं अत: संभाव्य क्षति/हानि की आवश्यकता नहीं है। टाइटेनियम ट्यूब संयंत्र के संबंध में अनुमानित वसूली योग्य राशि की तुलना के आमने-सामने लगी लागत यह इंगित करती है कि किसी प्रकार की संभाव्य क्षति/हानि नहीं है अत:किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है ।

17 गैर-रद्द करने के परिचालनात्मक पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :

(.....लाख रुपयों में)

	31-3-2011 को स्थित	31-3-2010 को स्थित
- एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं	शून्य	2.54
- एक वर्ष के बाद से और पाँच वर्ष से अधिक नहीं	शून्य	0.40
पाँच वर्षों के बाद		
कुल	शून्य	2.94

18 कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत देय शुल्क के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि, कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 441ए की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है ।

19 कंपनियों के अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) की अनुसूची-VI के भाग-II के अनुच्छेद 3 (i) (क), 3 (ii) (1) और, (2), 4 सी और 4 डी के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड द्वारा कंपनी को छूट प्रदान की गयी है ।

20 आस्तियों पर प्रदान किये गये मूल्यह्रास का निवल प्रभाव जिसके लिए निर्धारित रु.49.99 लाख (गत वर्ष रु. 49.99 लाख) की तुलना में मूल्यह्रास की दरें उच्चतर हैं । आस्तियाँ संयंत्र और मशीनरी के वर्ग में आती हैं और सामान्य मूल्यह्रास की 19% से 25.47% रेंज की दरों के विरुद्ध 4.75% से 5.28% तक के सामान्य मूल्यह्रास के रेंज में होती हैं ।

21 संशोधित लेखा मानक-15 के प्रावधान के अनुसार 31-3-2011 को स्थित वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार उपदान के संबंध में निम्नलिखित सूचना एलआईसीजीजीएफ द्वारा प्रदान की गयी जिसके साथ कंपनी ने अपने उपदान न्यास (ट्रस्ट) के जरिए पालिसी ली थी ।

1	**धारणा**	**31 मार्च, 2011**
क)	औसत आयु	51.81वर्ष
ख)	बट्टा दर (प्रति वर्ष)	8%
ग)	वेतन में बढ़ोतरी (प्रति वर्ष)	3.00%
2	**31 मार्च, 2011 को बाध्यता के मौजूदा मूल्यांकन में परिवर्तनों को दर्शाने वाली सारिणी**	(....लाख रुपयों में)
क)	वर्ष के आरंभ में बाध्यता का प्रथम वर्ष	3898.81
ख)	वर्तमान लागत	311.90
ग)	चालू सेवा लागत	119.66
घ)	अदा किये गये लाभ - वास्तविक	(714.63)
ङ)	वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4436.64
च)	वास्तविक लाभ / हानि	820.90
3	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	
क)	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3855.16
ख)	योजना आस्तियों पर अपेक्षित लाभ	334.88
ग)	योगदान	463.31
घ)	अदा किये गये लाभ	(714.63)
ङ)	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ / हानि	शून्य
च)	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य - शून्य	3938.71

4	**योजना आस्तियों का उचित मूल्य दर्शाती सारिणी**	
क)	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3855.16
ख)	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ	334.88
ग)	योगदान	463.31
घ)	अदा किये गये लाभ	(714.63)
ङ)	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3938.71
च)	निधि की स्थिति	(497.93)
छ)	योजना आस्तियों पर अनुमानित के ऊपर वास्तविक का आधिक्य	शून्य
5	**मान्यता प्राप्त वास्तविक हानि या लाभ**	
क)	वर्ष के लिए वास्तविक हानि - बाध्यता	(820.90)
ख)	वर्ष के लिए वास्तविक हानि - योजना आस्तियाँ	शून्य
ग)	वर्ष के लिए कुल हानि	820.90
घ)	मान्यता प्राप्त वास्तविक हानि	820.90
6	**तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे में पहचानी जाने वाली राशि**	
क)	वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4436.64
ख)	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3938.71
ग)	निधि की स्थिति	(497.93)
घ)	तुलन पत्र में पहचानी गयी निवल देयता / आस्ति	(497.93)
7	**लाभ तथा हानि लेखे की विवरणी में पहचान प्राप्त व्यय 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष**	
क)	चालू सेवा लागत	119.66
ख)	ब्याज लागत	311.90
ग)	योजना आस्तियों पर अपेक्षित लाभ	(334.88)
घ)	वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल वास्तविक लाभ / हानि	820.90
ङ)	लाभ तथा हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	917.59

ग. सामान्य

22 लेखा नीति सं.4.6 के अनुसार प्रक्रियाधीन कार्य का मूल्यांकन किया गया है। फिर भी, पूर्व वर्षों से आगे लाये गये प्रक्रियाधीन कार्य का मूल्यांकन 1 अप्रैल, 2010 को स्थित मूल्य के आधार पर था, 2010-11 के दौरान उगाही योग्य मार्केट मूल्य में दोनों में से जो भी कम होगा, वही असली मूल्यांकन होगा ।

23 कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3बी) के अनुपालन में यह कहना है कि रक्षा संबंधी उत्पादों से संबंधित सूचना की गोपनीय प्रकृति के मद्देनजर कंपनियों के अधिनियम,1956 की धारा 211 (2ए) के अंतर्गत आवश्यक खंड रिपोर्टिंग (एएस-17), बनायी नहीं गयी है । इस प्रकार के विचलन के कारण लेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

24 चालू वर्ष के वर्गीकरण से मेल खाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हुआ हो गत वर्ष के आँकडों का पुनर्वर्गीकरण / निर्धारण किया गया है ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्यम और वीरभद्र
सनदी लेखापाल
(के.वी.चलमय्या)
भागीदार

स्थान : हैदराबाद
दिनांक :25-07-2011

कृते निदेशक मंडल एवं उसकी ओर से
एम.नारायण राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
वी.एस.कृष्णमूर्ति, निदेशक (वित्त)
पी.वी.सुब्बा राव, कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-07-2011

मिश्र धातु निगम लिमिटेड नकदी स्राव की विवरणी	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष ....लाख रुपयों में		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष ....लाख रुपयों में	
I. परिचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी स्राव कर अदायगी से पूर्व निवल लाभ		7,518.14		6,766.78
परिचालनात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्रदान की गयी निवल आय की तुलना में निवल नकदी के मिलान के लिए समायोजन				
मूल्यह्रास	389.61		328.59	
अदा किया गया ब्याज	679.41		155.95	
प्राप्त ब्याज	(1,607.44)		(1,037.40)	
प्रावधानों का पुन: प्रवेश	(7.79)		(10.06)	
बट्टे खाते डाली गयी राशियाँ	464.38		395.57	
विनिमय दर परिवर्तन	(2.48)		190.40	
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/मोडवाट/अचल भंडारों/अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान	363.10		294.09	
उप-कुल		278.79		317.14
चालू पूँजी के परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ		7,796.93		7,083.92

मिश्र धातु निगम लिमिटेड नकदी स्राव की विवरणी	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष ....लाख रुपयों में		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष ....लाख रुपयों में	
आस्तियों और देयताओं में परिवर्तनों के लिए समायोजन				
फुटकर देनदारों में (वृद्धि) / कमी	347.33		(2,493.96)	
मालसूचियों में (वृद्धि) / कमी	(7,180.07)		(2,203.54)	
अन्य चालू आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(107.74)		(2,378.89)	
फुटकर लेनदारों में वृद्धि / (कमी)	(40.47)		6,259.04	
बैंक से ली गयी उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)	(830.53)		3,529.99	
उप-कुल		(7,811.48)		2,712.64
अन्य आस्तियों से समायोजन से पूर्व जनित की गयी नकदी		(14.55)		9,796.56
अन्य आस्तियों के लिए समायोजन		-		-
उप-कुल		(14.55)		9,796.56
परिचालनों से जनित नकदी				
अदा किया गया प्रत्यक्ष कर	(2,500.00)		(2,172.10)	
उप-कुल		(2,500.00)		(2,172.10)
परिचालनात्मक क्रियाकलापों के द्वारा प्रदान की गयी निवल नकदी (क)		(2,514.55)		7,624.46
II निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी का स्राव				
नियत आस्तियों का क्रय	(2,104.26)		745.51	
नियत आस्तियों के विक्रय से प्राप्त राशियाँ				
प्राप्त ब्याज	1,239.58		1,037.40	

मिश्र धातु निगम लिमिटेड नकदी स्राव की विवरणी (जारी)	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष ....लाख रुपयों में		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष ....लाख रुपयों में	
निवेशात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्रदान की गयी निवल नकदी (में उपयोग की गयी) (ख)		(864.68)		1,782.91
III. निवेशात्मक क्रियाकलापों से वित्तीयन नकदी				
अदा किया गया ब्याज	(679.41)		(155.95)	
अदा किया गया लाभांश	(992.33)		(821.13)	
अदा किये गये लाभांश पर कर	(134.65)		(139.56)	
शेयर पूँजी वृद्धि / कमी	--		3,700.00	
वित्तीयन क्रियाकलापों द्वारा प्रदान की गयी निवल नकदी (ग)		(1,806.39)		2583.36
सार				
परिचालनात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्रदान की गयी निवल नकदी (क)		(2,514.55)		7,624.46
निवेशक क्रियाकलापों द्वारा प्रदान(उपयोग)में की गयी निवल नकदी (ख)		(864.68)		1,782.91
वित्तीयन क्रियाकलापों द्वारा प्रदान की गयी निवल नकदी (ग)		(1,806.39)		2,583.36
वर्ष के दौरान नकदी में निवल वृद्धि/(कमी) और नकदी तुल्यमान		(5,185.62)		11,990.73
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी का तुल्यमान		24.033.00		12,042.27
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी का तुल्यमान		18,847.38		24,033.00
		(5,185.62		11,990.73

नकदी और नकदी तुल्यमानों के घटक	31 मार्च, 2011 को ....लाख रुपयों में	31 मार्च, 2010 को ....लाख रुपयों में
हाथ में नकदी	1.15	3.46
डाकघर बचत बैंक खाते में	1.40	1.40
अनुसूचित बैंकों के खातों में		
- चालू खाते में	1,354.83	1,521.83
- नियत जमा राशि में	17,490.00	22,500.00
- मार्जिन मनी में	--	6.31
- अंतरिम लाभांश खाते में	--	--
कुल	18,847.38	24,033.00

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सत्यम और वीरभद्र
सनदी लेखापाल
(के.वी.चलमय्या)
भागीदार

स्थान : हैदराबाद
दिनांक :25-07-2011

कृते निदेशक मंडल एवं उसकी ओर से
एम.नारायण राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
वी.एस.कृष्णमूर्ति, निदेशक (वित्त)
पी.वी.सुब्बा राव, कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-07-2011

तुलन पत्र का सार और कंपनी के सामान्य व्यापार का रेखाचित्र

I पंजीकरण ब्यौरे:

पंजीकरण सं.	1660	राज्य कोड	01
तुलन-पत्र का दिनांक	31 मार्च, 2011		

II वर्ष के दौरान बढायी गयी पूँजी (राशि हजार रुपयों में)

सार्वजनिक इश्यू	शून्य	राइट्स इश्यू	शून्य
बोनस इश्यू	शून्य	प्राइवेट प्लेसमेंट	शून्य

III निधियों के संग्रहण की स्थिति और उनका विनियोजन

(....लाखों रुपयों में राशियाँ)

कुल देनदारियाँ	8,903,569	कुल आस्तियाँ	8,903,569

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूँजी	1,833,400	प्रारक्षित व अधिशेष	1,546,146
शेयर आवेदन रुपये	--		
प्रतिभूत ऋण	10,692	अप्रतिभूत ऋण	350,000
आस्थगित कर	4,004	चालू देयताएँ और प्रावधान	5,159,327

निधियों का विनियोजन

निवल नियत आस्तियाँ	694,154	निवेश	21,011
चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम राशियाँ	8,188,404	फुटकर व्यय	--
संचित हानियाँ	--		

IV कंपनी का निष्पादन (हजार रुपयों में राशि)

कुल व्यापार (सकल आय)	4,078,843	कुल व्यय	4,193,515
लाभ/ (-) हानि कर से पूर्व	751,814	लाभ/(-) कर के बाद हानि	504,218
प्रति शेयर रुपयों में अर्जन	275.02	लाभांश दर प्रतिशत	10.909%

V तीन प्रमुख उत्पादों के जनन नाम / कंपनी की सेवाएँ

मद कूट सं. (आईटीसी कोड)	72240000
उत्पाद विवरण:	**अन्य मिश्र धातु स्टील:स्पेशल स्टेनलेस स्टील एमडीएन 172/155/250**
मद कोड नं. (आईटीसी कोड)	81080000
उत्पाद विवरण :	**टाइटेनियम और टाइटेनियम बेस मिश्रधातु टाईटान 12/15/31**
मद कोड नं. (आईटीसी कोड)	81029300
उत्पाद विवरण :	मॉलिब्डिनम और उसके साये में - मोलि वायर

कृते निदेशक मंडल एवं उसकी ओर से
एम.नारायण राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
वी.एस.कृष्णमूर्ति, निदेशक (वित्त)
पी.वी.सुब्बा राव, कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-07-2011

क. वर्ष 2010-2011 के लिए सामाजिक उपरिव्ययों पर व्यय-पूँजी

(....लाख रूपयों में)

विवरण	सकल अवरुद्ध				मूल्यह्रास				निवल अवरुद्ध	
	1-4-2010 की स्थिति	वर्ष के दौरान अतिरिक्तियाँ	वर्ष के दौरान समायोजन कटौती	31-3-2011 की स्थिति	31-3-2010 की स्थिति	वर्ष के दौरान समायोजन कटौती	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31-3-2011 की स्थिति	31-3-2011 की स्थिति	31-3-2010 की स्थिति
भूमि	28.66	--	--	28.66	--	--	--	--	28.66	28.66
टाऊनशिप के भवन:										
- आवासीय	100.69	--	--	100.69	41.04	--	1.65	42.69	58.00	59.65
टाऊनशिप के भवन:										
- गैर-आवासीय										
क) स्कूल	44.74	--	--	44.74	13.23	--	0.73	13.96	30.78	31.51
ख) अस्पताल	1.77	--	--	1.77	0.74	--	0.03	0.77	1	1.03
ग) सब-स्टेशन भवन	1.92	--	--	1.92	0.76	--	0.03	0.79	1.13	1.16
टाऊनशिप बाह्य										
सेवाएँ :										
क) पानी	2.44	--	--	2.44	2.36	--	--	2.36	0.08	0.08
ख) बिजली	7.45	--	--	7.45	7.13	--		7.13	0.32	0.32
ग) स्कूल फर्नीचर	7.66	--	--	7.66	7.63	--	--	7.63	0.03	0.03
टाऊनशिप रोड आदि	8.24	--	--	8.24	3.14	--	0.14	3.28	4.96	5.1
कुल	**203.57**	**--**	**--**	**203.57**	**76.03**	**--**	**2.58**	**78.61**	**124.96**	**127.54**
गत वर्ष	203.57	--	--	203.57	73.45	--	2.58	76.03	127.54	130.12

ख. वर्ष 2010-2011 के लिए सामाजिक उपरिव्ययों पर व्यय - राजस्व

(....लाख रुपयों में)

विवरण	टाऊनशिप	स्कूल	सांविधिक रुप से आवश्यक और जो उपलब्ध हैं उनके अलावा अन्य चिकित्सा सुविधाएँ	आर्थिक सहायता प्राप्त परिवहन	अन्य आर्थिक सहायताएँ	कल्याण व्यय के अन्य मद	कुल
वेतन व मजदूरियाँ (भविष्य निधि योगदान के साथ)	22.11	--	--	--	--	--	22.11
बिजली	12.50	--	--	--	--	--	12.50
मरम्मत व अनुरक्षण	67.67	--	--	--	--	--	67.67
परिवहन कंपनी को भुगतान	--	--	--	160.18	--	--	160.18
आर्थिक सहायता (निवल)	--	19.00	--	--	--	--	19.00
ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	--	--	--	--	0.42	--	0.42
गृह निर्माण ऋण पर ब्याज में आर्थिक सहायता	--	--	--	--	0.58	--	0.58
विविध व्यय	--	--	--	--	--	6.13	6.13
टाऊनशिप चिकित्सालय	--	--	1.73	--	--	--	1.73
मूल्यह्रास	2.58	--	--	--	--	--	2.58
कुल व्यय	104.86	19.00	1.73	160.18	1.00	6.13	292.90
गत वर्ष	54.52	73.52	2.14	160.77	2.97	5.55	299.47
चालू वर्ष की आय	4.97	--	--	20.21	--	--	25.18
गत वर्ष की आय	4.23	--	--	12.41	--	--	16.64

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम, रक्षा मंत्रालय)

पंजीकृत कार्यालय एवं कर्मशाला:
डाकघर: कंचनबाग, हैदराबाद - 500058, भारत

दूरभाष: +91-40-24340001 (10 लाइनें),
24340201, 24340280, 24340044, 24340853 (अन्य लाइनें)
फैक्स: + 91-40-24340214/24340764,
ई-मेल: spralloy.midhani@nic.in
वेबसाइट: www.midhani.com

कमर्षियल कार्यालय

मुंबइ प्रियदर्शिनी आर सी एफ, नई कार्यालय कांप्लेक्स,सियोन चेबूर रोड, **मुंबइ - 400 022** टेली फैक्स: + 91-022-24045439, ई-मेल: mco.midhani@nic.in	**कोलकता** न.1/131, गरियहाट रोड (दक्षिण), जोधपूर पार्क, **कोलकता - 700 068** टेली फैक्स: + 91-033-24728414, ई-मेल: kco.midhani@nic.in
नई दिल्ली फ्लाट न. 26, सेक्टार ए पाकेट सी, वसंत कुंज, **नई दिल्ली - 110 070** टेली फैक्स: + 91-011-26890253, ई-मेल: dro.midhani@nic.in	**चेन्नय** पुराना 947 / नई 140, सोरेटो घर, पूनामाली हाय स्कूल, **चेन्नय - 600 084** टेली फैक्स: + 91-044-26481101, ई-मेल: cco.midhani@nic.in
स्टाटुटरी आडिटर्स मेसर्स सत्यम और वीरभद्र चार्टड अकाउंटेंट्स, हैदराबाद	**बेंकर्स** आंध्रा बेंक, हेच डी एफ सी बेंक, स्टेट बेंक आफ इंडिया, स्टेट बेंक आफ हैदराबाद